खण्ड–19, अंक–2
सोमवार, 11 आषाढ़, शक संवत्, 1929
(02 जुलाई, 2007 ई0)

# उत्तराखण्ड विधान सभा

# की

# कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2007)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 19 में 8 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य–

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थिति ... ... ... | 'क' |
| कतिपय विषयों को नियम-310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग... | 1-6 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 6-46 |
| नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 47 |
| विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत करनपुर, बापू नगर आदि स्थानों पर उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 47 |
| उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी के ग्राम सभा सेकू के अन्तर्गत कफलों में दिनाँक 1/2 जुलाई, 2007 की मध्यरात्रि को बादल फटने से हुए भूस्खलन से ठप्प हुई पेयजल आपूर्ति आदि व्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 47 |
| 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांव के सम्पर्क मार्ग एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत बनाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 48 |
| अल्मोड़ा शहर की सरयू रोराघाट पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्ताव इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 49 |
| विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, पौड़ी स्थित कई राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना... | 49 |
| जनपद हरिद्वार के भगवानपुर से सिकरोढ़ा मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) ... | 50 |
| उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापन का प्रस्ताव ... ... | 50-52 |
| उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित ... ... | 52 |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ... | 53- |
| कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ ... ... ... | 53-89 |
| वित्तीय वर्ष, 2007-2008 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण ... | 89-119 |
| नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएँ ... ... ... | 119 |
| जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी के पिलंग गाँव में नियम विरुद्ध शिक्षा मित्र की नियुक्ति के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 119 |
| जनपद हरिद्वार में ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत सड़कों में सुधार के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 120 |
| नत्थियाँ ... ... ... | 121-135 |

"क"

## उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. सुश्री कैरन हिल्टन
9. श्री किशोर उपाध्याय
10. " केदार सिंह
11. " केदार सिंह फोनिया
12. " खजान दास
13. " खड़क सिंह बोहरा
14. " गगन सिंह
15. " गणेश जोशी
16. " गोपाल सिंह
17. " गोपाल सिंह रावत
18. " गोविन्द लाल
19. " गोविन्द सिंह कुँजवाल
20. " गोविन्द सिंह बिष्ट
21. " चन्दन राम दास
22. " जोगा राम टम्टा
23. " जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. " दिनेश अग्रवाल
27. " दिवाकर भट्ट
28. " दिवान सिंह
29. " नारायण पाल
30. काजी मौ0 निजामुद्दीन
31. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32. " प्रकाश पन्त
33. " प्रणव सिंह
34. " प्रीतम सिंह
35. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36. " प्रेमानन्द महाजन
37. " बलवन्त सिंह भौर्याल
38. " बलवीर सिंह नेगी
39. " बिशन सिंह चुफाल
40. " बंशीधर भगत
41. " बृज मोहन कोटवाल
42. " भगत सिंह कोश्यारी
43. " मदन कौशिक
44. " मनोज तिवारी
45. " मयूख सिंह
46. " महेन्द्र सिंह माहरा 'मद्दू भाई'
47. " मातबर सिंह कण्डारी
48. " मुन्ना सिंह चौहान
49. " यशपाल आर्य
50. " यशपाल बेनाम
51. चौ0 यशवीर सिंह
52. श्री रणजीत रावत
53. डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'
54. श्री राजकुमार
55. " राजेन्द्र सिंह भण्डारी
56. " राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
57. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
58. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
59. श्रीमती वीना महराना
60. श्री शहजाद
61. " शैलेन्द्र सिंह रावत
62. " सुरेन्द्र राकेश
63. " सुरेन्द्र सिंह जीना
64. " सुरेश चन्द जैन
65. डा0 हरक सिंह रावत
66. श्री हरभजन सिंह चीमा
67. " हरिदास
68. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

## सोमवार, दिनाँक 02 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

## कतिपय विषयों को नियम-310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य आसन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी बात कैसे आयेगी।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 के अन्तर्गत कुल चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा० हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत, श्रीमती अमृता रावत, श्री बलवीर सिंह नेगी तथा श्री मनोज तिवारी की प्राप्त हुई है। जो प्रदेश में आबकारी नीति के सम्बन्ध में है। आपको ज्ञात ही है कि आज वर्ष 2007-2008 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है। बजट पर सामान्य चर्चा तथा आबकारी विभाग के अनुदान की माँगों पर आप विस्तार से इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं इसे नियम-310 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री केदार सिंह रावत, श्री बलवीर सिंह नेगी की प्राप्त हुई है। जो औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी के सम्बन्ध में प्रदेश शासन द्वारा जारी अध्यादेश को समय पर विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम-310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसे असरकारी विधेयक के रूप में ला सकते हैं। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य काजी मौ० निजामुद्दीन द्वारा 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्य बसपा के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुये हैं। इसमें माननीय सदस्य श्री खजान दास, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री केदार सिंह रावत आदि कई नये सदस्यों के प्रश्न लगे हुए हैं। कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्यों के प्रश्न लगे हैं, कृपया कार्यवाही को चलने दें। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी जी द्वारा 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहने पर''।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी जी जो कह रहे हैं, कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें। आप सहमत होंगे कि अनेक अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न लगे हैं और मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कृपया व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्यों से कहें कि आसन ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)–

X X X X X

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष की कोई बात लिखी नहीं जायेगी, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जब तक सभी माननीय सदस्य आसन ग्रहण नहीं कर लेते तब तक माननीय सदस्यों की कोई भी बात कार्यवाही में अंकित नहीं की जायेगी।

---

नोट:– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

[X X X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

[X X X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री शहजाद द्वारा 'वेल' में खड़े रहकर कुछ कहने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक आप अपना आसन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी बात कैसे आयेगी। मैं चाहता हूँ आप आसन ग्रहण करें। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर, 'वेल में आकर नारे लगाने लगे।)

---

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रश्न पर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, वह अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। एक–आध दिन में वह आ जायेगा, तब आप अपनी बात रख सकते हैं। कृपया आप सदन की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान)

(काजी मौ० निजामुद्दीन द्वारा 'वेल' में खड़े रहकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ''काजी'' निजामुद्दीन जी आप पुराने सदस्य हैं। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के कुछ माननीय सदस्य 'वेल में बैठ गये और नारे लगाने लगे।)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्यों से कहें कि वे अपना आसन ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 में माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री तिलक राज बेहड़, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री यशपाल आर्य तथा श्री प्रीतम सिंह की जो सूचना गन्ना किसानों के गन्ने के भुगतान के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, इसमें अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार हुए हैं। संभवतः एक–दो दिन में यह अल्पसूचित प्रश्न कार्यसूची में लगेंगे। यदि माननीय सदस्य उत्तर से सन्तुष्ट न हों, तो इस पर चर्चा की माँग कर सकते हैं।

(माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन ने 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहा।) (व्यवधान)

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, रानीचौरी विश्वविद्यालय के अध्यादेश के सम्बन्ध में भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे अस्वीकार कर चुका हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य यहाँ पर जो विषय माननीय सदन के संज्ञान में ला रहे हैं, माननीय सदस्य उन सभी विषयों को उचित नियमों के अन्तर्गत लाएं, सरकार इनको सुनने के लिए तैयार है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि नियमों के अन्तर्गत लाएं। सरकार जो शासनादेश परिवर्तित कर रही है, उसको हम नियमों के तहत ही लाए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक हाऊस व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक कोई बात सुनी नहीं जाएगी, आपकी बात भी नहीं आएगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम हाऊस को व्यवस्थित करने में सहयोग देने को तैयार हैं लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि नियमों के अन्तर्गत सूचना नहीं है। हम तो स्वयं चाहते हैं कि हाऊस व्यवस्थित हो। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री तिलक राज बेहड़, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री यशपाल आर्य तथा श्री प्रीतम सिंह की जो सूचना गन्ना किसानों के गन्ने के भुगतान के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, इसमें अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार हुए हैं। संभवतः एक–दो दिन में यह अल्पसूचित प्रश्न कार्यसूची में लगेंगे। यदि माननीय सदस्य उत्तर से सन्तुष्ट न हों, तो इस पर चर्चा की माँग कर सकते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

---

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

# प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित प्रश्न

### उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की दिल्ली से देहरादून तक संचालित बस सेवाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से अनुबन्ध

**1. श्री खजान दास–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की दिल्ली से देहरादून तक संचालित होने वाली बसों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुबन्ध हुआ है?

क्या यह सत्य है कि इन बसों के संचालन से उत्तराखण्ड परिवहन निगम की आय प्रभावित हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन बसों के संचालन पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी हाँ।

---

नोटः– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

जी हाँ।

जी हाँ।

सम्प्रति कार्यवाही गतिमान है, दिनाँक 6–6–07 को एक उच्चस्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया था जिसमें परिवहन संचालन हेतु दोनों राज्यों के बीच समझौते की रूपरेखा तैयार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

## प्रदेश में विद्युत कटौती

**2. श्री प्रीतम सिंह एवं काजी मो0 निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्युत कटौती की जा रही है?

यदि हाँ, तो विद्युत कटौती कब तक जारी रहेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

वर्तमान में पूर्व निर्धारित विद्युत कटौती नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## तारांकित प्रश्न

## प्राथमिक विद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को छात्रवृत्ति

*1. श्री केदार सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्राथमिक विद्यालयों में मात्र तीन छात्र प्रति वियालय छात्रवृत्ति दी जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार यह छात्रवृत्ति सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दिये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अजय टम्टा)–

जी हाँ।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

## समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्ति व पेंशन योजनाओं का एकाउन्ट पेयी चैकों द्वारा भुगतान

*2. श्री केदार सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्ति व पेंशन योजनाओं के वितरण में शासन द्वारा एकाउण्ट पेयी चैकों द्वारा भुगतान की व्यवस्था है?

क्या यह सत्य है कि प्रत्येक गाँव में पोस्ट ऑफिस या बैंक न होने के कारण छोटी राशि के लिये लाभार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है?

क्या सरकार इस वितरण को पे–आर्डर या बीयरर चैक के माध्यम से वितरित करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री अजय टम्टा–

समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ एवं पेंशन के वितरण में एकाउन्ट पेयी चैकों द्वारा बैंक खातों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था है। शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में तथा जिन स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की व्यवस्था नहीं है उन स्थानों पर सहकारी बैंक की सहकारी समितियों के माध्यम से और जहाँ सहकारी समिति भी नहीं है वहाँ पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पेंशन की धनराशि मनीआर्डर से भी भेजी जा रही है तथा छात्रवृत्ति का सही वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाकघर, बैंक खाते तथा सहकारी बैंक से भुगतान की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद हरिद्वार में उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

*3. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में उद्यान विभाग द्वारा क्या–क्या योजनायें चलाई जा रही हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में विभाग द्वारा दिये गये ऋण व अनुदान से कितने किसानों द्वारा उद्यान लगाये गये?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

तथा दोषी अधिकारियों व किसानों पर कार्यवाही करेगी?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद हरिद्वार में उद्यान विभाग द्वारा जिला सैक्टर के अन्तर्गत (i) प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास (ii) उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन/पौधालय विकास (iii) उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन (एस0सी0एस0पी0) (iv) उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं पौधालय विकास (टी0एस0पी0) तथा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत (i) सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन एवं विकास (एस0सी0एस0पी0) (ii) अधिष्ठान–उद्यान सचल दल केन्द्रों की स्थापना (iii) राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण की योजनायें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रपोषित हार्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के अन्तर्गत भी विभिन्न औद्यानिकी विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

उद्यान विभाग द्वारा विभागीय योजनान्तर्गत काश्तकारों को राजसहायता, अनुदान के रूप में दी जाती है। राज्य गठन से वर्तमान तक जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में विभाग द्वारा दिये गये अनुदान से जिला योजनान्तर्गत 106 काश्तकारों तथा केन्द्र पोषित हार्टिकल्चर टैक्नोलाजी मिशन की योजनान्तर्गत 133 काश्तकारों अर्थात् कुल–239 काश्तकारों द्वारा उद्यान लगाये गये हैं। वर्तमान में विभाग से काश्तकारों को ऋण दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ। यदि आवश्यक हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

## स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (वर्ष 2005–2006 तथा 2006–07) के अन्तर्गत जनपदों को आवंटित धनराशि

*4. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों को कितनी–कितनी धनराशि आवंटित की गई?

क्या यह सही है कि जनपद हरिद्वार को जनसंख्या के अनुपात में अपेक्षाकृत कम धनराशि आवंटित की गयी है?

यदि हाँ, तो कम धनराशि आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री अजय टम्टा–

वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जाति उपयोजना (अवस्थापना सुविधाओं का विकास) के अन्तर्गत जनपदों को आवंटित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | आवंटित धनराशि (रु0 लाख में) | |
|---|---|---|---|
| | | वर्ष 2005–06 | वर्ष 06–07 |
| 1. | अल्मोड़ा | 384.75 | 456.50 |
| 2. | उत्तरकाशी | 155.50 | 219.31 |
| 3. | ऊधमसिंह नगर | 279.92 | 529.21 |
| 4. | चम्पावत | 94.85 | 123.85 |
| 5. | चमोली | 123.75 | 219.55 |
| 6. | टिहरी गढ़वाल | 183.50 | 283.87 |
| 7. | देहरादून | 135.98 | 563.83 |
| 8. | नैनीताल | 220.75 | 481.70 |
| 9. | पौड़ी गढ़वाल | 344.50 | 346.70 |
| 10. | पिथौरागढ़ | 384.50 | 423.98 |
| 11. | बागेश्वर | 252.50 | 209.75 |
| 12. | रुद्रप्रयाग | 75.30 | 131.03 |
| 13. | हरिद्वार | 203.43 | 984.05 |

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को शिक्षा विभाग के अध्यापकों के अनुरूप वेतनमान

*5. श्री गोपाल सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित अनु0जा0जाति के छात्र–छात्राओं की पढ़ाई हेतु रा0 आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को शिक्षा विभाग के अध्यापकों के अनुरूप वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि समान कार्य समान वेतन नीति के अन्तर्गत रा0 आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को वेतन शिक्षा विभाग के अध्यापकों के बराबर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजय टम्टा–

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अध्यापकों को शासनादेश संख्या–1569/XVII(1)/2005–463(स0क0)/2.002, दिनाँक 25 अक्टूबर, 2005 के द्वारा दिनाँक 28 अक्टूबर, 2004 से पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षकों को शासनादेश संख्या–3418/26–1–2004–119(138)/98, दिनाँक 28 अक्टूबर, 2004 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप वेतनमान पुनरीक्षित किए गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में 'सिडकुल' द्वारा आवंटित भू–खण्डों की भू–स्वामियों द्वारा पुनः बिक्री

*6. श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या उद्योग मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 'सिडकुल' द्वारा प्रदेश में कितने लोगों को भू–खण्ड आवंटित किया गया है?

क्या यह सत्य है कि आवंटित भू–खण्ड के स्वामियों द्वारा भू–खण्ड का स्वयं उपयोग न करके खण्डों की बिक्री की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या बिक्री पर सरकार द्वारा कोई रोक की कार्यवाही की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

सिडकुल द्वारा प्रदेश में कुल 1031 औद्योगिक इकाईयों को 1496 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।

सिडकुल की तत्कालीन स्थानान्तरण नीति के अनुसार, हरिद्वार औद्योगिक आस्थान में 173 एवं पन्तनगर में 12 भू–खण्ड स्वामियों को उनके भू–खण्डों के

हस्तान्तरण की अनुमति सिडकुल द्वारा दी गयी थी। तदोपरान्त अप्रैल, 2006 के पश्चात सिडकुल द्वारा हस्तान्तरण पर रोक लगा दी गयी थी, तथा उसके पश्चात किसी भी भू–खण्ड का विक्रय नहीं किया गया है।

जी हाँ।

बिक्री की रोक के उद्देश्य से भू–खण्ड स्वामी से प्लाट आवंटन के समय ही भू–खण्ड हस्तान्तरण न किये जाने सम्बन्धी अन्डरटेकिंग ले ली जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

## एम0डी0डी0ए0 को समाप्त करने पर विचार

*7. श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा एम0डी0डी0ए0 को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों का उच्चीकरण

*8. श्री गोपाल सिह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की पढ़ाई हेतु सरकार द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों को उच्चीकृत किए जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजय टम्टा–

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति के 16 विद्यालयों को उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत जिला या राज्य योजना द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण का निर्धारण

*9. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय निधि, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी 5 वर्ष तक ठेकेदार की होती है?

यदि हाँ, तो क्या जिला योजना या राज्य योजना द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी 5 वर्ष तक ठेकेदार की निर्धारित की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

केवल प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ही निर्मित सड़कों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी 5 वर्ष तक ठेकेदार की होती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परिणामों के आधार पर परीक्षणोपरान्त विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लक्सर स्थित हड़वाहे नाले पर सेतु निर्माण तथा महेशरा से गोर्धनपुर तक सड़क अनुरक्षण कार्य

*10. श्री प्रणव सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लक्सर विधान सभा में लो0नि0वि0 द्वारा पूर्व में एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत कान्हेवाली के हड़वाहे नाले पर सेतु निर्माण (वर्ष 2004–05), बीजोपुरा से मिर्जापुर के मध्य हड़वाहे नाले पर सेतु निर्माण (वर्ष 2003–04) तथा महेशरा से गोर्धनपुर–लक्सर मार्ग तक सड़क अनुरक्षण कार्य (वर्ष 2004–05) का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार अति–पिछड़े खादर क्षेत्र के विकासार्थ उक्त कार्यों को पूर्ण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

दोनों पुलों के निर्माण की लागत में वृद्धि एवं विशिष्टियों में परिवर्तन होने के कारण।

महेशरा से गोर्धनपुर–लक्सर मार्ग लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

*11. श्री प्रणव सिंह–

(द्वितीय शुक्रवार के तारां०प्र०–4 में स्था०)

## राज्य में चुनाव आचार संहिता से प्रभावित पुलिस भर्ती प्रक्रिया का पुनः प्रारम्भ

*12. श्री प्रणव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री अवगत हैं कि चुनाव आचार संहिता से पूर्व राज्य में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को मध्य में ही रोके जाने के क्या कारण थे?

क्या सरकार लोकहित में इस रुकी हुई प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ कराये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में दिनाँक 21–02–2007 को मतदान होना निर्धारित किया गया था। अतः चुनाव ड्यूटियों को दृष्टिगत रखते हुए दिनाँक 10–01–2007 को अभ्यर्थियों की नाप जोख सम्पन्न होने के उपरान्त प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया स्थगित की गयी थी।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

## जाट समुदाय को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किए जाने की माँग

*13. श्री शहजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाले जाट समुदाय के लोगों को उत्तर प्रदेश की भाँति उत्तराखण्ड में भी पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजय टम्टा–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अधिसूचना संख्या–488/सत्रह–वि0(क)8–1994, दिनाँक 23 मार्च, 1994 द्वारा प्रसारित 55 जातियों को उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–1415/का0–2/2001, दिनाँक 30 अगस्त, 2001 द्वारा अंगीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत विभिन्न जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया है, के क्रम में अधिसूचना संख्या 334/64–1–2000–46/95, दिनाँक 10 मार्च, 2000 द्वारा क्रमाँक–78 पर जाट जाति को पिछड़ी जाति सूची में सम्मिलित किया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 दिनाँक 23 मार्च, 1994 द्वारा प्रसारित तथा उत्तराखण्ड राज्य गठन की तिथि तक उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ी जाति में सम्मिलित जातियों के सम्बन्ध में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अभिमत माँगा जा रहा है कि उक्तानुसार 79 जातियों में से कौन–कौन सी जातियाँ उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत हैं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने योग्य हैं।

उक्तानुसार।

*14. श्री यशपाल बेनाम एवं

श्री किशोर उपाध्याय–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन विषय होने के आधार पर निरस्त)

## विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित प्रारूप पर पुनः केन्द्र सरकार/निर्वाचन आयोग से संशोधन हेतु अनुरोध

*15. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि राज्य की विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित अन्तिम प्रारूप भारत के निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है?

क्या राज्य सरकार प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार/निर्वाचन आयोग को संशोधन हेतु अनुरोध करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

परिसीमन आयोग द्वारा आलेख्य प्रकाशन के उपरान्त जनसाधारण एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे/आपत्तियों पर सुनवाई एवं सहयुक्त सदस्यों के साथ विचार–विमर्श करने के उपरान्त राज्य के लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को परिसीमन आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया गया।

परिसीमन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना दिनाँक 282/यू0टी0ए0/2006, दिनाँक 28 दिसम्बर, 2006 के द्वारा राज्य के लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप अन्तिम रूप दे दिया गया है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए परिसीमन आयोग को संसोधान हेतु अनुरोध किये जाने की कोई गुन्जाइश नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बिन्दु संख्या–2 के अनुरूप।

## राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण नीति का निर्धारण

*16. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण नीति का निर्धारण कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद उत्तरकाशी में संचालित लोहारी नागपाला व पाला मनेरी जल विद्युत परियोजनाओं की पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट

*17. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में संचालित लोहारी नागपाला व पाला मनेरी जल विद्युत परियोजनाओं की पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट तैयार की गई है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त रिपोर्ट उपलब्ध कराई जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

सम्बन्धित रिपोर्ट काफी वृहद होने के कारण रिपोर्ट की प्रति विधान सभा सचिवालय के पुस्तकालय में रख दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

## छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाते खुलवाने की बाध्यता को समाप्त कर भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण

*18. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में छात्र/छात्राओं को देय 500 रु0 की छात्रवृत्ति पर बैंकों में खाता खुलवाने की बाध्यता है जिससे छात्र/छात्राओं को भारी परेशानियों तथा व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार खाता खुलवाने की बाध्यता को समाप्त कर छात्रवृत्ति भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजय टम्टा–

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को शासनादेश संख्या–694/XVII(1)/2006–03(07)/2006, दिनाँक 26 जुलाई, 2006 द्वारा सरलीकृत कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत कक्षा–1 से 8 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति ग्राम शिक्षा समिति के खातों में हस्तान्तरित की जाती है। कक्षा–9 से ऊपर की छात्रवृत्ति विद्यालय के खातों में स्थानान्तरित की जाती है। ग्राम शिक्षा समिति/प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी अथवा उनके माता–पिता अथवा संरक्षक के नाम से खुले खाते में धनराशि हस्तान्तरित की जाती है। इस प्रयोजन हेतु पूर्व से संचालित खाते का भी उपयोग करने का विकल्प उपलब्ध है। ग्राम शिक्षा समिति/प्रधानाचार्य द्वारा एकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से छात्रवृत्ति का

भुगतान किया जाता है। विद्यार्थी/माता–पिता/संरक्षक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक की सुविधा न होने पर डाकघर में खाता खुलवाकर छात्रवृत्ति के भुगतान की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी द्वारा स्वतन्त्र फीडर लाईन की व्यवस्था

*19. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी द्वारा स्वतन्त्र फीडर लाईन निर्माण के लिये 31–03–83 को 318990.00 रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विद्युत विभाग में जमा किये गये थे?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि 23 वर्ष बाद भी आज तक विभाग द्वारा स्वतन्त्र फीडर लाईन व्यवस्था नहीं की गयी है?

क्या सरकार इस प्रकरण की शीघ्र जाँच करवाकर स्वतन्त्र फीडर लाईन की व्यवस्था करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ, परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था से सम्बन्धित फीडर भी भूस्खलन के कारण वर्ष 2003 में क्षतिग्रस्त हो गया। पुनः अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 को ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/ऋण, व्यय का विवरण

*20. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 को ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से राज्य निर्माण के उपरान्त गत वर्षों में कितना अनुदान/ऋण प्राप्त हुआ तथा यह ऋण सरकार द्वारा किन कार्यों के लिए दिया गया है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कॉरपोरेशन को जिन कार्यों के लिये अनुदान/ऋण प्राप्त हुआ उन्हीं कार्यों पर इसका व्यय किया गया तथा 31-3-07 तक उक्त योजना के अन्तर्गत कितना धन व्यय हुआ एवं कितना अनुदान/ऋण अभी तक शेष है?

क्या उक्त योजना का उद्देश्य पूर्ण हो गया है?

यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है?

संलग्नः-यथोपरि।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी-

वर्ष 2001-2002 से 2005-2006 तक ऋण के रूप में रुपये 3340.20 लाख तथा अनुदान के रूप में रुपये 28134.20 लाख की धनराशि प्राप्त हुई।

वित्त पोषण संलग्न सूची में दिये गये कार्यों हेतु दिया गया।

दिनाँक 31-3-2007 तक योजना के अन्तर्गत व्यय विवरण निम्नानुसार है:-

(1) भारत सरकार से प्राप्त रु0 31474.40 लाख

(2) व्यय की धनराशि रु0 27841.00 लाख

योजना के उद्देश्य की अधिकाँशतः पूर्ति हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 121 पर)

## अतारांकित प्रश्न

## रवाल्टा व जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही

1. श्री केदार सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार रवाल्टा व जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय अनुसूची में शामिल करने के लिए कार्यवाही कर रही है?

यदि हाँ, तो प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

जी हाँ।

राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किसी जाति/समुदाय को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है। उत्तराखण्ड राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित रवाल्टा/जौनपुरी समुदाय को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक की गमरी, दिचली व बिष्ट पट्टियों की आबादी को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने विषयक

2. श्री केदार सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड ब्लॉक की गमरी, दिचली व बिष्ट पट्टियों की जनता को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने विषयक पत्रावली समाज कल्याण विभाग में लम्बित है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों की आबादी को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर यथासम्भव प्राथमिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के क्रम में नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 की जिला योजना संरचना में तद्नुसार समस्त जिलाधिकारियों को मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उपरोक्तानुसार।

## अल्मोड़ा निवासी श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, ग्राम बीना, ताकुला को अग्निकाण्ड क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान

3. श्री चन्दन राम दास–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 2145/पन्द्रह–133/मु0म0वि0को0/2005–06, दिनाँक 28–12–2006 द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जोशी पुत्र स्व0 ठाकुर दत्त, ग्राम बीना, ताकुला, तहसील अल्मोड़ा को अग्निकाण्ड क्षति हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति पर तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा कम्प्यूटर नं0–131614/2006–2007 पर 5.00 लाख रु0 स्वीकृत किये गये?

यदि हाँ, तो यह धनराशि पीड़ित अभ्यर्थी को कब तक प्राप्त हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के सन्दर्भित पत्रांक दिनाँक 28–12–2006 पर स्वीकृति नहीं दी गयी, वरन प्रश्नगत स्वीकृति श्री प्रदीप टम्टा, पूर्व मा0 विधायक की संस्तुति पर दिनाँक 29–12–2006 को स्वीकृत किये। तत्समय आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण स्वीकृत के शासनादेश जारी नहीं किये जा सके।

प्रश्न नहीं उठता। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी, अल्मोड़ा से प्राप्त आख्या दिनाँक 28–12–2006 का परीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार को नियमानुसार रु0 35,000/– की स्वीकृति प्रदान करते हुए जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के माध्यम से दिनाँक 08–05–2007 को वितरण हेतु प्रेषित किया गया, जो पीड़ित परिवार को दिनाँक 04–06–2007 को प्राप्त हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु रा0 डिग्री कॉलेज खोले जाने की माँग

4. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज खोले जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय अपेक्षित संख्या में उपलब्ध होने के कारण वर्तमान में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

## जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की वितरण खण्ड में वर्ष 2006–07 में जले ट्रान्सफार्मर तथा मरम्मत में कुल व्यय धनराशि

5. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की वितरण खण्ड में गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में कितने ट्रान्सफार्मर किस–किस गाँव में जले तथा जले हुए ट्रान्सफार्मर किस एजेन्सी के द्वारा ठीक कराये गये?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि एक ट्रान्सफार्मर ठीक कराने में औसतन कितना धन खर्च किया जाता है तथा उक्त वित्तीय वर्ष में ट्रान्सफार्मर ठीक कराने पर कितना धन व्यय (खर्च) किया गया?

श्री प्रकाश पन्त–

कुल 1088 ट्रान्सफार्मर जले। गाँव वार सूची तैयार की जा रही है।

जले हुए ट्रान्सफार्मरों को केन्द्रीय स्तर पर निम्नांकित एजेंसियों से ठीक कराया गया:–

1. मै० हिल्स्टोर्न, देहरादून।
2. मै० जे०पी० इलैक्ट्रिकल्स, देहरादून।
3. मै० सनशाइन इण्डस्ट्रीज, रुड़की।
4. मै० बंसल ट्रान्सफार्मर, रुड़की।
5. मै० बंसल इलैक्ट्रिकल्स, रुड़की।
6. मै० इलैक्ट्रोमैक, रामपुर।

रुपये 16,000.00 (सोलह हजार मात्र)

लगभग रुपये 174.00 लाख (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)।

## जनपद पिथौरागढ़ में स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण एवं सुधार कार्य

6. श्री ओम गोपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश सं० 63/III–2/91(प्र०आ०)/05, दिनांक 16–01–06 द्वारा क्रमांक 8 पर जनपद पिथौरागढ़ में स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण एवं सुधार का कार्य पूरा हो गया है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो निर्माण एवं सुधार कब तक पूरा करने का लक्ष्य है?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

## जनपद पिथौरागढ़ में स्वीकृत धराड़ी–नागघूणा–चौरपाल–शिवना–पाली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की स्थिति

7. श्री ओम गोपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश सं0–826/III–2/06–41(प्र0आ0)/03, दिनाँक 28–03–06 द्वारा स्वीकृत जनपद पिथौरागढ़ में धराड़ी–नागघूणा–चौरपाल–शिवना–पाली मोटर मार्ग अब तक कितने कि0मी0 सड़क निर्माण हुआ है?

यदि नहीं, तो क्यों?

कब तक उक्त निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण सड़क निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात्।

## श्री त्रिलोचन एवं श्रीमती भागीरथी देवी को स्वीकृत विवेकाधीन कोष धनराशि के वितरण का ब्यौरा

8. श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सम्बोधित उनके कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्रॉक–डी–1385/XXXV(3)/2006–07, दिनाँक 11 दिसम्बर, 2006 के क्रमॉक 110365/2006–07 पर श्री त्रिलोचन एवं श्रीमती भागीरथी देवी को विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता स्वीकार हुई है?

यदि हाँ, तो स्वीकृत धनराशि का वितरण कर दिया है?

यदि नहीं, तो कब तक उक्त सहायता राशि का वितरण कर दिया जायेगा?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी नहीं।

जिलाधिकारी को रु0 5,000/– से अधिक स्वीकृत आर्थिक सहायता का भुगतान आवेदकों को किये जाने से पूर्व जाँच कर आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जाँच आख्या सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

## जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित रा0 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा हेतु भवन निर्माण

9. श्री गोपाल सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में सरकार द्वारा संचालित रा0 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा, ऊधमसिंह नगर के भवन हेतु ग्राम अमाऊँ में भूमि आवंटित की जा चुकी है?

क्या यह सत्य है कि बी0ए0डी0पी0 द्वारा छात्रावास हेतु तीन कमरे भी निर्मित किए जा चुके हैं?

यदि हाँ, तो सरकार शेष भवन हेतु उक्त भूमि पर विद्यालय भवन निर्माण कब तक करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जी हाँ।

आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माण योजना 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। विद्यालय के निर्माण हेतु प्राप्त आगणन का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। जिसे केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा। केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कराया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित रा0आ0प0 विद्यालय खटीमा हेतु नये भवन का निर्माण

10. श्री गोपाल सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में रा0आ0प0 विद्यालय खटीमा का विद्यालय भवन पुराना व अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय हेतु नये भवन निर्माण कराये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

उक्त विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में रुपये 23.64 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। चूँकि आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण की योजना 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित है। अतः केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त नए भवन का निर्माण कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

## प्रदेश के मैदानी ग्रामीण अंचलों में खराब ट्रान्सफार्मरों एवं पुरानी विद्युत लाईनों का बदला जाना

11. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के मैदानी ग्रामीण अंचल में विद्युत वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने हेतु खराब ट्रान्सफार्मरों को कितनी अवधि में बदले जाने की व्यवस्था है?

क्या सरकार खराब ट्रान्सफार्मरों एवं पुरानी विद्युत लाईनों को समयबद्ध तरीके से बदले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

सामान्यतया 2–3 दिन एवं कभी–कभी 7–8 दिन में बदल दिये जाते हैं।

यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जिला ऊधमसिंह नगर के खटीमा में, टनकपुर–बनबसा–पीलीभीत–पूरनपुर–सितारगंज तक बाईपास मार्ग का निर्माण

12. श्री गोपाल सिंह–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जिला ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा में बाईपास मार्ग होने के कारण खटीमा मुख्य मार्ग पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है?

क्या मुख्यमंत्री जी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने हेतु खटीमा में टनकपुर–बनबसा–पीलीभीत–पूरनपुर–सितारगंज आने–जाने वाले वाहनों हेतु बाईपास मार्ग के निर्माण कराये जाने पर विचार करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

सामान्यतः नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना स्वीकृत नहीं है।

## जनपद हरिद्वार में विधवा एवं वृद्धावस्था (वर्ष 2006–07) पेंशन तथा पारिवारिक लाभ योजना में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या एवं चयन की प्रक्रिया

13. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में वर्ष 2006–07 में विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन तथा पारिवारिक लाभ योजना में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा इनके चयन की प्रक्रिया क्या है?

श्री प्रकाश पन्त–

जनपद हरिद्वार में वर्ष 2006–07 में विधवा पेंशन में 4850, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 11103 एवं पारिवारिक लाभ योजना में 516 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

विधवा पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना में शासनादेश संख्याः 1547/36–चार, 1990 लखनऊ, दिनाँक 30 मार्च, 1990 के अनुसार उक्त दोनों पेंशनों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम समाजों की खुली बैठक में पात्र लाभार्थियों का चयन कर स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा शहरी क्षेत्रों में परगनाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त पेंशन दिये जाने की कार्यवाही की जाती है। पारिवारिक लाभ योजना में बी0पी0एल0 परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु पर जिसकी आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य हो तथा जिसका परिवार की आय में पर्याप्त योगदान हो, पात्रता निर्धारित है। योजना के अन्तर्गत प्रभावित परिवार को रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

## जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में बिहारीगढ़ तक नये मोटर मार्ग का निर्माण

14. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में रोशनाबाद में बिहारीगढ तक नये मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष में दे दी गई थी?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद हरिद्वार में वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु सहायता

15. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु दी जाने वाली सहायता से अब तक कितने परिवारों को लाभ दिया गया है तथा परिवारों के चयन की प्रक्रिया क्या है?

श्री प्रकाश पन्त–

जनपद हरिद्वार में वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु 243 परिवारों को लाभ दिया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्थलीय जाँच तहसील स्तर पर होने के उपरान्त पात्र लाभार्थियों का चयन शासनादेश संख्या–624/26–3–2000–4(188)/93, दिनाँक 19 फरवरी, 2000 के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी तथा सदस्य सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं।

## जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा लोहिया हैड जल विद्युत गृह द्वारा विद्युत उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने पर विचार

16. श्री गोपाल सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा लोहिया हैड जल विद्युत गृह द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है?

क्या खटीमा लोहिया हैड जल विद्युत गृह की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

खटीमा लोहिया हैड जल विद्युत गृह की तीनों इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2006–07 में निर्धारित लक्ष्य 156 मि0यू0 के सापेक्ष 154.034 मि0यू0 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के माह अप्रैल एवं मई, 2007 में निर्धारित लक्ष्य 27.00 मि0यू0 के सापेक्ष 25.873 मि0यू0 विद्युत उत्पादन किया गया है।

विद्युत गृह के विद्युतीय एवं यांत्रिकी उपकरणों के अवशेष जीवन आंकलन का कार्य करवाया जा चुका है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

उपरोक्त के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

## जनपद हरिद्वार में वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक, के अन्तर्गत अनु0जा0 के लोगों पर हुये उत्पीड़न के पंजीकृत मुकदमें एवं उनका विवरण

17. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में वर्ष 2002 से 2007 तक प्रति वर्ष कितने अनुसूचित जाति के उत्पीड़न (एस0सी0एक्ट) के मुकदमें दर्ज किये गये? क्या सभी मुकदमों में चार्ज शीट लगाई गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद हरिद्वार में वर्ष 2002 से 2007 अब तक अनुसूचित जाति के उत्पीड़न (एस0सी0एक्ट) के कुल 199 मुकदमें पंजीकृत हुये हैं, जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नवत् है:–

| वर्ष | पंजीकृत अभियोगों की संख्या | अभियोगों की संख्या जिनमें आरोप–पत्र प्रेषित किया गया | अभियोगों की संख्या जिनमें आरोप–पत्र प्रेषित नहीं किया गया | आरोप–पत्र प्रेषित न करने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 36 | 19 | 17 | साक्ष्य अभाव |
| 2003 | 42 | 26 | 16 | साक्ष्य अभाव |
| 2004 | 43 | 27 | 16 | साक्ष्य अभाव |
| 2005 | 34 | 21 | 13 | साक्ष्य अभाव |
| 2006 | 32 | 20 | 12 | साक्ष्य अभाव |
| 2007 अब तक | 12 | 05 | 02 | 05 अभियोग विवेचनाधीन |

## प्रदेश में अनु0 जाति के लोगों का सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा

18. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों का सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा पूर्ण है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु कोई ठोस योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं, सभी सेवाओं में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है।

राज्य सरकार के अधीन सेवाओं/पदों में रिक्त पदों को भरने के लिए चयन किये जा रहे हैं। चयन में आरक्षित वर्ग की रिक्तियों को भी भरा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मियों को पर्वतीय विकास भत्ता

19. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के मैदानी जिलों हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मियों को पर्वतीय विकास भत्ता दिया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

## लक्सर हरिद्वार मार्ग से दुर्गागढ़ तक कच्चे मार्ग पर सड़क मार्ग का निर्माण

20. श्री प्रणव सिंह–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार पथरी में वन गुर्जर समुदाय की बस्ती हेतु सम्पर्क मार्ग जीर्ण–शीर्ण हालत में है, जिससे इन जन–जातियों, निर्धन, पिछड़े समुदाय को अत्यधिक कठिनाई होती है?

क्या सरकार जनहित में लक्सर हरिद्वार मार्ग से दुर्गागढ़ तक कच्चे मार्ग पर विशेष मात्राकरण योजना के अन्तर्गत सड़क मार्ग का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी के हर्षिल उपला टकनौर क्षेत्र में गंगोत्री धाम तक ग्रिड लाईन निर्माण

21. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के हर्षिल उपला टकनौर क्षेत्र में विद्युत समस्या को दृष्टिगत रखते हुए गंगोत्री धाम तक ग्रिड लाईन का निर्माण कराया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी के नौगाँव तथा वि0ख0 डुण्डा के विभिन्न गांवों में विद्युत आपूर्ति

22. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत नौगाँव (केलसू) तथा विकास खण्ड डुण्डा में गाजणा क्षेत्र के भड़कोट, बागी, ढाण्डी, कमद और कुमारकोट गाँवों में विद्युत सप्लाई एक वर्ष से बन्द पड़ी है?

यदि हाँ, तो उक्त गाँवो में कब तक विद्युत सप्लाई शुरू की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ। कतिपय कारणों से आपूर्ति बाधित हुई।

विकास खण्ड डुण्डा में गाजणा क्षेत्र के मड़कोट, बागी, ठाण्डी, कमद और कुमारकोट में विद्युत आपूर्ति वर्तमान में सुचारू है।

नौगाँव (केलसू) के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण आपूर्ति बन्द है। वसूली होने पर आपूर्ति बहाल की जा सकेगी।

## वि0ख0 भटवाड़ी के गंगोरी में पावर हाउस का पुनः संचालन

23. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि विकास खण्ड भटवाड़ी के गंगोरी में संचालित पावर हाउस बन्द पड़ा हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त पावर हाउस को कब तक पुनः संचालित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद उत्तरकाशी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित गाँव व मजरे के कार्यों की जाँच

24. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है?

क्या यह सत्य है कि अभी भी कई गाँव व मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त कार्यों की जाँच करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

चिन्हित कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

कोई राजस्व गाँव विद्युतीकरण से वंचित नहीं है। केवल कुछ तोक विद्युतीकरण हेतु अतिरिक्त चिन्हित हुये हैं।

सर्वेक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

25. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

(द्वितीय बुधवार के अता० प्र०–12 में स्था०)

## जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रतापनगर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की माँग

26. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर की विषम भौगोलिक स्थिति, टिहरी जलाशय के कारण उत्पन्न विकट परिस्थिति व अत्यधिक पिछड़ेपन के कारण प्रतापनगर को पिछड़ा क्षेत्र कब तक घोषित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर यथासम्भव प्राथमिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के क्रम में नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 की जिला योजना संरचना में तद्नुसार समस्त जिलाधिकारियों को मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उक्तानुसार।

## मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धन आवंटन की प्रक्रिया में परिवर्तन

27. श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धन आवंटन किये जाने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद टिहरी के प्रतापनगर अन्तर्गत उपली रमोली क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति

28. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर अन्तर्गत उपली रमोली क्षेत्र में विद्युत सप्लाई लम्बे समय से बन्द है और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत सप्लाई की माँग की जा रही है?

यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में विद्युत सप्लाई कब से प्रारम्भ की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रतापनगर क्षेत्र में पीपलडाली से धौन्तरी मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण

29. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में टिहरी बाँध परियोजना झील निर्माण के कारण पीपलडाली पुल से लम्बगाँव की ओर बढ़ते यातायात को दृष्टिगत रखकर पीपलडाली से धौन्तरी तक मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण कराया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना स्वीकृत नहीं है।

## ऊधमसिंह नगर के खटीमा स्थित पुराने तहसील कार्यालय परिसर में शहीद स्मारक बनाये जाने पर विचार

30. श्री गोपाल सिंह–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर की खटीमा तहसील के परिसर में सितम्बर, 1994 को उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों ने सबसे अधिक शहादत दी थी?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उत्तराखण्ड आन्दोलन के शहीदों की स्मृति में खटीमा तहसील कार्यालय के पुराने परिसर में शहीद स्मारक बनाये जाने पर विचार करेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

खटीमा तहसील के परिसर में सितम्बर, 1994 को सात उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों द्वारा शहादत दी गयी थी।

खटीमा में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य माह–अक्टूबर, 2003 में पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित गाँव तथा विद्युतीकरण का विवरण

31. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की कुल संख्या कितनी है?

क्या उक्त सभी ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के 2148 ग्रामों को निम्नानुसार कार्यों हेतु चयनित किया गया था:–

| | |
|---|---|
| अविद्युतीकृत ग्राम– | 113 |
| विद्युत बाधित ग्राम– | 87 |
| पूर्व विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण का संतृप्तीकरण– | 1948 |

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार्य में विलम्ब के कारण।

## जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत वर्ष 2003–2006 में स्वीकृत सड़कों के नाम, संख्या व निर्माण कार्य

32. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006 में निर्माण खण्ड रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल स्वीकृत सड़कों के नाम एवं संख्या क्या है?

क्या उक्त स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो किन–किन सड़कों में?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

114, सूची–1 संलग्न।

जी नहीं।

सूची–2 संलग्न।

संलग्न सूची–3 के अनुसार।

(विवरण देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 122 से 133 पर)

## प्रदेश के भेषज एवं जड़ी–बूटी विकास योजना में कार्यरत पर्यवेक्षकों एवं वर्गीकरण सहायकों की पदोन्नति

33. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के भेषज एवं जड़ी–बूटी विकास योजना में कार्यरत पर्यवेक्षकों एवं वर्गीकरण सहायकों को पदोन्नति दी गयी है?

यदि हाँ, तो कब एवं किस–किस को?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

सहकारिता विभाग के अधीन संचालित भेषज विकास योजना (सहकारी जड़ी–बूटी योजना) शासनादेश संख्या–1742/XVI/05/5(123)/05, दिनाँक 18 दिसम्बर, 2006 द्वारा उद्यान विभाग को हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप योजना का संचालन भेषज विकास इकाई के रूप में किया जा रहा है। पूर्व में सहकारिता विभाग के अधीन भेषज विकास योजनान्तर्गत प्रोन्नत किये गये कार्मिकों का विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 134 पर)

## जनपद देहरादून के वि0ख0 चकराता व कालसी में स्वीकृत नये मोटर मार्गों की संख्या एवं निर्माण कार्य

34. श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता व कालसी में कितने नये मोटर मार्ग स्वीकृत हैं?

क्या स्वीकृत मोटर मार्गों पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्गों की स्थिति क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वित्तीय वर्ष 2006–07 में 59 नये मोटर मार्ग स्वीकृत हैं।

6 मार्गों पर कार्य प्रारम्भ हुआ है।

संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वेक्षण, वन भूमि हस्तान्तरण एवं समरेखण कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण।

(विवरण देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 135 पर)

## जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मोटिला–गवाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग की स्वीकृति

35. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत मोटिला–गवाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग सुरईखेत तक स्वीकृत हो गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना स्वीकृत नहीं है।

## देहरादून के वि0ख0 विकासनगर के बिन्हार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की माँग

36. श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विकास खण्ड विकासनगर के बिन्हार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की घोषणा के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

क्या सरकार बिन्हार को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर यथासम्भव प्राथमिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के क्रम में नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 की जिला योजना संरचना में तदनुसार समस्त जिलाधिकारियों को मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## वर्ष–1984 में हुए सिक्ख विरोधी दंगों में उत्तराखण्ड के सम्बन्धित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता

37. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार वर्ष 1984 में हुये सिक्ख विरोधी दंगों में उत्तराखण्ड के सम्बन्धित परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा दिये निर्देश के आधार पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो पीड़ित व्यक्तियों को कितनी एवं कब तक सहायता प्रदान की जायेगी?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

भारत सरकार के निर्देश संख्या–यू0 13018/46/2005–दिल्ली–1(एन0सी0), दिनाँक 16–01–06 के अनुपालन में 369 दंगा पीड़ितों को निम्नानुसार राहत राशि प्रदान की गई है:–

मृत्यु की दशा में–3.5 लाख रुपये, घायल होने पर–पूर्व में दी गई अनुग्रह राशि को घटाते हुये 1.25 लाख रुपये एवं क्षतिग्रस्त रिहायशी/वाणिज्यिक/औद्योगिक सम्पत्तियों के लिए–पूर्व में दी गई राशि का 10 गुणा (पूर्व में दी गई राशि को कम करते हुए)।

## जनपद टिहरी के कैम्पटी थत्यूड़ मोटर मार्ग निर्माण की माँग

38. श्री खजान दास–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत थत्यूड़–कैम्पटी मोटर मार्ग की स्वीकृति वर्ष 1989 में हुई थी?

क्या यह सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग मात्र 3 किमी0 ही बन पाया है?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण होने से कैम्पटी न्याय पंचायत क्षेत्र के लगभग 60 से अधिक ग्राम लाभान्वित होंगे?

यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री जी जनहित में कैम्पटी थत्यूड़ मोटर मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र करवायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

क्रमशः 3.50 किमी0, 4.00 किमी0 एवं 5.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृति विभिन्न वर्षों में प्रदान की गई, जो मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई 20.50 किमी0 के सापेक्ष थी। 7.50 किमी0 भाग निर्मित है। स्वीकृत शेष लम्बाई 5.00 किमी0 भाग पर वृक्षों के पातन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत ग्राम वलना, मुसनोला फल्द्वाड़ी व नाड़ में विद्युत लाईन की मरम्मत

39. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम वलना, मुसनोला, फल्द्वाड़ी, नाड़ में लो वोल्टेज तथा ट्रॉसफार्मर जल जाने की शिकायत उक्त क्षेत्र की जनता द्वारा बार–बार की जाती रही है?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है उक्त गाँव को जाने वाली विद्युत तारों के खिंचाव व विद्युत पोलों के बेसमेन्ट पर सीमेन्ट का आधार नहीं दिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की विद्युत लाईन को ठीक किये जाने की कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री प्रकाश पन्त–

लो वोल्टेज की शिकायत रही है, ट्रॉसफार्मर जलने की शिकायत पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से नहीं रही है।

जी हाँ। सम्बन्धित लाईन वर्ष 1990 से पूर्व की बनी है। तत्समय लाईन के खम्बों को ग्राउटिंग करने का प्राविधान नहीं था।

इस हेतु सर्वे किया जा रहा है।

सर्वे तथा तकनीकी परीक्षण के पश्चात् अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

## जनपद टिहरी के अन्तर्गत थौलधार में लालूरी–कोटी–मेहरोखी मोटर मार्ग का निर्माण

40. श्री खजान दास–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत थौलधार विकास खण्ड के कई गाँवों को जोड़ने के लिये लालूरी–कोटी–महरोखी मोटर मार्ग की माँग क्षेत्रवासी काफी लम्बे समय से करते चले आ रहे हैं किन्तु आज तक भी जनहित में उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति नहीं मिल पायी है?

क्या उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री जी जनहित में लालूरी–कोटी–महरोखी मोटर मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र करवायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना स्वीकृत नहीं है।

## जनपद टिहरी के बिलोदीपुल से घनौल्टी मोटर मार्ग की स्वीकृति

41. श्री खजान दास–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद अन्तर्गत टिहरी के बिलोदीपुल से घनौल्टी मोटर मार्ग पर्यटक स्थल घनौल्टी हेतु भवान नगुड़ मोटर मार्ग से जुड़ने के कारण उत्तरकाशी यमुनोत्री आदि स्थानों को आने–जाने में काफी सुविधा होगी?

यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री जी जनहित में बिलोदीपुल घनौल्टी मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान करेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

बिलोदीपुल से घनौल्टी मोटर मार्ग 1 किमी0 लम्बाई में शासनादेश सं0–2986/लो0नि02/2003–37(प्र0आ0)/03, दिनाँक 02–01–2004 के द्वारा स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 सल्ट के राजस्व गाँव चमोड़ी और ओनडी का विद्युतीकरण

42. श्री रणजीत रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 सल्ट के राजस्व गाँव चमोड़ी और ओनडी का विद्युतीकरण हो गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युतीकरण मार्च, 2008 तक किया जाना प्रस्तावित है।

## जनपद अल्मोड़ा के तल्ला सल्ट अन्तर्गत मछोड़ में 33 के0वी0ए0 के विद्युत सब स्टेशन का प्रस्ताव

43. श्री रणजीत रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के तल्ला सल्ट हेतु मछोड़ नामक स्थान पर 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब–स्टेशन प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो उक्त सब–स्टेशन कब तक संचालित कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 सल्ट के अन्तर्गत ग्रा0 मौलेखाल खुमाड़ में महाविद्यालय स्थापना की स्वीकृति

44. श्री रणजीत रावत–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 सल्ट के अन्तर्गत शहीद ग्राम मौलेखाल खुमाड़ में महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी गयी है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति (क्लीयरेंस) दिनाँक 08 जून, 2007 को निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० स्याल्दे अन्तर्गत सराईखेत में महाविद्यालय की स्थापना

45. श्री रणजीत रावत–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० स्याल्दे के अन्तर्गत सराईखेत में महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी गयी है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में अपेक्षित संख्या में महाविद्यालय स्थापित होने के कारण नया महाविद्यालय खोला जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

## कुमायूँ इन्जीनियरिंग कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारियों का वेतन महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारियों के समान करने पर विचार

46. श्री करन मेहरा–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि कुमायूँ इन्जीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट में क्रीड़ा अधिकारी के पदों में कार्यरत क्रीड़ा अधिकारियों का वेतन प्रा० पाठशाला के अध्यापकों के बराबर दिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कुमायूँ इन्जीनियरिंग कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारियों का वेतन महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारियों के समान करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

कुमायूँ इन्जीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा में क्रीड़ा अधिकारी का पद सृजित नहीं है और ना ही कोई क्रीड़ा अधिकारी कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद टिहरी के पुलिस थाना नरेन्द्रनगर को अपग्रेड कर निरीक्षक स्तर का थाना बनाने की माँग

47. श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में पुलिस थाना नरेन्द्रनगर को अपग्रेड कर निरीक्षक स्तर का बनाया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्तमान में जनपद टिहरी गढ़वाल में पुलिस थाना नरेन्द्रनगर को अपग्रेड कर निरीक्षक स्तर का थाना बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० सल्ट में इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की माँग

48. श्री रणजीत रावत–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० सल्ट में इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी गयी है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट में पूर्व से ही कुमायूँ इन्जीनियरिंग कॉलेज संचालित है। साथ ही, जनपद अल्मोड़ा में सम्प्रति चार राजकीय पॉलीटैक्निक एवं एक राजकीय होटल मैनेजमैन्ट एण्ड कैटरिंग संस्थान भी संचालित है।

## जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट नगर पंचायत को मास्टर प्लान के अन्तर्गत लिये जाने पर विचार

49. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट नगर पंचायत को मास्टर प्लान के अन्तर्गत लिये जाने पर विचार किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

नगर पंचायत, द्वाराहाट को मास्टर प्लान के अन्तर्गत लिए जाने का कोई विचार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

## जनपद हरिद्वार में यातायात की समस्या के समाधान हेतु योजना

50. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद में प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति तीर्थ यात्रा हेतु आते हैं?

क्या यह भी सत्य है कि हरिद्वार में सैकड़ों फैक्ट्रियाँ स्थापित हो जाने के कारण हरिद्वार में सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार यातायात की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस योजना बनायेगी?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ। यदा–कदा सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है।

जी हाँ।

इस हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा तहसील में स्थित अनु0 जनजाति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत विभिन्न ट्रेड एवं रिक्त अनुदेशकों के पदों पर तैनाती

51. श्री गोपाल सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा तहसील में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु 'अनु0 जनजाति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान' में कौन–कौन से ट्रेड हैं?

किन–किन ट्रेडों (व्यवसायों) में अनुदेशक नियुक्त किये गये हैं तथा किन–किन ट्रेडों में अनुदेशक के पद रिक्त हैं।

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि रिक्त पड़े अनुदेशकों के पदों पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा, जनपद–ऊधमसिंह नगर में निम्नलिखित 06 ट्रेड स्वीकृत हैं–

1. हिन्दी आशुलिपि।

2. फिटर व्यवसाय।

3. कोपा (कम्प्यूटर) व्यवसाय।

4. डीजल मैकेनिक।

5. इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय।

6. कटिंग–टेलरिंग/फैशन व्यवसाय।

फिटर व्यवसाय तथा हिन्दी आशुलिपि में संविदा के आधार पर अनुदेशक तैनात हैं। कोपा व्यवसाय, डीजल मैकेनिक, इलैक्ट्रीशियन तथा कटिंग–टेलरिंग/फैशन डिजाइनिंग ट्रेडों में अनुदेशक के पद रिक्त हैं।

सेवा नियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार अनुदेशकों के रिक्त पदों पर तैनाती की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

## रुड़की–हरिद्वार हाईवे एन0एच0–58 से मोन्टफोर्ट स्कूल का अवैध कब्जा हटाने की माँग

52. श्री हरिदास–

क्या लोक निर्माण मंत्री के संज्ञान में है कि रुड़की–हरिद्वार हाईवे पर मोन्टफोर्ट स्कूल नाम की संस्था ने एन0एच0–58 पर स्कूल के सामने सरकारी जमीन पर कई वर्षों से कब्जा कर रखा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार एन0एच0–58 पर से मोन्टफोर्ट स्कूल का अवैध कब्जा (अतिक्रमण) हटवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के किमी0 182 में मार्ग के दाँयीं ओर मोन्टफोर्ट स्कूल है। स्कूल प्रशासन द्वारा मार्ग के किनारे तारबाढ़ कर कुछ भाग में अतिक्रमण किया गया था जिसे हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12.45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12.45 बजे पुन: आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचनाऐं दी गयी हैं उनको नियम–58 के तहत सुनने की कृपा करें और साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि उसको परम्परा न बनायें। सरकार इन पर अपना उत्तर देगी।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत दो सूचनाएं हैं, उनमें से एक सूचना औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रानीचौरी की स्थापना के सम्बन्ध में है और दूसरी सूचना गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में है। माननीय अध्यक्ष जी, आप इन सूचनाओं को नियम–58 में सुनने को सहमत हों तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी भी सूचना को नियम–58 में सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की सभी सूचनाओं को निरस्त करते हुए मैं इन सूचनाओं को अपवादस्वरूप नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। लेकिन इसे परम्परा न बनाया जाये।

## नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री गणेश जोशी, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री मनोज तिवारी, श्री बलबीर सिंह नेगी की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री गणेश जोशी, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा मनोज तिवारी की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाऐं अस्वीकार की गयीं।

### वि0स0 क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत करनपुर, बापूनगर आदि स्थानों पर उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, विधानसभा क्षेत्र, राजपुर के अन्तर्गत करनपुर, बापूनगर, सुमनपुरी, विकासलोक, धोरण राजेश्वर नगर, डाँडालखोन, ननूरखेड़ा, साकेत, काठबंगला क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाले नागरिक पेयजल समस्या से पीड़ित हैं। विभाग से बार–बार अनुरोध करने पर भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है जिस कारण उस क्षेत्र की जनता में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की माँग करता हूँ।

### उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी के ग्राम सभा सेकू के अन्तर्गत कफलों में दि0 1/2 जुलाई, 07 की मध्यरात्रि को बादल फटने से हुए भूस्खलन से ठप्प हुई पेयजल आपूर्ति आदि अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी के ग्राम सभा सेकू अन्तर्गत कफलों में 1/2–07–2007 की मध्यरात्रि को बादल फटने से हुए भूस्खलन के कारण मोटर पुल, सड़क, वन विभाग की नर्सरी, क्रेशर व मिक्सचर प्लान्ट और पेयजल लाईन का एक भाग बह गया है।

पेयजल लाईन के एक भाग के बहने के कारण जनपद मुख्यालय में पेयजल आपूर्ति ठप्प हो गयी जिससे शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और शहरवासियों को चार–चार, पाँच–पाँच किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर होना पड़ा। पेयजल विभाग और जिला प्रशासन द्वारा टैंकरों से पानी आपूर्ति की व्यवस्था न किए जाने पर शहरवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

मोटर पुल और सड़क के एक भाग के बहने के कारण कैलस् क्षेत्र के 7–8 गाँवों का सम्पर्क मुख्यालय से कट गया है। आलू, मटर, दूध इत्यादि की सप्लाई पूर्णतः बाधित हो गयी है। कैलस् क्षेत्र की जनता द्वारा शीघ्र यातायात व्यवस्था सुचारू करने की माँग की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोकमहत्व की सूचना को नियम–300 में लेकर प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

## 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गाँव के सम्पर्क मार्ग एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत बनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[महोदय, हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत से अधिक गाँव में सम्पर्क मार्ग न होने के कारण इस गाँव में रहने वाले अनु0जाति के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जबकि भारत सरकार के मानक अनुरूप कुल स्वीकृत बजट का 19 प्रतिशत धन एस0सी0पी0 योजना पर खर्च करना अनिवार्य है। लेकिन सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है। निम्नलिखित गाँव जिनकी आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ सम्पर्क मार्ग/सड़कों की स्थिति बहुत गम्भीर है–

1. इमलीखेड़ा–भगवानपुर मार्ग के मोड़ से धीमजरा से पलूनी से नागल, आबादी 50 प्रतिशत से अधिक
2. हालूमजरा मोड से हबीबपुर नियादा, आबादी 50 प्रतिशत से अधिक
3. खेलपुर से खानपुर, आबादी 50 प्रतिशत से अधिक
4. सिरचन्दी से डाडली, आबादी 50 प्रतिशत से अधिक
5. बन्जारेवाला से तेलपुरा–पोड़ी शिकोपुर–सिकरोठा–हलजोरा–बुग्गावाला उर्फ फिरोजपुर, आबादी 70 प्रतिशत से अधिक

उक्त वर्णित मार्गों की दशा बहुत ही खराब एवं सोचनीय है। एस0सी0पी0 योजना का लाभ शासनादेश के अनुरूप अनु0जाति के बाहुल्य क्षेत्रों को ही मिलना चाहिए। इस अविलम्बनीय अति लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## अल्मोड़ा शहर की सरयू सेराघाट पम्पिंग योजना प्रस्ताव इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, अल्मोड़ा शहर की आबादी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी की दृष्टि से आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल की समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। पेयजल की समस्या राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में प्रथम है, परन्तु अल्मोड़ा शहर में पेयजल की किल्लत इतनी अधिक हो गई है कि क्षेत्रीय जनता 2 से 4 कि0मी0 दूर से पानी लाने को मजबूर है।

पेयजल विभाग द्वारा अल्मोड़ा शहर एवं आस–पास के गाँवों में भीषण पेयजल के संकट को देखते हुए सरयू सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया है। परन्तु अभी तक योजना की स्वीकृति नहीं हो पाई है जिस कारण क्षेत्र की जनता घोर पेयजल संकट से गुजर रही है।

अतः इस प्रकरण पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब सरयू सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में किये जाने की माँग करता हूँ। विषय अति महत्वपूर्ण है, अतः योजना की तात्कालिकता की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

## वि0स0 क्षेत्र, यमकेश्वर, पौड़ी स्थित कई राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला–पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रा0ए0चि0–कांडी, रा0ए0चि0–भरपूर, रा0ए0चि0–किनसुर, राजकीय ए0चि0–सुमेरसैंण, रा0ए0चि0–जसपुर, रा0ए0चि0–किमसार, अति0 स्वा0 केन्द्र कड़घर में एवं रा0ए0चि0–बनचूरी में कई वर्षों से चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के पद रिक्त हैं तथा अन्य जिन चिकित्सालयों में डाक्टरों एवं अन्य स्वा0 कर्मियों की नियुक्तियाँ हैं, वे अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप्प सी है, गरीब जनता को कई किलो मी0 पैदल चल कर शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। जिसके कारण बीमारी की दशा में उन्हें अधिक धन एवं समय खर्च करना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए शासन से उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही की माँग करती हूँ।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## जनपद हरिद्वार के भगवानपुर से सिकरोढ़ा मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद हरिद्वार के भगवानपुर से सिकरोढ़ा मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में" श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह एवं अन्य निवासीगण, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

## उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 (संशोधन) विधेयक, 2007 के पुरःस्थापन का प्रस्ताव

(उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 (संशोधन) विधेयक, 2007 के पुरःस्थापन प्रस्ताव के लिए राजस्व मंत्री के खड़े होने पर बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सभी माननीय सदस्यगण "वैल" में आकर नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

("वैल" में खड़े माननीय सदस्य, श्री तिलक राज बेहड़ ने कुछ कागज फाड़कर "वैल" में फेंके।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने "वैल" में कहा "पूरा देश एक है हम भारत के नागरिक हैं, अलगाववाद की नीति न करें।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, अध्यादेश का रिप्लेसमेण्ट है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं, कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश का विकास चाहे उद्यम विकास हो, चाहे पेयजल से सम्बन्धित विकास हो, चाहे विद्युतीकरण होना हो या शिक्षा के केन्द्रों का विकास होना हो। मान्यवर, पूरे प्रदेश का विकास होता है। यह बात ठीक है कि प्रदेश की कृषि भूमि, उद्यानीकरण की भूमि, तेजी से बढ़ते विकास ............।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दो बातें कहकर समाप्त करता हूँ। मान्यवर, जिस विषय पर प्रतिपक्ष के साथियों की पीड़ा है, पूरे प्रदेश की जनता के सामने उनकी पीड़ा आना वाँछित है, इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूँ। मान्यवर, यह ठीक है कि प्रदेश की भूमि विशेषकर कृषि और उद्यानी भूमि के साथ समझौता औद्योगिक विकास के साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह इस सरकार ने आज ही भू–कानून जल्दबाजी में लागू किया, बिना सोच–समझकर लागू किया। मान्यवर, हिमाचल या अन्य राज्यों जैसे असम, मेघालय, हरियाणा ............ (घोर व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह अध्यादेश है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। ......... (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार जल्दबाजी में यह कानून ला रही है, इसलिए हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। पूरे प्रदेश की जनता की नजर इस सदन पर लगी है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पारित कराने के बजाय इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि यह पुरःस्थापित हो रहा है, जिस दिन विचार और पारण के लिए यह सदन में रखा जायेगा, उस दिन इस पर सभी माननीय सदस्यों के विचार आ जायेंगे। ........ (व्यवधान)

*काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह तो काला कानून है, इसे वापस होना चाहिए।......... (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछली बार जिन लोगों ने इसका विरोध किया था, आज वही लोग इसको बना रहे हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह तो काला कानून है, इसे वापस होना चाहिए। ......... (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के माननीय तिलक राज बेहड़, माननीय गोपाल सिंह राणा, माननीय कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" तथा श्रीमती अमृता रावत "वैल" में आ गये। सभी माननीय सदस्य "वैल" में आकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

## उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के माननीय तिलक राज बेहड़, माननीय गोपाल सिंह राणा, माननीय कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" तथा श्रीमती अमृता रावत अपने–अपने आसन पर वापस चले गये।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007

पंचायतीराज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

## कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें पहली सूचना मौ0 शहजाद, चौ यशवीर सिंह, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल तथा हाजी तस्लीम अहमद की है। दूसरी सूचना श्री मनोज तिवारी और तीसरी सूचना श्री नारायण पाल जी की है। इसके अतिरिक्त 04 सूचनाएं आज नियम–310 के अन्तर्गत आयी थीं, जिसे नियम–58 के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया है। मैं इन 07 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। कृपया एक–एक कर अपनी सूचनाओं पर बोलें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री शहजाद का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए।)

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, यह काला अध्याय है, जो पुलिस ने जिला हरिद्वार में शुरू किया। मेरे क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है, पनियाला। वहाँ का एक गरीब परिवार, जिसका पेशा मजदूरी है। ये रोज मजदूरी के लिए जाते हैं। मई 24 तारीख को सायं 7 बजे पुलिस वाले अरविन्द पुत्र श्री नाथीराम को घर से बुला ले गये। गाँव वालों ने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हैं? तो पुलिस ने कहा कि कुछ पूछ–ताछ करनी है। कल सुबह या आज शाम तक वापस भेज देंगे। 24 तारीख को ले गये और 25 तारीख को पता चलता है कि रात को ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मान्यवर, उसका कोई क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है। उसका न धारा–25 में कोई चालान है और न ही धारा–60

में कोई चालान है। उसका किसी मामले में कोई चालान नहीं है। उस पर दफा 392—1 पी0सी0 में मुकदमा दर्ज किया जाता है कि अमित कुमार जैन, सन ऑफ श्री प्रद्युम्न कुमार के यहाँ 60 हजार रुपये की चोरी होती है। यह आरोप इन पर लगा दिया गया कि 60 हजार रुपये की चोरी इन्होंने की है। मान्यवर, 10 हजार रुपया रिकवर भी कर दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह मान भी लिया जाय कि वह चोरी में शामिल था तो क्या पुलिस को यह अधिकार है कि उसे जान से मार दे? माननीय अध्यक्ष जी, यह अन्याय है। एन्काउंटर भी किया जाता है तो पेट के नीचे गोली मारी जाती है। पुलिस कहती है कि वह भाग रहा था। तो पीठ पर गोली लगनी चाहिए थी, छाती पर नहीं। परन्तु चारों गोलियाँ छाती पर लगी हैं। यह पुलिस का एक काला अध्याय है। यह शर्मनाक बात है। इसमें जो एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है, वह रात दो बजकर चालीस मिनट पर की गयी है और उसमें सिर्फ लूट दिखाई गयी है। जब सरकार को पता चलता है, जब प्रशासन को पता चलता है कि उसमें बसपा के विधायक आ रहे हैं, तो उसको बदला जाता है। मान्यवर, यह प्रमाण मेरे पास है, इसे मैं आपके पास भेज रहा हूँ। पुलिस कहती है कि तमन्चे के बल पर लूट की गयी, इसमें तीन नाम आते हैं, बृजेश, अरविन्द और रामकुमार, तीनों को ही असलहे के साथ एफ0आई0आर0 में दिखाया जाता है। मजे की बात यह है कि एफ0आई0आर0 में लिखा है कि तीनों मुल्जिमों को हम नहीं पहचानते, पुलिस हमारे सामने लाएगी तो मौके पर पहचान लेंगे। बृजेश उसी लाला के यहाँ 3 साल से काम कर रहा था। बृजेश को पुलिस उसी दिन घर से ले आई थी, पुलिस ने 4 दिन उसे पकड़े रखा। चार दिन वह वहाँ थाने पर रहा। उसका कोई दोष नहीं है। बेमतलब एक आदमी को एनकाउंटर में मार दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री शहजाद—

मान्यवर, अभी इसमें पूरी बात नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपका नाम पुकारा था किन्तु आप खड़े नहीं हुए, इसलिए मैंने सोचा आप नहीं बोलना चाहते।

चौ0 यशवीर सिंह—

यह बहुत लम्बी कहानी है। (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, क्या यह कहानी है? (व्यवधान)

चौ० यशवीर सिंह–

मान्यवर, 26 तारीख को हम सब विधायक इकट्ठा होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

चौ० यशवीर सिंह–

मान्यवर, हम अस्पताल में जाते हैं, हमारी एक ही माँग होती है कि इस प्रकरण की जाँच करायी जाय। यह जाँच कमिश्नर के स्तर पर करायी जाय। इस पर मजिस्ट्रेट, रुड़की व एस०पी०, देहात आश्वासन देते हैं कि जाँच संस्तुति कर करा दी जाएगी। उसके बाद परिजनों को लाश दे दी जाती है और उसका अन्तिम संस्कार कर दिया जाता है। कोई कार्यवाही नहीं होती है। हम डी०जी०पी० महोदय से मिलते हैं, एस०एस०पी० भी उस दिन आ जाते हैं।

एस०एस०पी० ने वहाँ पर हम पाँचों विधायकों के साथ बदतमीजी की और डी०जी०पी० महोदया कहती रहीं मिस्टर कूल–कूल (अभीनव कुमार)।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, डी०जी०पी० के कार्यालय में हमारे पाँच विधायकों की बेइज्जती हुई है, इसे भी आप अपने संज्ञान में रखें।

चौ० यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप रिपोर्ट को देख लीजियेगा, मैं उसे आपके पास भिजवा रहा हूँ। रात्रि 02 बजकर 40 मिनट पर रिपोर्ट लिखी गई है, मान्यवर, रिपोर्ट लिखने में भी 15–20 मिनट लग जाता है और जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो समय भी अंकित किया जाता है।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप देख लें कि यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और ट्रेजरी बेंच के लोग अखबार को यहाँ–वहाँ घुमा रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, कृपया इस पर निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, पुलिस ने जो एनकाउंटर दिखाया है वह 03.00 बजे रात को दिखाया है तो 10 मिनट में रिपोर्ट भी लिख दी गई और मौके पर जाकर इतने कम समय में एनकाउंटर भी कर दिया। मान्यवर, हुआ यह है कि उसे पुलिस की गाड़ी में ही बिठाकर ले जाया गया और बाद में उसे गोली मार दी गई। मान्यवर, इस सम्बन्ध में उसके बाप के द्वारा एफीडेविट दिया जाता है, लेकिन उसे पुलिस द्वारा नहीं लिया गया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, उसके बाप के द्वारा एफीडेविट दिया जा रहा था कि मेरे बेटे का कोई क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है, लेकिन उसे नहीं लिया गया, बाद में 26 तारीख को कोर्ट में लिया जाता है। मृतक का पिता हाई कोर्ट के लिए जाँच हेतु प्रार्थना–पत्र देता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखता है फिर भी जाँच नहीं की जाती। पुलिस उसके बाद भी उसके पिता से प्रताड़ना करती है और बाद में एफीडेविट भी बदल दिया गया। लोग तो कह रहे हैं कि कुछ लेन–देन भी हुआ है, लेकिन पुलिस के प्रेशर पर ही यह सब कुछ हुआ है, उन्होंने उसके बाप को धमकाया कि हम तुमको भी ठीक कर देंगे। यह सब जो भी हुआ उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, हमारी तो एक ही माँग है कि इस घटना की कमिश्नर स्तर से जाँच कराई जाय और इस प्रकरण में जो भी पुलिस अधिकारी दोषी हैं, वह तो जाँच के बाद ही सामने आयेगा, उन पर कार्रवाई हो।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 पर अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह अरविन्द बहुत ही गरीब घर का लड़का था और इसके सिवाय इसके बाप नाथीराम का और कोई दूसरा बच्चा भी नहीं है। मान्यवर, शाम को ही पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई थी। उसका जो गाँव है, पनियाला, वह थाना गंगनहर में पड़ता है और जो घटना हुई है वह कोतवाली रुड़की में हुई है। वह थाना गंगनहर का निवासी था और उसे कोतवाली रुड़की की पुलिस उठाकर ले गई। उसको उठाकर ले जाने से एनकाउंटर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक क्या-क्या हुआ क्या नहीं हुआ वह हमको नहीं पता, वह तो जाँच के बाद सिद्ध हो ही जायेगा। मान्यवर, उस व्यक्ति को पहले थाने में ही मार दिया गया है और बाद में उस जगह पर ले जाकर एनकाउंटर दिखा दिया गया है। क्योंकि जहाँ पर उसकी लाश पड़ी थी वहाँ पर उतना खून भी नहीं था। उसको सीधा लिटाकर मुर्दे को गोली मारी गई है। उसके एक गोली मस्तिष्क में मारी गई, दूसरी छाती पर मारी गई और तीसरी गोली पेट पर मारी गई है।

मान्यवर, अगर वह पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रहा था या पुलिस पर गोली चलाना चाह रहा था तो किसी पुलिस वाले को भी तो एक-दो छर्रे लगे होने चाहिए लेकिन कोई पुलिस वाला घायल नहीं हुआ है।

मान्यवर, पकड़ने के बाद उसे गोली मारी गई है। यह पुलिस की गढ़ी हुई कहानी है। एक बात और रह गई है माननीय अध्यक्ष जी, शाम को माननीय चौधरी जी की एस0एस0पी0 से बात हो जाती है। उन्होंने मुझे बताया कि एस0एस0पी0 से बात हो गई है, लेकिन सुबह एस0एस0पी0 साहब बात से मुकर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी गढ़वाल के कमिश्नर से जाँच करा दी जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। आप इसकी जाँच करवा दें और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनको वहाँ से हटाकर जाँच करायें, नहीं तो वे जाँच को प्रभावित करेंगे।

श्री प्रेमानन्द महाजन-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। मुझे तो यही कहना है कि उत्तराखण्ड की पुलिस मित्र पुलिस कही जाती है। इस घटना में प्रमाण है कि पहले उसे पकड़ा गया और फिर उसे मारा गया है। इसमें पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारियों का जिक्र आया है। एस0एस0पी0, हरिद्वार ने डी0जी0पी0 के सामने क्या कहा यह भी आ गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जाँच सी0बी0आई0 से होनी चाहिए।

श्री शहजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

विस्तार से बात आ चुकी है। (व्यवधान)

श्री शहजाद-

मान्यवर, प्रदेश पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में हमारे माननीय विधायकों के साथ, पाँच विधायकों के साथ डी0जी0पी0 व डी0आई0जी0 की मौजूदगी में बदतमीजी

होती है, एस0एस0पी0 बद्‌तमीजी करते हैं। मान्यवर, डी0जी0पी0 बड़ा है या एस0एस0पी0? क्या डी0जी0पी0 आफिस में एस0एस0पी0 को इसीलिए बुलाया गया था कि वह बद्‌तमीजी करें? हम अपनी बात कहाँ रखें? मान्यवर,एक निर्दोष आदमी को मारा गया है और अगर जाँच ईमानदारी से होगी, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। यह रुड़की कोतवाली के गंगनहर क्षेत्र का मामला है। गंगनहर क्षेत्रीय पुलिस को वहाँ पहले पहुँचना चाहिए था, लेकिन दूसरे क्षेत्र की पुलिस वहाँ पहुँचती है। कुछ लालच आदि देकर एफिडेविट बदलवाने का काम किया गया है जबकि इसमें पहले उसका अपहरण किया गया था। मान्यवर, जब तक वे अधिकारी हरिद्वार में रहेंगे तब तक निष्पक्ष जाँच हो जाये यह सम्भव नहीं है। हरिद्वार में पुलिस के गुण्डों का राज है। जो डी0जी0पी0 आफिस में धमकी दे सकता है वह आम लोगों से कैसे पेश आता होगा। आज भले ही सत्ता में बैठे लोग सत्ता के मद में चूर हों लेकिन, यह बहुत ही दुखद घटना है। इसकी सी0बी0आई0 से जाँच होनी चाहिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मननीय अध्यक्ष जी, दो बिन्दुओं पर मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष–

एक निवेदन है। चूँकि माननीय सदस्य का नाम आया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष तो बोल ही सकते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर विषय है .............

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों के बिन्दु हैं उनको बोलने दिया जाये।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल को बोलने का अधिकार है, वह किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो बिन्दुओं पर अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। एक तो प्रदेश में डकैतियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ से अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है।

दूसरा निर्दोष व्यक्तियों को विशेषकर दलितों के एन्काउन्टर किये जा रहे हैं। जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। इस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम–58 के अन्तर्गत जो सूचनायें ली गई हैं, उनकी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। मैं आपको अन्य सूचनाओं को उठाने की अनुमति नहीं दूँगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी आपके साथ सदस्य रहा हूँ, मुझे भी नियमों की जानकारी है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ की गरिमा होती है। यहाँ पर यह कहना उचित नहीं है कि मैं भी आपके साथ सदस्य रहा हूँ। यहाँ पर आप केवल ग्राह्यता पर बात करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, कृपया उस पर ही चर्चा की जाये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्यों को डराया, धमकाया जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को सदन में लायें। (व्यवधान)

*श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि नैतिकता तीन महीने पहले कहाँ गई थी? (व्यवधान)

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि सदन के अन्दर कहा गया कि अमुक पाँच विधायकों के साथ सरकारी कार्यालय में बदसलूकी की गई है। श्रीमन्, यहाँ पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, तमाम वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने अपने विचार रखे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि यदि माननीय सदस्यों के साथ

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके अधिकारों के हनन का कोई प्रश्न उठाता है इसे नियम–58 के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। अपितु सदन के सुसंगत नियमों के तहत इसे लाया जा सकता है तो सम्भवतः इस सदन के सभी सदस्य पक्ष विपक्ष की बिना परवाह किये, सदस्य की गरिमा तथा उनके विशेषधिकारों के लिए एक मत होकर प्रभावी कार्यवाही की माँग करेंगे। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ। .................. (शोर)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या पाँच विधायकों की सूचना को ही सूचना मान लिया गया है?

(व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपकी व्यवस्था चाहिए। मैंने आपके सामने प्रश्न उपस्थित किया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने ग्राह्यता पर बोलने की अनुमति दी है कि आप नियम–310 की सूचनाओं को नियम–58 में परिवर्तित कर ग्राह्यता पर सुन रहे हैं। इस पर विशेषाधिकार हनन की चर्चा नहीं की जा सकती है। मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–65 का उल्लेख करना चाहता हूँ जो निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही को इन नियमावली से विनिश्चय करने की बात करता है कि आखिरकार इस पर किस प्रकार से सदन के अन्दर चर्चा की जा सकती है। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया आपस में टोका–टाकी न करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर कोई प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। आपने नियम–65 का उल्लेख किया है। कृपया उसे बता दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–65 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कृपा करके आप सभी को इस पर ध्यान देना

चाहिए। मान्यवर, नियम-65 के तहत स्पष्ट उल्लेख किया गया है "किसी सदस्य के अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना के प्रश्न को अध्यक्ष की समिति से या फिर किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका द्वारा अथवा समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकता है परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं भी इसी नियम के तहत अपनी बात को उठा रहा हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मान्यवर, डी0जी0पी0 का चैम्बर या डी0जी0पी0 कार्यालय में घटित घटना विधान सभा के सम्मुख घटित नहीं मानी जा सकती क्योंकि डी0जी0पी0 कार्यालय विधान सभा का अंग नहीं हो सकता है, वहाँ पर घटित घटना की शिकायत प्रक्रिया के द्वारा ही की जा सकती है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के कई माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की बात पूरी होने दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की व्यवस्था आ चुकी है। माननीय चौहान जी, क्या आपकी बात पूरी हो चुकी है? (घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी हाँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा जो अभी नियम-65 का उल्लेख किया गया। उसमें स्पष्ट विशेषाधिकार हनन से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम भी उसी नियम के तहत अपनी बात को सदन के सम्मुख रख रहे हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री चौहान जी द्वारा नियम-65 का उल्लेख करके व्यवस्था आ चुकी है।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, पीठ से अभी व्यवस्था नहीं आई है। यह व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत-

आप व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर तो पीठ से ही आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, निश्चित रूप से विशेषाधिकार हनन की लिखित सूचना सुस्पष्ट होनी चाहिए। आज नियम-58 के अन्तर्गत स्वीकार सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे मात्र ग्राह्यता पर ही बोलें। सभी को अपनी बात को रखने का अवसर दिया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, जो दो घटनाएं हुई थीं उस पर हम अपने विचार रख रहे हैं, उन्हीं घटनाओं का जिक्र माननीय सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं घटनाओं का जिक्र विशेषाधिकार हनन के रूप में यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। इन घटनाओं पर माननीय सदस्यों द्वारा मुझे भी अवगत कराया गया। हम माननीय सदस्यों की पीड़ा को सदन में आपके माध्यम से रखना चाहे रहे थे।

मान्यवर, जो घटना एक दूसरे की पूरक हैं, उनका उल्लेख तो होना ही है। मान्यवर, नियमों की जानकारी आपके आशीर्वाद से हमको भी है। यहाँ पर सभी वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, जिन्हें नियमों की जानकारी है और जो नये सदस्यगण आये हैं उनके लिए भी अभी दो दिन की कार्यशाला की गयी थी, उनसे जानकारी हो गयी है। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग सदन को अव्यवस्थित रखना चाहते हैं। वे सदन को चलने देना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसमें किसी दलित की हत्या हुई है। उसका मर्डर हुआ है। इसमें व्यवस्था की बात कहाँ आ गई? मान्यवर, व्यवस्था की आड़ लेकर और नियमों की आड़ लेकर किसी गरीब दलित के मुद्दे की बात को दबाया जा रहा है तो यह ठीक नहीं है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछली सरकार में भी हरिद्वार पीछा नहीं छोड़ रहा था और इस सरकार में भी हरिद्वार पीछा नहीं छोड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या चाहते हैं?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, नेता बसपा तथा माननीय विधायकों द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी उसकी ग्राह्यता पर बोलते हुए इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सम्मानित सदन का ध्यान माननीय सदस्यों द्वारा आकर्षित किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनाँक 24/25 मई, 2007 की रात्रि को अमित कुमार जैन, पुत्र श्री प्रद्युमन कुमार जैन, निवासी कानून गोयान, थाना रुड़की के घर में तीन बदमाशों द्वारा लूटपाट की गयी। इस सम्बन्ध में थाना रुड़की पर अ0सं0–153/7, धारा–392 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना रुड़की के प्रभारी निरीक्षक एवं अन्य पुलिस बल घटना स्थल पर पहुँचा। घटना स्थल पर पहुँचने पर जनता के व्यक्तियों द्वारा पुलिस को बताया गया कि तीन बदमाश हाथों में तमंचा लेकर ईमली रोड की तरफ भागे हैं। इस सूचना पर पुलिस फोर्स द्वारा बदमाशों की तलाश की गयी। तलाश करते समय करीब 03.00 बजे रात्रि श्मशान घाट के पास पुलिस को तीन बदमाश दिखायी दिये जो पुलिस की गाड़ियों को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया और बदमाशों को ललकार कर रूकने को कहा, परन्तु बदमाशों ने पुलिस बल पर अपने असलहों से फायर करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया। जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसके पास से एक असलहा व कारतूस मिले। वह गम्भीर रूप से घायल था। उसे उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाया गया जहाँ पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस व्यक्ति की शिनाख्त अरविन्द, पुत्र नाथी राम, निवासी पनियाला, थाना गंगनहर, जिला हरिद्वार के रूप में हुई।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बदमाश शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वह संसदीय है या असंसदीय?

श्री अध्यक्ष–

यहाँ पर यह शब्द इस सन्दर्भ में ठीक है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस घटना के सम्बन्ध में कोतवाली रुड़की पर अ0सं0–154, 155/2007, धारा–307 भा0द0वि0/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, वह 04.10 मिनट पर अस्पताल में मृत आया था। अस्पताल में मृत घोषित नहीं किया गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दि0 28 मई, 2007 को वादी अमित जैन के नौकर को गिरफ्तार किया गया है जिसने माननीय न्यायालय के समक्ष 164 द0प्र0सं0 के बयान में अपने साथ मृतक अरविन्द को भी उक्त घटना में शामिल होना स्वीकार किया है।

मान्यवर, जब बृजेश के बयान 164 द0प्र0सं0 में यह विषय आया तो उसके बाद इस घटना से लगभग धुंध हटती चली गयी। लेकिन इस घटना की गम्भीरता को समझते हुये इसके लिए जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की हैं, उनके माध्यम से जाँच के आदेश दे दिये गये हैं और उनके द्वारा जाँच की जायेगी। उनकी निष्पक्षता पर संदेह करना उचित नहीं है और इसके साथ ही जाँच प्रभारी निरीक्षक, थाना पटेल नगर, देहरादून द्वारा की जा रही है, ताकि कहीं न कहीं निष्पक्षता पर संदेह न हो। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, इससे पहले भी कोई आई0ए0एस0 अधिकारी जाँच करता था या पहली बार यह व्यवस्था की गई है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जाँच करायेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल से जाँच की माँग हम चाहते हैं, तो सरकार इस पर करा दे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया एक–एक करके बोलें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम आयुक्त से जाँच चाहते हैं क्योंकि हमारे तमाम सदस्य माँग कर रहे हैं। जैसे कि निष्पक्ष जाँच के लिए सरकार की भी मंशा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर प्रयास हो।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, जितने एन्काउण्टर हुये हैं उसकी जाँच करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री चौधरी यशवीर सिंह, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ और सरकार द्वारा इस घटना की जाँच आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा की जायेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 पर सुनने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद और इस पीठ को नमन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अल्मोड़ा नगर और जिले का, एक समय में इस प्रदेश में, राजनीतिक और सांस्कृतिक हर क्षेत्र में अपना विशेष महत्व रहा है, लेकिन दुःख होता है कि यह नगर या जिला लगातार समस्याओं से जूझता रहा है और जो सूचना मैंने दी है वह स्वर्गीय गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय को, जैसा कि लगातार वहाँ की जनता माँग करती आ रही है कि बेस चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि वह क्षेत्र हमारे बागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचुला के मध्य स्थान पर है और वहाँ की जनता ने माँग की है और इसके साथ ही साथ वहाँ के नौजवान जो मेडिकल की शिक्षा लेना चाहते हैं, ले सकेंगे और उनको मैदानी क्षेत्रों में आने–जाने से जो आर्थिक संकट पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा। इन सारी बातों को देखते हुये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 10 सितम्बर को घोषणा की थी।

मान्यवर, उसमें जो मेडिकल कॉलेज के लिए एम0सी0आई0 के मानक होते हैं, वे मानक लगभग पूरे कर रहे हैं और इनमें जो थोड़ी कमी है, वह चाहे भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित हो या चिकित्सालय में बेड का मामला हो। इस सम्बन्ध में, मैं पीठ से अनुरोध करता हूँ कि क्षेत्र की माँग और जनहित को देखते हुए अविलम्ब इसे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, अल्मोड़ा द्वारा एक अति महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत

कराना चाहता हूँ कि एक लम्बे समय से क्षेत्र की यह माँग रही है। इसमें अद्यतन स्थिति यह है कि वहाँ पर 200 शैय्याओं का एक बेस चिकित्सालय वर्तमान में मौजूद है। चूँकि मेडिकल काउंसिल ऑफ आई0एम0सी0 मानकों के अनुसार किसी भी मेडिकल कॉलेज में कम से कम 300 शैय्याओं की आवश्यकता होती है और इन 300 शैय्याओं के अस्पताल को टीचिंग अस्पताल के रूप में निर्मित करके मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है। इस क्षेत्र में 300 शैय्याओं का चिकित्सालय प्रस्तावित किया गया था।

मान्यवर, चूँकि इसके साथ एक और मानक जो पूरा होना चाहिए, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ आई0एम0सी0 द्वारा निर्धारित किया गया है वह है 25 एकड़ भूमि होनी चाहिए। वर्तमान में यहाँ पर जो भूमि है, वह कुल 17.5 एकड़ ही उपलब्ध है। इस तरह से हमें साढ़े सात एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। मान्यवर, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, ग्राम खत्याडी से हमें यदि यह भूमि उपलब्ध हो जाती है तो उसके बाद ही इसमें कोई आश्वासन या कार्यवाही स्वीकृत हो पायेगी।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा का प्रश्न है। मान्यवर, जैसा कि भूमि की कमी की बात आयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि लगभग 19.5 एकड़ भूमि की कार्यवाही जिला के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत की गयी है। इसके साथ–साथ जैसा कि एम0सी0आई0 का मानक 300 शैय्याओं का है। मान्यवर, वहाँ पर 200 शैय्याओं की व्यवस्था पहले से है और 100 शैय्याओं की स्वीकृति का आगणन निदेशालय को भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया इसको दिखवा लें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत सुनने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, एक और सूचना में आपका नाम था, जबकि नियम यह है कि एक सदस्य एक दिन में एक ही सूचना पर बोल सकता है, अगली बार से इसका ध्यान रखा जाय।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मुझे बाढ़ से सम्बन्धित सूचना पर सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सितारगंज, विधान सभा क्षेत्र जो जिला ऊधमसिंह नगर में है। आप जानते हैं कि नानकमत्ता, शक्ति फार्म और सितारगंज में बाढ़ आयी हुई है, जबकि अभी बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है। नानकमत्ता में बड़ा धार्मिक रिलीजियस केन्द्र है। यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति की बहुत आबादी है। शक्ति फार्म में सवा लाख के करीब बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सामान्य दिनों में ही ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। बाढ़ के मौसम में तो इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप जारी रखिए। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, आप जारी नहीं रखेंगे तो क्या फायदा? (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

आप जारी रखें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। अभी बारिश का मौसम नहीं आया है अखबारों का संज्ञान लेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर आज जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। यह बहुत गम्भीर बात है। यह नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। खगरा नदी और कैलाश नदी के पुल जो नेशनल हाईवे पर हैं, उनमें दरार आ गयी है। तीन दिन पूर्व जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ने उस स्थान का दौरा किया है। मैं आपके

संज्ञान में यह मामला लाना चाहता हूँ। जो भी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है, उस पर सरकार कार्यवाही करे, मुझे आपसे यही अनुरोध करना है।

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मानननीय अध्यक्ष जी, माननीय नारायण पाल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत निरन्तर बाढ़ आती रहती है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह क्या हो रहा है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री पीठ को निर्देश देने लगेंगे तो कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष–

कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मुझे आप ही की चिन्ता है, आप खाना खा कर नहीं आए होंगे।

* श्री अनिल नौटियाल–

माननीय किशोर जी, अब आप किशोर नहीं रहे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर में बाढ़ से जमीन का कटाव होता है, यह बात हम स्वीकार करते हैं। सितारगंज नगर में बाढ़ की सुरक्षा हेतु केन्द्र से वित्त पोषित कटाव निरोधक योजना वर्ष 2003–04 में रु0 531.40 लाख लागत की भारत सरकार से स्वीकृत हुई थी। इस योजना पर रु0 527.90 लाख का व्यय कर इसे पूर्ण कर दिया गया है। इसमें तटबंध बना दिये गये हैं। सूखी नदी और बेगुल नदी से बाढ़ सुरक्षा की दिनाँक 15–10–2005 की रु0 150.69 लाख की एक योजना जो नाबार्ड से वित्त पोषित है, का निर्माण कार्य गतिमान है। जिस पर मार्च, 2007 तक 78.36 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। शेष कार्य वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। तीसरी योजना कैलाश नदी की है। राज्य सैक्टर से इसमें बाढ़ सुरक्षा के लिए 35.95 लाख स्वीकृत हैं। मार्च, 2007 तक 11.90 लाख का व्यय इसमें किया जा चुका है यह कार्य भी वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

इसके साथ ही देवड़ा नदी में बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए 149 लाख रुपये की स्वीकृति है मार्च, 2007 तक 13.10 लाख रुपये का व्यय इसमें किया जा चुका है। शेष कार्य वर्ष 2007–08 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनजाति उप योजना के अन्तर्गत सितारगंज तहसील में कैलाश नदी से ग्राम डोहरा–डोहरी की बाढ़ सुरक्षा योजना शासन से रु0 6.40 लाख की स्वीकृति है। जिस पर मार्च, 2006 में रु0 6.40 लाख व्यय कर योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अनुसूचित जनजाति उप योजना के अन्तर्गत सितारगंज तहसील में ग्राम उकरौली (हरिजन बस्ती) की बाढ़ सुरक्षा योजना रु0 54.45 लाख की शासन से स्वीकृत है। जिस पर मार्च, 2007 तक रु0 40.54 लाख का व्यय कर योजना के कार्य गतिमान हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सितारगंज–खटीमा–टनकपुर–पिथौरागढ़ में पुल के बारे में आपने बात की है, खगरा पुल की मरम्मत पिछले वर्ष करायी गई थी। कैलाश नदी में जो पुल है उसकी एक तरफ की एप्रोच रोड दो वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत कराई जा चुकी है यह 110 मीटर लम्बा पुल है। यहाँ इसे भी स्वीकार करते हैं कि नदी का बहाव चेंज होता रहता है, नदी के इधर–उधर टर्न करने से खतरा पैदा हो जाता है। यह दोनों मामले भारत सरकार के हैं और खगरा वाले पुल के लिए डी0पी0आर0 बनायी जा रही है। दूसरे पुल की डी0पी0आर0 अभी नहीं बनी है, हम इसका परीक्षण करवायेंगे और जरूरत होगी तो इसको भी भारत सरकार को भेज दिया जायेगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मेरी मंशा किसी पर आरोप लगाने की नहीं है या मैं इस बात के ऊपर ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहता। लेकिन देखा जाय तो आज राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बहुत ही खराब है। (व्यवधान)

मान्यवर, इस मार्ग से लगभग 25 विधायक आते जाते हैं, चम्पावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद से आने वाले लोगों का यह रास्ता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, यह विषय आ गया है, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने पूरी गम्भीरता से आपकी बात सुनने के बाद आपको जानकारी भी दे दी है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, वह तो सब जानते हैं कि हम लोग नियम–58 में प्रश्न पूछते हैं तो अधिकारीगण अपना उत्तर दे देते हैं, लेकिन आज नेशनल हाईवे की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इसे यदि वहाँ पर जाकर देखा जाय तो मान्यवर, इस कारण से कभी भी यातायात बन्द हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंचाई मंत्री जी, कृपया इस प्रकरण को पुनः दिखवा दें।

माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी एवं माननीय सिंचाई मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

माननीय पाल जी, मैं एक निवदेन करना चाह रहा था कि आपने नियम–58 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी थीं, एक तो पूर्व वाली सूचना पर भी आपके हस्ताक्षर थे और यह सूचना भी आपने ही दी है। मैं चाहता हूँ कि यह परम्परा न बने, अपवाद स्वरूप यह बात आ गई है और विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, नियम–60 के अन्तर्गत जो नियम–58 की सूचना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है, के उप नियम–1 में उल्लिखित है कि ''एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे।'' इस पर कृपया भविष्य में ध्यान दें।

अब नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं और जिन्हें नियम–58 में परिवर्तित कर दिया गया है, उस पर सबसे पहले माननीय किशोर उपाध्याय जी आप अपनी बात को रखें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। इस महत्वपूर्ण विषय को नियम–310 से परिवर्तित करते हुए नियम–58 में हमारी बात सुनने का निदेश दिया है। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारा जो यह नया प्रदेश बना है उत्तराखण्ड, जिस विषय से सम्बन्धित यह विश्वविद्यालय है औद्यानिकी और वानिकी, तो 64 प्रतिशत हिस्सा हमारे प्रदेश का फारेस्ट्री से सम्बन्धित है और हार्टिकल्चर हमारा थ्रस्ट है। पिछली सरकार ने भी इन महत्वपूर्ण दोनों बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए रानीचौरी में इस प्रदेश के लोगों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, छात्रों को लाभ मिल सके इसके लिए 9 नवम्बर, 2006 को जो राज्य का स्थापना दिवस है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी और खाली विश्वविद्यालय की स्थापना की ही घोषणा नहीं की थी बल्कि उसके लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की घोषणा भी उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और इस महत्वपूर्ण विषय को देखते हुए तुरन्त तत्कालीन सरकार ने, चूँकि विधान सभा उस समय नहीं चल रही थी इसलिए महामहिम श्री राज्यपाल जी के द्वारा इसके अध्यादेश की घोषणा की गई थी। इतने महत्वपूर्ण विषय को, जिससे इस प्रदेश के हजारों–हजार विद्यार्थियों को लाभ होगा, वानिकी से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा, औद्यानिकी से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा सरकार उससे सम्बन्धित विधेयक सदन में नहीं लाना चाहती है। पिछला विधान सभा का अधिवेशन चला गया और इस बार भी सरकार की विधेयक लाने की मंशा नहीं है और इस बीच में चुनाव के दौरान बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई।

एक माननीय सदस्य जो एक दल से चुनाव लड़े थे, मैंने अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा कि रानीचौरी के विश्वविद्यालय की स्थापना भरसार में होगी। इससे पूरे प्रदेश का जनमानस आन्दोलित हो गया, धरने शुरू हो गये, प्रदर्शन शुरू हो गये।

जब मुझे इसकी जानकारी हुई कि गलत मंशा से इसे किया जा रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पर इसे समाप्त किया जा रहा है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि पिछली सरकार ने इस तरह से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप तुरन्त इसका विधेयक सदन में लायें। मुझे यह जानकर बड़ा कष्ट हुआ इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि तुरन्त आप सरकार को निर्देश दें कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना रानीचौरी में ही की जाये। यदि महामहिम के हस्ताक्षर से जारी अध्यादेश की रक्षा नहीं होगी, तो इस विधान सभा के सम्मानित सदस्यों की गरिमा की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निदेश दें कि इसका विधेयक सदन में लायें।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उद्यान और वानिकी हमारे राज्य के बहुत महत्वपूर्ण संसाधनों में हैं और जिस तरह से नये राज्य हिमाचल ने सोलन में इस प्रकार के संस्थान की स्थापना कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और उसी तरह से हमने भी अपने यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की कोशिश की , न सिर्फ पूरे भारत वर्ष बल्कि हमारे प्रदेश से उद्यान एवं वानिकी के सम्बन्ध में प्रशिक्षण हेतु विभिन्न काश्तकारों, विषय विशेषज्ञों के दल वहाँ (सोलन) पर भेजे जाते हैं, उनको बहुत बड़ा अनुभव वहाँ पर होता है। क्योंकि पूर्व सरकार इस बारे में घोषणा कर चुकी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अगले सत्र में औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार की ओर से विधेयक आना चाहिए।

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम–310 की सूचना को नियम–58 में सुनने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। श्रीमन्, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनहित में औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रानीचौरी का अध्यादेश, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को निर्गत हो चुका था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह जी, यह विषय आ चुका है। इस पर माननीय किशोर उपाध्याय जी ने बात रख दी है। आप अन्य बात हो तो रख सकते हैं।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, अध्यादेश निर्गत होने के 06 महीने के अन्दर आचार संहिता लागू हो गई जिससे कि यह सदन के अन्दर विधेयक के रूप में नहीं आ पाया। नई सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के गठन होने के बाद उसका यह दायित्व था कि इस विधेयक को सदन के अन्दर प्रस्तुत करके सदन की सहमति लेती।

श्री अध्यक्ष–

मानवीय बलबीर सिंह नेगी जी, यह बात आ चुकी है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, प्रश्न महत्वपूर्ण है, चूंकि पूर्ववर्ती सरकार ने, जो टिहरी बांध से बहुत गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं, भागीरथी, भिलंगना नदी से सैंकड़ों, हजारों की जमीन डूब क्षेत्र में आ गई है उसके परिप्रेक्ष में पैकेज के रूप में औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी को खोलने की मंशा बनाई थी। जिसकी वजह से अध्यादेश पारित हुआ था, लेकिन यह खेदजनक बात है कि नई सरकार अपनी लापरवाही के कारण इसे सदन के अन्दर प्रस्तुत करने में नाकाम रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि केवल द्वेष के आधार पर इसे लम्बित करने की बात की जा रही है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी दुःखदायी बात होगी। आज जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है इसका मनोबल टूट गया है। श्रीमन्, जिस सेना का मनोबल टूट जाता है तो सेनापति के निर्णय लेने की क्षमता भी टूट जाती है तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा?

श्री अध्यक्ष–

आपकी पूरी बात आ चुकी है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मान्यवर, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री आने वाले सत्र में इस औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी में खोलने के लिए पुनः अध्यादेश इस सदन में प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ तथा आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, पूरा विषय आ चुका है।

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–310 के तहत जो सूचनाएं थीं, उन्हें नियम–58 में ग्राह्यता पर सुनने के लिए बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में पूरे प्रदेश

की जनता ने राज्य के लिए संघर्ष किया जो पूरे उत्तराखण्ड आन्दोलन में उत्तराखण्ड की जनता की एकजुटता का प्रमाण है। विकास के नाम पर हमारे किसी बयान को और विशेषकर सत्तापक्ष में बैठे हुए व्यक्ति हों, या इस सदन में उपस्थित सदस्यगण हों, या प्रदेश के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनके किसी बयान से अगर क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा तो यह इस प्रदेश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। जो उत्तराखण्ड आन्दोलन एकजुटता का प्रतीक रहा है वह इस सदन की भी जिम्मेदारी है कि वही एकजुटता पूरे प्रदेश में बनी रहे। चाहे वह धर्म की बात हो, जाति की हो या क्षेत्रवाद की हो, एकजुटता बनी रहे। जिस प्रकार से माला में मोतियाँ पिरोयी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष–

बात आ चुकी है। नियम–58 के अन्तर्गत बात हो रही है। विषय पर अपनी बात कहें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विषय पर आ रहा हूँ। मान्यवर, आज नियम–310 के अन्तर्गत यह विषय इसलिए आया कि आज प्रदेश में यह वातावरण बन रहा है कि सरकार बनने के बाद एक संदेश जनता में गया कि यह सरकार इस विश्वविद्यालय को बन्द करने जा रही है। मान्यवर, पिछली सरकार ने जिस काम को किया था यह सरकार उसे बन्द करने जा रही है। मान्यवर, यदि इस भावना से कार्य होगा तो इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट निर्णय चाहता हूँ कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? रानीचौरी विश्वविद्यालय को माननीय तिवारी जी की पूर्व सरकार जो अध्यादेश 26 दिसम्बर, 2006 को लाई थी किन्तु यह तकनीकी कारणों से 60 दिन के अन्दर विधान सभा के पटल पर आना चाहिए था और 42 दिन के अन्दर यह विधेयक के रूप में आना चाहिए था किन्तु समयावधि समाप्ति तक पूर्व सरकार द्वारा पटल पर नहीं रखा जा सका जिस कारण यह निष्प्रभावी हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पर स्पष्ट विचार प्रस्तुत करें।

*कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित श्री किशोर उपाध्याय जी और श्री केदार सिंह रावत जी और श्री बलवीर सिंह नेगी जी द्वारा जो आशंकाएं यहाँ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी को लेकर उठाई गई हैं मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती है। हम जो निर्णय लेंगे बहुत सोच समझकर और राज्य के व्यापक हित में ही कोई निर्णय लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो घोषणा की गई, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसी संस्थाओं से सहमति लिए बगैर, वी0सी0 भी नियुक्त कर दिया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के व्यापक हित में हम औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी को कृषि विश्वविद्यालय बनाकर पर्वतीय क्षेत्रों को निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय से जोड़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्र की कृषि आज तक उपेक्षित रही है। हालाँकि पन्तनगर विश्वविद्यालय को हरित क्रान्ति का जनक कहा जा सकता है। इस विषय में माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है उसकी ओर पूरे प्रदेश की जनता देख रही है।

हमने सेवा निवृत्त कृषि सचिव, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, एफ0आर0आई0 के विशेषज्ञ, सचिव उद्यान, सचिव नियोजन, आई0सी0आर0 के वैज्ञानिक इनको सम्मिलित करके हमने एक कमेटी बनाई है। उसकी अनुशंसा के आधार पर हम कार्य करेंगे और उसके बाद ही हम विश्वविद्यालय का गठन करेंगे। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसको क्षेत्रवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रदेश के वानिकी और औद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रयास हम सभी लोगों की ओर से होना चाहिए। जो यह समिति बनाई गई है वह प्रदेश के औद्यानिकी और वानिकी के विकास के लिए कार्य करेगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अगले सत्र में विधेयक ला रहे हैं या नहीं?

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था, यह ठीक है कि भरसार में औद्यानिक विश्वविद्यालय बने और भी सरकार औद्यानिकी विश्वविद्यालय कोई अन्य क्षेत्र में बनाना चाहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन चूँकि इस समय रानीचौरी विश्वविद्यालय का विषय है और एक अध्यादेश पहले की सरकार उस पर ला चुकी है, जो कानून नहीं बन पाया। जैसा कि मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि रानीचौरी विश्वविद्यालय, सरकार अगले सत्र में क्या उसको बनाने को लेकर विधेयक लायेगी? (घोर व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी की बात तो सुन लें, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि विश्वविद्यालय निश्चित रूप से खुलेगा। (घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है सरकार जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठायेगी। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारा सीधा–सीधा प्रश्न है कि क्या सरकार अगले सत्र में इस विधेयक को ला रही है? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

अगले सत्र तक आपके पास पर्याप्त समय है। जो भी विशेषज्ञों की कमेटी आपने बनाई है उसकी रिपोर्ट अगले सत्र में ला सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार को इसमें कोई दिक्कत होगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लिए सत्र की बाध्यता न करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आने दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, वह परीक्षण करेगी और अपनी अनुशंसा देगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, ऐसी बहुत ही बातें हैं जो हम नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर बात है कि सदन में मंत्री जी द्वारा यह बात कही जा रही है कि हम कुछ बातें नहीं बोलना चाहते हैं, यह सदन की अवमानना है। मान्यवर, इसका मतलब मंत्री जी कुछ छिपाना चाहते हैं। इसका मतलब कि मंत्री जी सदन को धोखे में रखना चाहते हैं। वह कौन सी बात है उसको बताएँ। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मानानीय मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पहले माननीय मंत्री जी की बात तो सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री किशोर उपाध्याय एवं श्री बलवीर सिंह नेगी 'वेल' में आ गए)

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी ने 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहा।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी, आप पुराने सदस्य हैं, विद्वान हैं, आप पूरी बात सुनिये तो।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अगर विपक्ष बाध्य कर रही है तो यह सरकार बाध्य नहीं है कि अगले सत्र में लायेंगे या नहीं लायेंगे।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी ने 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहा। (घोर व्यवधान)

(श्री किशोर उपाध्याय 'वेल' में बैठ गए।) (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा विपक्ष को धमकी दी जा रही है। यह असंसदीय है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही में दिखवा लेंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, दादागिरी के बल पर सरकार विपक्ष की बात को दबाना चाहती है।

(माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी एवं श्री दिनेश अग्रवाल 'वेल' में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

मानकीय यशपाल जी, आप तो नियमों के जानकार हैं। किसी सदस्य की बात को दबाया नहीं जा रहा है लेकिन वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। (व्यवधान के मध्य)

('वेल' में खड़े मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की ओर से जो जवाब आना चाहिए उसके बजाय दूसरा जवाब आ रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' से अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सदन को बताया है कि सरकार ने उसके लिए एक समिति बनाई है जिसमें भारत सरकार के सेवा निवृत्त कृषि सचिव हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो पहले बात हुई है उसको सदन में रखा जाए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार को जिस तरह से बाध्य करने की कोशिश की जा रही है, मैं बताना चाहता हूँ कि (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारे विश्वविद्यालय का अध्यादेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी की पूरी बात आ जाने दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हरक सिंह रावत जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन है कि जो बात सदन से बाहर कही गई है उसका सन्दर्भ नहीं ले पायेंगे, आप विद्वान सदस्य हैं, कृपया पूरी बात आने दें।

श्री किशोर उपाध्याय--

मान्यवर, भटकाया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का पूरा वक्तव्य आने दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ और माननीय सदस्य उसे सुनने को तैयार नहीं हैं, यह बड़े दुःख की बात है, चिन्ता की बात है। मान्यवर, मैंने कहा कि सरकार ने एक समिति गठित की है। भारत सरकार के सेवा निवृत्त श्री जे0एन0एल0 श्रीवास्तव, कृषि सचिव रहे हैं, उनके अण्डर में कमेटी बनाई है। जिसमें महानिदेशक, एफ0आर0आई0, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सचिव उद्यान, सचिव नियोजन जैसे सदस्य हैं और उनकी समिति जो अनुशंसा करेगी उसके आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। वह समिति आवश्यक तथ्य, प्रतिवेदन और जो सिफारिश करेगी उसके आधार पर आगे कार्यवाही करेंगे। मैंने कहा कि विशेषज्ञों की समिति है।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, आप रानीचौरी का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, आप अपने जवाब में रानीचौरी का नाम ही नहीं ले रहे हैं।

*श्री प्रीतम सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि यह समिति अपनी संस्तुति कितने समय में दे देगी, कुछ समय निर्धारित किया है?

श्री अध्यक्ष--

इसमें दो विषय हैं, एक जो समिति गठित हुई है। उसकी समय सीमा बाँध दी जाय, वह कब तक अपनी रिपोर्ट देगी और प्रयास करिए कि जो अगला सत्र हो उससे पहले उसकी रिपोर्ट आपको प्राप्त हो जाय, जिससे कि कार्यवाही आगे बढ़े।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

मान्यवर, जो समिति में सम्मानित सदस्य हैं उनके साथ बैठकर समय सीमा निर्धारित की जाय। सरकार की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी समिति अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुशंसा कर दे और शीघ्र विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, समिति किन बिन्दुओं पर विचार करेगी?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही। पीठ का निर्णय शिरोधार्य है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, रानीचौरी में विश्वविद्यालय बनेगा या नहीं बनेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ कि रानीचौरी से उसका मुख्यालय हटाने का (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान) मान्यवर, भरसार में जो औद्यानिकी महा विश्वविद्यालय परिसर है, उनको मिलाकर प्रस्ताव है। औद्यानिकी और वानिकी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें पर्वतीय कृषि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, इन्हीं कारणों से समिति बनायी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, उसका अनुपालन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में लाखों की तादाद में किसान गन्ने की फसल उगाते हैं। इन किसानों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, लेकिन इन हालातों में आज चीनी के भाव गिर गये और सरकार इसे रोककर बैठ गयी है। मान्यवर, 150 करोड़ कीमत का गन्ना मूल्य किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। मान्यवर, जब चीनी की कीमत बढ़ती है, उस समय कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार ने गन्ना मूल्य भी नहीं बढ़ाया है, आज की स्थिति बहुत बुरी है। गन्ना किसानों के पास बच्चों के एडमिशन के लिए पैसा नहीं है। मान्यवर, जब हमारे जनपद हरिद्वार के माननीय मदन कौशिक जी को मंत्री बनाया गया था तो हरिद्वार जनपद के काश्तकारों के साथ–साथ मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। हमने सोचा था यदि कभी गन्ना किसानों पर कोई आपत्ति आयेगी तो माननीय मदन कौशिक जी आगे आयेंगे। मान्यवर, जब माननीय कौशिक जी विपक्ष में बैठते थे तो उस समय खड़ी गन्ने की फसल में आग

लगे गन्ने को दिखाते थे और इनकी बातों को बड़ी जोरदार ढंग से उठाते थे।

मान्यवर, उस टाईम गन्ना मंत्री जी तत्कालीन विधायक, हरिद्वार अपने साथ जला हुआ गन्ना लेकर आते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना वह भाषण याद होगा। जो संवेदनशीलता आपने वहाँ बैठकर दिखाई थी, वहीं संवेदनशीलता अब ज्यादा जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठकर दिखाते। लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग तले अंधेरा दिखाई दे रहा है। मान्यवर, डेढ़ सौ करोड़ रुपये की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बजट पेश करेंगे। लगभग पाँच हजार करोड़ रुपये का बजट पास होगा। पाँच हजार करोड़ में से डेढ़ सौ करोड़ रुपया बहुत लम्बी–चौड़ी रकम नहीं है, जिससे लाखों परिवार प्रभावित होते हों। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि यह सारी कीमत तत्काल प्रभाव से किसानों को भुगतान कर दी जाए। चाहे वह ऋण के रूप में हो, चाहे अनुदान के रूप में हो। गन्ना किसानों का बकाया मिल जाना चाहिए, वरना आज गन्ना किसान की स्थिति बहुत खराब है। किसानों की आत्महत्या की जो घटनाएं उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं, अभी तक ऐसी दुःखद घटना हमारे यहाँ नहीं हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार, माननीय गन्ना मंत्री जी इस पर संवेदनशील रवैया अपनाते हुए चीनी मिलों को ऋण या अनुदान के रूप में यह राशि दें ताकि गन्ना किसानों की मदद हो सके। यह बहुत संवेदनशील और तात्कालिक मामला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड के गन्ना किसान आज इस सरकार में बहुत परेशान और लाचार हैं क्योंकि मिल मालिकों द्वारा गन्ने का भुगतान किसानों को समय से नहीं किया जा रहा है। किसान को उसकी आवश्यकता के समय यदि उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा तो इससे ज्यादा विडम्बना क्या हो सकती है। बरसात के मौसम में धान की फसल बोने के लिए खाद की आवश्यकता होती है लेकिन सरकार के गन्ना मंत्री और मिल मालिक न होश में हैं और न चेत रहे हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आबकारी मंत्री भी हैं, होश में कैसे होंगे? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह बहुत संवेदनशील मामला है। गन्ना किसानों ने यदि इसमें जन आन्दोलन कर दिया तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रशासन और शासन खासकर गन्ना

मंत्री पर बहुत भारी पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद, ऊधमसिंह नगर जनपद.....................

श्री अध्यक्ष--

कृपया धीरे बोलिए।

काजी मौ0 निजामुद्दीन--

मान्यवर, तकलीफ में बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश--

मान्यवर, देहरादून जनपद के समस्त किसानों के गन्ने का भुगतान समय से किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि प्रदेश के किसान दुःखी होंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के मजदूर और प्रदेश के व्यापारी स्वतः ही दुःखी हो जाएंगे। किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो वह व्यापारी के पास नहीं जाएगा और मजदूर को मजदूरी नहीं दे पाएगा। इसलिए सभी दुःखी हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि नियम यह है कि मिल बन्द हो जाने के 15 दिन के अन्दर मिल मालिकों को गन्ने का भुगतान करना चाहिए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तम शुगर मिल लिब्बरहेड़ी 20 अप्रैल को बन्द हो गयी थी, इसमें 5 मई को भुगतान हो जाना चाहिए था। लक्सर शुगर मिल 30 अप्रैल को बन्द हो गयी थी, इसमें 15 मई तक भुगतान हो जाना चाहिए था। लेकिन माननीय मंत्री जी के कान में जूँ नहीं रेंगी, न उनकी परेशानी दिखाई दी कि हरिद्वार का किसान आज कितना दुःखी है, कितना परेशान है। माननीय गन्ना मंत्री जी हँस रहे हैं, वे हरिद्वार के किसानों की पीड़ा को, उनके दर्द को सुनकर हँस रहे हैं, जो कि बहुत ही अशोभनीय है।

(शेम--शेम)

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार की जनता माननीय मंत्री जी के इस कृत्य के लिए इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मान्यवर, लक्सर शुगर मिल के गन्ने का भुगतान 31 मार्च तक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, शासनादेश में भी स्पष्ट लिखा हुआ है और अभी माननीय मंत्री जी भी अपना उत्तर देंगे, उसमें लिखा है कि यदि 15 दिनों के बाद तक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके बाद ब्याज के साथ मूल्य का भुगतान होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी पीड़ा, अपने किसान भाईयों की पीड़ा को माननीय गन्ना मंत्री के सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन गन्ना मंत्री जी तो हमारी पीड़ा को सुनकर हंस रहे हैं, क्योंकि वे हमारी पीड़ा को, हमारे किसानों की पीड़ा को देख नहीं पा रहे हैं।

मान्यवर, इस अति तात्कालिक और अति महत्वपूर्ण विषय पर मेरा आपसे निवेदन है कि पीठ से निर्देश आये गन्ना मंत्री जी को कि किसानों को उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसी सूचना से सम्बन्धित एक सूचना कॉंग्रेस दल के माननीय सदस्यों के द्वारा भी दी गई है। इस सम्बन्ध में माननीय दिनेश अग्रवाल जी, आप अपने विचार रखें।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में अभी हमारे बसपा के साथियों ने विस्तृत रूप से चर्चा की और निश्चित रूप से यह बहुत ही तात्कालिक विषय है और सरकार को इस पर गम्भीर होना चाहिए। हमारे प्रदेश की 10 शुगर मिलों का लगभग 144 करोड़ रुपया आज सरकार पर बकाया है। आज किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। जो काश्तकार सिर्फ गन्ना बोते हैं उनके गन्ने का सरकार ने समय पर भुगतान न करके उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है। मुझको याद आता है कि पिछली बार जब किसानों के गन्ने के भुगतान की बात सामने आयी थी तो पिछली सरकार ने तत्काल 10 करोड़ रुपये मंडी परिषद् की निधि से लेकर किसानों के भुगतान के लिए दिया था और वह सैस का पैसा था। उसका आज तक भी भुगतान नहीं हो पाया है। मान्यवर, जिस प्रकार की संवेदनशीलता पूर्ववर्ती सरकार ने गन्ना किसानों के लिए दिखाई थी, वही संवेदनशीलता इस सरकार को भी दिखानी चाहिए। हमारी मंशा यह है कि आज बजट आ रहा है, सरकार इस पर सीधे–सीधे कह दे कि हम किसानों का सारा बकाया भुगतान करने को तैयार हैं। किसानों को लाभ देने के लिए बजट में ही प्रावधान कर दें।

श्री अध्यक्ष–

बजट में यह नहीं आये तो उस समय आप इस बात को रख सकते हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारा तो यह कहना है कि सरकार को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए और किसानों की पेमेन्ट होनी चाहिए।

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 पर एक महत्पूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हमारे तराई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और भावर में जो काश्तकार हैं, वे सीमान्त कृषक हैं और छोटी जोत के किसान हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2 महीने से उन काश्तकारों के गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग सारी बातें माननीय दिनेश जी और माननीय सुरेन्द्र राकेश जी ने कह दी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो किसान हैं, उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह समय ऐसा आ रहा है जब किसानों का नई फसल बोने का वक्त है, इसके लिये उन्हें तेल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, बीज भी चाहिए और इसके लिये आवश्यकता है धन की। लेकिन यह सरकार इतनी असंवेदनशील है, किसानों के हित की बात तो करती है यह सरकार। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मंत्री जी बड़ी मुस्कुराहट के साथ हमारी बात को सुन रहे हैं, उसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे किसानों का बकाया 144 करोड़ रुपया, जो हमारे काश्तकारों को देना है मेरा आपसे अनुरोध है कृपया इस दिशा में अपने माध्यम से निर्देश दें जिससे किसानों का तत्काल भुगतान हो सके।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मान्यवर, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। सूचना नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी थी जिसे आपने नियम–58 में सुना, आपका आभारी हूँ। वैसे यह विषय तात्कालिक था, किसान आत्महत्या करने को तैयार हैं, होना तो यह चाहिए था कि प्रातः ही इस पर चर्चा होती। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित थे और हमें उम्मीद थी कि आज प्रदेश का किसान माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को सुनेगा, सदन की कार्यवाही किसानों तक जायेगी लेकिन लगता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। अच्छा होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए घोषणा करते। 144 करोड़ रुपया कोई बहुत छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम किसानों की रुकी हुई है। एक ओर तो सरकार अपने 100 दिन की उपलब्धियां मना रही है। जबकि 100 दिन में सरकार ढाई कदम भी नहीं चली है और जो किसान इस प्रदेश की रीढ़ हैं, जो किसान उत्पादक हैं, जो केवल अपने ही प्रदेश का नहीं और भी कई प्रदेशों के खाद्यान्न को पूरा करता है उसने आज गन्ना बोना बन्द कर दिया है। ऐसा लगता कि आने वाले समय में गन्ने की फैक्ट्रियां बन्द हो जावेंगी। सरकार को आज घोषणा करनी चाहिए। 150 करोड़ रुपया सरकार के लिए क्या होता है। गन्ना मंत्री जी वैसे भी अपने को संवेदनशील कहते हैं। पिछली बार जब विपक्ष में थे माननीय सदस्य के रूप में तब कई बार इस मामले को उठाया था। भू–अध्यादेश को लेकर 'वैल' में आ गये थे। (व्यवधान) और आज जब भू–अध्यादेश आया है तो चुप हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, किसानों का काफी पैसा बकाया है। गदरपुर चीनी मिल पर 13 करोड़ रुपया बकाया है, सितारगंज चीनी मिल पर 18 करोड़ रुपया बकाया है, किच्छा चीनी मिल पर 10 करोड़ रुपया बकाया है, बाजपुर चीनी मिल पर 07 करोड़ रुपया बकाया है, नादेई चीनी मिल पर 09 करोड़ रुपया बकाया है, डोईवाला चीनी मिल पर 15 करोड़ रुपया बकाया है, इकबालपुर चीनी मिल पर 07 करोड़ रुपया बकाया है, लक्सर चीनी मिल पर 21 करोड़ रुपया बकाया है, काशीपुर चीनी मिल पर 25 करोड़ रुपया बकाया है और उत्तम शुगर मिल पर 19 करोड़ रुपया बकाया है और सरकार को देने की चिन्ता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न तात्कालिक है, लोकमहत्व का है इसलिए विधान सभा की कार्यवाही को रोककर पहले इस पर चर्चा करा दें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से गन्ना किसानों की जो समस्या है उस पर अपनी बात कही। निश्चित रूप से इस प्रदेश के अन्दर 1 लाख 33 हजार हेक्टेयर में गन्ने की फसल होती है और 1 लाख 33 हजार हेक्टेयर में जो उपज होती है वह लगभग 800 लाख कुन्तल गन्ने की पैदावार होती है। सरकार को चाहिए कि जो हमारे किसान हैं, उनका भुगतान कर देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार संवेदनशील है।

मान्यवर, यदि सरकार संवेदनशील होती तो निश्चित रूप से गन्ना किसानों का भुगतान अविलम्ब कर देती। मुझे पिछली सरकार का जिक्र करते हुए संकोच नहीं है। अगर पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान चार्ट उठाकर देखें तो पिछले वर्ष अब तक गन्ना किसानों का भुगतान दे दिया गया था। वर्तमान में 146 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का भुगतान होना है, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है। 100 दिनों की उपलब्धि को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित जरूर कर रही है। अगर वह गन्ना किसानों का भुगतान कर देती तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती। मुझे नहीं लगता कि आज भी सदन में माननीय मंत्री जी गन्ना किसानों के भुगतान की बात कहेंगे, मुझे यह भी नहीं लगता कि जब बजट प्रस्तुत होगा तो उसमें भी कहीं पर भी गन्ना किसानों के भुगतान का उल्लेख होगा।

मान्यवर, 146 करोड़ रुपये बहुत बड़ी धनराशि भी नहीं है। जो 706 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का भुगतान था पिछली सरकार ने 560 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया, जबकि वर्तमान सरकार 146 करोड़ रुपये के भुगतान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है, सदन की आज की सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

* गन्ना एवं शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत माननीय काजी निजामुद्दीन जी, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय दिनेश अग्रवाल जी, माननीय यशपाल आर्य जी, माननीय तिलक राज बेहड़ जी और माननीय प्रीतम सिंह जी ने किसानों के गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में यहाँ पर अपनी बात रखी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने कहा कि जब आप इधर बैठे थे तो संवेदनशील थे, निश्चित रूप से काजी निजामुद्दीन जी ने उल्लेख किया कि उस समय यह स्थिति थी कि किसानों का गन्ना खेतों में जल रहा था। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं काजी निजामुद्दीन जी को और प्रदेश की जनता को इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से यह सरकार इतनी संवेदनशील है कि पूरे देश के अन्दर उत्तराखण्ड राज्य ऐसा राज्य है जिसमें गन्ना के रेट व चीनी के रेट में काफी अन्तर होते हुए भी सरकार ने गन्ना किसानों को आश्वस्त किया कि जब तक खेत में गन्ना रहेगा तब तक मिल चलाई जायेगी। (बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य और कॉंग्रेस के कुछ माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो भी उत्तर जानना चाहते हैं, उसके लिए सरकार तैयार है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय मंत्री जी अपना मत रखें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं सरकार का मत रख रहा हूँ। मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने पूरे देश के अन्दर सरकार बनते ही यह घोषणा की कि इस प्रदेश में तब तक मिलें चलेंगी जब तक खेतों में गन्ना रहेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अन्दर........

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्यों द्वारा अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर कहीं भी इस बार यह बात सुनने को नहीं मिली कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के शासन के दौरान गन्ना किसानों द्वारा गन्ने के खेतों में आग लगा दी गई थी, इस बार भी लगाई गई है। (शेम–शेम की ध्वनि)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, शर्म की बात है।

श्री मदन कौशिक–

मैंने यह उदाहरण यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि मैं पिछले पाँच सालों के पूरे आँकड़े सदन में रखना चाहता हूँ। मान्यवर, जब भी गन्ना और चीनी कि मूल्य में अन्तर आया जिस कारण से जो भी सहकारी और निगम की मिलें थी समय से पहले बन्द हो गईं। इस बात को मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

(शोर)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 2001–02 में कुल 471.76 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई हुई।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर पूरी बात आने दीजिए।

(शोर)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, भुगतान की बात हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री विषय से भटक गये हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के कई सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्यों द्वारा अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

आँकड़े रखने के पीछे सरकार की मंशा क्या है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 2002–03 में 523.85, 2003–04 में 397.48, 2004–05 में 395.69, 2005–06 में 450.07, तथा 2006–07 में 560.94 कुन्तल गन्ने की पेराई हुई।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से यह नहीं पूछा कि कितने कुन्तल गन्ने की पेराई हुई है? हम तो भुगतान की बात कर रहे थे।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आँकड़ों से किसानों की भूख नहीं मिटती। भुगतान से किसानों की भूख मिटती है। किसानों को भुगतान किया गया या नहीं यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी एवं उनके परिवार के सदस्यों की भूख मिटाने के लिए उनको शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं। इस साल 560.94 कुन्तल गन्ना तौला गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गन्ना किसानों के अवशेष धनराशि भुगतान के बारे में बता रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हम पूछना चाह रहे हैं कि गन्ना किसानों को कितनी धनराशि भुगतान कर दी गयी है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दिनाँक 30–06–2007 को गन्ना किसानों को जो अवशेष धनराशि है वह 139 करोड़ रुपये है। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा गन्ना किसानों को कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, इस बारे में मैं अपनी बात सदन के सम्मुख बड़ी गम्भीरता से रखना चाहता हूँ किन्तु माननीय सदस्य मेरी बात को गम्भीरतापूर्वक नहीं सुन रहे हैं। प्रदेश के अन्दर 139 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को देना शेष है। दूसरी ओर इस सम्बन्ध में 2002–2003 में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया गया। मान्यवर, उसमें यह उल्लेख किया गया था कि 2002–03 में निजी क्षेत्र की मिलों को जिस प्रकार से चार प्रतिशत ऋण दिया गया उसी प्रकार से ऋण दिलाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार को पत्र–व्यवहार किया गया।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के कई सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर नारे लगाने लगे।) (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी विषय से भटक गये हैं। हम गन्ना किसानों को भुगतान की बात कर रहे हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी बात रखना चाहते हैं तो नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? माननीय मंत्री जी, इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पेराई सत्र 2006–07 में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का 16 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों का 23 प्रतिशत और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का 27 प्रतिशत भुगतान अर्थात् कुल 20 प्रतिशत भुगतान अवशेष है। शेष 80 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है। कन्टीजैंसी फण्ड से 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जायेगा। जिसको बजट से पूरा किया जायेगा। मान्यवर, और भी व्यवस्था कर रहे हैं, लगभग 50 करोड़ की, और इसके साथ–साथ सभी निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे जल्दी से जल्दी किसानों को गन्ने का भुगतान करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया जल्दी बात को समाप्त करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी इस बात को बजट भाषण में रख सकते हैं। हमने तो गन्ने के भुगतान की बात पूछी है। (व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह भुगतान कब तक करेंगे?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सरकार गन्ने के भुगतान के प्रति संवेदनशील है। पहले का 20 प्रतिशत बाकी है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। मान्यवर, गन्ने का पूरा भुगतान अगर सरकार नहीं करती है तो किसान आत्महत्या करने को तैयार हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, भुगतान की व्यवस्था आने वाले समय पर कर दी जायेगी। (व्यवधान के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं काजी मो० निजामुद्दीन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री यशपाल आर्य तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं। 3.59 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 03.59 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज माननीय गन्ना मंत्री जी ने अपने नियम–58 के नोटिस में कहा कि हमने 25 करोड़ रुपये का बजटीय प्राविधान कर दिया। मान्यवर, यह चर्चा में आया, तो क्या यह बजट का उल्लंघन नहीं है? मान्यवर, बजट तो लीक हो गया।

श्री अध्यक्ष–

पहले बजट पेश होने दें, इसको बाद में देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, गन्ना मंत्री जी ने सदन में कहा है कि 25 करोड़ रुपया स्वीकार कर दिया है तो यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

चूँकि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने बजट पेश होने का समय निर्धारित किया है, इसलिए बजट पहले पेश होने दें।

## वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक का प्रस्तुतिकरण

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2007–08 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस गरिमामयी सदन के समक्ष प्रथम बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है तथा मेरा प्रयास है कि सभी माननीय सदस्यों तथा देवभूमि के नागरिकों के सक्रिय सहयोग से यह बजट राज्य के विकास में सही दिशा में तीव्रता लायेगा।

यह मेरे लिए अत्यन्त गर्व का विषय है कि मुझे उत्तराखण्ड की गरिमामयी विधान सभा के समक्ष वर्ष 2007–08 का आय–व्ययक प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त

हुआ है। राज्य का बजट प्रस्तुत करना मात्र संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण करना ही नहीं अपितु राज्य की वित्तीय स्थिति की दिशा एवं दशा को भी स्पष्ट करने का माध्यम है। इस राज्य का विकास राज्य निर्माण के आन्दोलनकारियों की भावना के अनुरूप हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। गत वर्षों में विकास के लिये जो ऋण/देयतायें (लायबिलिटीज) आयीं, उसके कारण इस वर्ष रु0 1150.42 करोड़ (रुपये एक हजार एक सौ पचास करोड़ बयालीस लाख) की धनराशि ब्याज के रूप में दिया जाना अनुमानित है। विकास की गति से समझौता किये बिना हमारा प्रयास होगा कि राज्य ऋण ग्रस्तता के जाल में न फँसे।

वार्षिक योजना–

वर्ष 2007–08 हमारी सरकार का प्रथम वर्ष होने के साथ–साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी पहला वर्ष है। अतः हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि वार्षिक योजना वास्तविक वित्तीय संसाधनों पर आधारित हो। गत 5 वर्षों में अत्याधिक ऋण लेकर योजनाएं बनायी गयीं, जिससे राज्य की ऋण ग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हुई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योजना का आकार गत वर्ष के रु0 4000 (रुपये चार हजार करोड़) करोड़ से बढ़कर 2007–08 में रु0 4378 करोड़ (रुपये चार हजार तीन सौ अठत्तर करोड़) हो गया है तथा हमारा यह प्रयास रहेगा कि आगामी वर्षों में इसमें और अधिक बढ़ोत्तरी हो।

मैं वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा–

- बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है।
- वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी कार्यशैली को आधार बनाकर हमारी सरकार राज्य बनने के बाद प्रथम बार राजस्व घाटे के बजाय राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत कर रही है। गत वर्ष के मूल बजट में रु0 155.71 करोड़ (रुपये एक सौ पचपन करोड़ इकहत्तर लाख) का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था परन्तु वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में कतिपय बाजार ऋण के किश्तों के न लेने एवं अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण रखने के कारण पुनरीक्षित आय–व्ययक में भी ऋण को कम करके राजस्व घाटा समाप्त करने का प्रयास किया गया है।
- प्रदेश में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। हमारी सरकार अधिनियम के प्राविधानों तथा राज्य के लिये सुदृढ़ वित्तीय आधार तैयार करने के लिये वित्तीय सुधार कार्यक्रम को कठोरता से लागू करने के लिये कृतसंकल्प है। इसी

क्रम में प्रस्तुत 2007—08 के बजट में राजकोषीय घाटा मात्र रु0 1460.21 करोड़ (रुपये एक हजार चार सौ साठ करोड़ इक्कीस लाख) रह गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.47 प्रतिशत है, यह निर्धारित मानक 4.64 प्रतिशत की सीमा में है।

- हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड की मातृ शक्ति को सम्मानित करते हुए महिलाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्य में प्रथम बार पृथक से जेन्डर बजट प्रस्तावित किया है।

- बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "गौरा देवी कन्या धन योजना" को व्यापक स्वरूप देते हुए समस्त बी0पी0एल0 परिवारों को आच्छादित किया जायेगा। इस योजना हेतु रु0 20 करोड़ (रुपये बीस करोड़) का बजट प्राविधान किया गया है।

- उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में ईंधन तथा चारे की कमी के कारण महिलाओं पर जंगलों से घास तथा लकड़ी लाने की बाध्यता रहती है। महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वनों को बचाने हेतु दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन की उपलब्धता के लिए नई मांग के माध्यम से रु0 8.00 करोड़ (रुपये आठ करोड़) की व्यवस्था की जा रही है।

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में "चारा बैंक" स्थापित करने के लिये हमारी सरकार वचनबद्ध है। यह कार्य चरणबद्ध ढंग से प्रदेश में संचालित किया जायेगा।

- भेषज संघों की प्राथमिक एवं केन्द्रीय समितियों में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में अपर्याप्त है। इन समितियों में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30 प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- नवजात शिशुओं की घातक बीमारियों से तत्काल चिकित्सा हेतु विभिन्न महिला चिकित्सालयों में नियोनेटल यूनिट की स्थापना की जायेगी।

- महिला निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

- शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों एवं जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में सर्वशिक्षा अभियान संचालित कराया जा रहा है। गत वर्ष की वार्षिक कार्य योजना रु0 160 करोड़ (रुपये एक सौ साठ करोड़) के आकार को बढ़ाते हुए इस वर्ष रु0 253 करोड़ (रुपये दो सौ तिरपन करोड़) कर दिया गया है।
- इस सीमान्त राज्य के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया है।
- प्रदेश को आन्तरिक रूप से सुरक्षित करने हेतु अभिसूचना एवं सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत विशेष प्रकोष्ठ एवं सर्विलॉस इकाईयों की स्थापना की जा रही है।
- पुलिस प्रशासन को राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के रोगियों एवं उनके परिवारजनों की सुविधा हेतु किराये पर विश्राम गृह की व्यवस्था की जा रही है।
- आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम की स्थापना की जायेगी।
- चार धाम यात्रा मार्गों/पर्यटक स्थलों पर यात्रियों की सुविधा हेतु समग्र व्यवस्था की जाएगी जिसमें पेयजल, शौचालयों तथा ट्रोमा सेन्टर आदि सम्मिलित होंगे।
- पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल के अन्तर्गत टपकेश्वर (गढीकैन्ट) के निकट पर्यटन विभाग की 10 एकड़ भूमि पर उच्च श्रेणी का होटल/कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण हेतु शीघ्र ही अनुबन्ध किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश को लगभग रु0 7.00 करोड़ (रुपये सात करोड़) वार्षिक आय अनुमानित है।
- "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिये योजना में ऋण राशि 15.00 लाख (रुपये पन्द्रह लाख) से बढ़ाकर रु0 20.00 लाख (रुपये बीस लाख) तथा राज सहायता रु0 3.75 लाख (रुपये तीन लाख पिचहत्तर हजार) से रु0 5.00 लाख (रुपये पाँच लाख) अधिकतम कर दी गई है।

- राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों पर सुगमता से पहुँचने के लिये पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप स्वरूप में रज्जुमार्ग (रोप वे) स्थापित किये जायेंगे। केदारनाथ एवं यमुनोत्री हेतु रज्जुमार्ग की कार्य योजना तैयार की जा रही है तथा अन्य प्रमुख स्थानों हेतु अध्ययन किया जा रहा है।

- जल स्रोतों / चाल–खाल के पुनर्जीवन एवं नौलों के उचित रख–रखाव हेतु मिशन मोड में वृहद् कार्यक्रम प्रस्तावित है।

- ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को दूर करने हेतु वर्तमान वर्ष में रु0 185.45 करोड़ (रुपये एक सौ पिच्चासी करोड़ पैंतालीस लाख) का व्यय करते हुए कुल 2589 तोकों को पेयजल से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।

- पतितपावनी गंगा तथा यमुना को प्रदूषण मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है–इस हेतु नई योजना प्रस्तावित की गई है।

- नगरीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्रथम बार सार्वभौम रोजगार योजना शहरों में संचालित की जायेगी।

- कृषकों की समृद्धि एवं उत्थान हेतु किसान सूचना एवं सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

- राज्य में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 के अनुसार आवास विहीन ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवास बनाया जाना सम्भव नहीं है या ऐसे परिवार जिनके मकान पूर्णतः कच्चे हैं और इन्दिरा आवास योजना की परिभाषा के अनुसार वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए "दीन दयाल ग्रामीण आवास योजना" प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिये रु0 32.50 करोड़ (रुपये बत्तीस करोड़ पचास लाख) का प्राविधान किया गया है।

- प्रदेश में स्थानीय उत्पादों, वस्तुओं, औषधियों एवं हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं के विक्रय हेतु स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने एवं विपणन की सुविधा देने हेतु सोबन सिंह जीना ग्रामीण विपणन केन्द्र (रुरल बिजनेस हब) की स्थापना की जा रही है।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में विमानन गतिविधियों को बढ़ावा देने, तकनीकी विशेषता प्राप्त करने एवं विमानन क्षेत्र के प्रति उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु उड्डयन विश्वविद्यालय / अकादमी की स्थापना प्रस्तावित है।

- सार्वजनिक सेवा यानों से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु मृतक आश्रित को रु0 50 हजार (रुपये पचास हजार), गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रु0 20 हजार (रुपये बीस हजार) एवं सामान्य घायल को रु0 5 हजार (रुपये पाँच हजार) की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किये जाने का प्राविधान लागू कर दिया गया है।
- राज्य में तीव्र गति से हो रहे औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिये जयानन्द भारती श्रम बस्तियों का निर्माण किया जायेगा, जिसके लिये प्राविधान किया गया है।
- औद्योगिक विकास त्वरित आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन का वाहक है। पर्वतीय परिवेश में वन, कृषि, प्रसंस्करण, औषधि तथा सुगंधित पौधों आदि को संसाधन का आधार बनाकर लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- यह हर्ष का विषय है कि प्रथम साउथ एशियन शीत खेलों की मेजबानी का दायित्व, एशियन शीत ओलंपिक संघ द्वारा राज्य को प्रदान किया गया है। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए राज्य के बजट में रु0 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) का प्राविधान किया गया है। केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा भी इन खेलों के सफल आयोजन हेतु इस वर्ष रु0 50 करोड़ (रुपये पचास करोड़) की अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- हर्बीकल्चर के विकास के लिये औषधीय महत्व की शाकीय एवं वृक्ष प्रजातियों के रोपण के लिये इस वर्ष रु0 45 लाख (रुपये पैंतालीस लाख) का प्राविधान किया गया है।
- जल संरक्षण करने वाली चौड़ी पत्तियों के वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन की नई योजना हेतु रु0 2 करोड़ (रुपये दो करोड़) का प्राविधान किया गया है।
- मेरी सरकार प्रदेश में फूलों की खेती को प्रोत्साहन प्रदान कर इस वर्ष इसके अधीन आच्छादित क्षेत्रफल को डेढ़ गुना से अधिक करने के लिये प्रयास करेगी।
- प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध को व्यापक बनाने हेतु आवश्यक विधिक व्यवस्था की जायेगी।

- केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 2007 से 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की घोषणा की है, अतः उसी दर तथा उसी तिथि से राज्य सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
- राज्य में पत्रकारों के कल्याण हेतु कोष में वर्तमान प्राविधान को बढ़ाकर भविष्य में रु0 3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड में भूमि के अनियंत्रित क्रय-विक्रय की बढ़ती प्रवृत्ति तथा भू-माफियाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु हमारी सरकार द्वारा सुसंगत नियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा-

राज्य की प्रगति की आधारशिला सुचारू कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा का वातावरण है। हमारी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रणाली को आधुनिक साधन सम्पन्न एवं कारगर बनाना चाहती है।

इस सीमान्त राज्य के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया है।

पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई हेतु राज्य/जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का भी गठन किया गया है।

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु पुलिस व्यवस्था को उच्चस्तरीय बनाया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वाहनों, संचार उपकरणों, आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से पुलिस को लैस किया जा रहा है।

भारत-नेपाल सीमा पर वामपंथी माओवादी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए इस वर्ष नये थाने-चौकियों की स्थापना की गयी है।

फायर स्टेशन लोहाघाट, जसपुर एवं विकासनगर हेतु फायर कर्मियों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

महिलाओं की सहायता हेतु महिला हैल्प लाईन तथा थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गयी है जिससे उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो।

पुलिस विभाग हेतु आयोजनागत मद में रु0 9 करोड़ (रुपये नौ करोड़) व आयोजनेत्तर मद में रु0 387.32 करोड़ (रुपये तीन सौ सत्तासी करोड़ बत्तीस लाख) का प्रस्ताव किया गया है।

इस वर्ष नई माँगों के माध्यम से जनपद ऊधमसिंह नगर में थाना जी0आर0पी0 काशीपुर की स्थापना, 11 मंत्रियों हेतु वाहनों की व्यवस्था, अभिसूचना एवं सूचना विभाग में विशेष प्रकोष्ठ एवं सर्विलांस इकाईयों की स्थापना एवं वाहन/उपकरणों का क्रय, अभिसूचना विशेष प्रकोष्ठ में सर्विलांस इकाईयों तथा सेलाकुई, रोशनाबाद एवं पंतनगर में फायर स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

सड़क एवं सेतु–लोक निर्माण–

हमारी सरकार राज्य के शहरों एवं कस्बों में सड़कों के पुनर्निर्माण एवं विस्तारीकरण के साथ ही ग्रामीण अंचलों को भी सड़क एवं पुल से जोड़ने के लिये कृत संकल्प है।

विगत वर्षों में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं, यथा–राज्य योजना, जिला योजना, एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध अवशेष कार्यों की लागत प्रारम्भिक अनुमान के आधार पर रु0 3000 करोड़ से भी अधिक है। आप सभी सहमत होंगे कि इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों एवं अतिरिक्त कार्य–क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इसी के दृष्टिगत कार्यों को श्रेणीबद्ध करके प्राथमिकता पर 50 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हुए कार्यों को प्रथमतः पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे कार्यों की वर्तमान लागत लगभग रु0 240 करोड़ (रुपये दो सौ चालीस करोड़) है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कर लिया जाय ताकि लगभग 244 ग्रामों को सड़क–मार्ग से जोड़ा जा सके। इस वित्तीय वर्ष में कार्यों को पूर्ण करने एवं कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु आय–व्ययक में कुल रु0 811.36 करोड़ (रुपये आठ सौ ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख) की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष में 1865 कि0मी0 मार्गों का नवनिर्माण, 1965 किमी0 मार्गों का पुनः निर्माण तथा 122 सेतुओं का निर्माण किया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त निर्मित मार्गों की राइडिंग क्वालिटी का सुधार किया जाना है। कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आच्छादित योजनाओं के लिए समर्पित खण्डों की व्यवस्था की जा रही है।

केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 19 योजनाओं के लिये 04 सेतु एवं 119 किमी0 लम्बाई का अवशेष कार्य निर्माणाधीन है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 94.14 करोड़ (रुपये चौरान्वे करोड़ चौदह लाख) की धनराशि प्रस्तावित है। बाह्य सहायतित योजना (एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण पोषित) के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 300 किमी0 लम्बाई में मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य लक्षित है। इस योजना में प्रथम चरण के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों की योजनाएं तैयार कर

निर्माण पूर्व आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में रुपये 120.00 करोड़ (रुपये एक सौ बीस करोड़) की धनराशि प्रस्तावित की गई है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मदों यथा बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधार, क्रोनिक स्लिप जोन का उपचार, लोक निर्माण भवन तथा पूल्ड आवास भवनों के निर्माण आदि मद हेतु रुपये 12.40 करोड़ (रुपये बारह करोड़ चालीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

सरकार द्वारा विशेष रूप से पूर्व में निर्मित अथवा स्वीकृत मोटर मार्गों आदि हेतु अधिगृहीत भूमि, फसल, पेड़ों आदि के मुआवजे का शीर्ष प्राथमिकता पर भुगतान एवं जिन मार्गों के निर्माण हेतु वन विभाग से वन भूमि हस्तान्तरित नहीं हुई है, ऐसे प्रकरणों का निस्तारण युद्ध स्तर पर किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु आय–व्ययक में रुपये 70.00 करोड़ (रुपये सत्तर करोड़) की व्यवस्था की जा रही है।

एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 के अन्तर्गत प्रचलित मानकों के अनुसार पूर्व स्वीकृत कार्यों की प्रगति तथा नवीन कार्यों की स्वीकृति हेतु भी क्रमशः 55.21 करोड़ (रुपये पचपन करोड़ इक्कीस लाख) एवं रु0 24.71 करोड़ (रुपये चौबीस करोड़ इकहत्तर लाख) का बजट प्राविधान किया गया है। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता तथा प्रभावी अनुश्रवण हेतु कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य भी प्रारम्भ किया जा रहा है।

ऊर्जा–

राज्य की विद्युत माँग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति औसत विद्युत उपलब्धता 1000 यूनिट से अधिक किये जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के दृष्टिगत विद्युत की माँग में वृद्धि उचित लक्षण है। विद्युत की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति, वहन योग्य दरों पर विद्युत आपूर्ति, पारदर्शी वितरण पद्धति तथा उपभोक्ता संतुष्टि के मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विद्युत उत्पादन व उपलब्धता में वृद्धि, विद्युत हानियों पर नियन्त्रण, नवीन तकनीकी का उपयोग, विद्युत सुरक्षा तथा विद्युत/ऊर्जा संरक्षण आदि पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

राज्य में अब तक लगभग 20,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता चिन्हित की गयी है, जबकि वास्तविक सम्भावना इससे कहीं अधिक है। विभिन्न जलागम क्षेत्रों में, नदियों एवं जल–स्रोतों के आधार पर सम्प्रति 400 से अधिक योजनाएं चिन्हित की गयी हैं, जिनका क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से स्थलीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है। हमारा प्रयास यह है कि समस्त नदी घाटियों एवं जलागम क्षेत्रों में जो भी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता उपलब्ध हो, उसका अधिक से अधिक दोहन किया जाय।

चिन्हित सम्भावना के सापेक्ष अभी तक केवल 2819 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो सका है। वर्तमान में उक्त आंकलित क्षमता के सापेक्ष लगभग 11480 मेगावाट क्षमता की विभिन्न परियोजनायें राज्य सरकार के उपक्रम–उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों व विभिन्न निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से विकसित करने के लिए आवंटित की जा चुकी हैं। मनेरी भाली–2 परियोजना (304 मेगावाट), जिसका निर्माण कार्य कतिपय कारणों से वर्ष 1992 से पूर्णतः बन्द हो गया था, को पुनः प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना का समय से निर्माण विगत सरकार के कार्यकाल में पूर्ण नहीं हो पाया, अतः मेरी सरकार इसके निर्माण को इसी वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास कर रही है।

इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी ग्रामों को विद्युतीकृत करने हेतु कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2009 तक प्रत्येक घर तक विद्युत पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूर्ण करने का कार्य गतिमान है।

राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति व वन क्षेत्रों के दृष्टिगत कई दूरस्थ गाँवों व तोकों में स्थानीय स्तर पर विद्युत जनन माध्यम से विद्युत पूर्ति के लिये उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का विकास किया जा रहा है इस प्रकार की योजनाओं के निर्माण, संचालन व रखरखाव में स्थानीय जनता की सक्रिय सहभागिता ली जा रही है।

पूरे प्रदेश के संचालनरत एवं बन्द घराटों का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा जनपद स्तर पर घराट संघटन व राज्य स्तर पर घराट संघ गठित किये जा चुके हैं। जन सहभागिता से घराटों का निर्माण व आधुनिकीकरण कर ग्रामीण विद्युतीकरण व ऊर्जा आवश्यकता की स्थानीय स्तर पर पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक विद्युत हानियाँ लगभग 38 प्रतिशत हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस हानि को 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उच्च तकनीकी व प्रबन्धन का उपयोग तथा समाज के सभी पक्षों व हितसाधकों का सक्रिय योगदान व जागरूकता आवश्यक है। विद्युत/ऊर्जा संरक्षण से भी विद्युत खपत पर नियंत्रण से एक ओर अनुत्पादक विद्युत उपभोग को कम किया जा सकता है तो दूसरी ओर दक्षता/कार्यकुशलता में वृद्धि से उत्पादन–सेवा लागत पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भी उच्च तकनीकी व प्रबन्धन का उपयोग तथा समाज के विभिन्न पक्षों व हितसाधकों का सक्रिय सहयोग एवं जागरूकता–शिक्षा भी आवश्यक है। राज्य सरकार इस हेतु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्राविधानान्तर्गत ''ऊर्जा संरक्षण निधि'' स्थापित कर रही है। विभिन्न नदियों तथा जलागम क्षेत्रों का अध्ययन

कर अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता के चिन्हीकरण हेतु भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

पेयजल–

मेरी सरकार राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगरीय पेयजल एवं सीवर योजनाओं, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन, यात्रा मार्गों पर पेयजल व्यवस्था, खाल–खाल एवं नालों का जीर्णोंद्धार, गंगा कार्य योजना प्रथम चरण में निर्मित कार्यों एवं पम्पिंग पेयजल योजनाओं के रख–रखाव तथा राज्य की महत्वपूर्ण नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु कृत संकल्प है, जिसके लिये रु0 336.43 करोड़ (रुपये तीन सौ छत्तीस करोड़ तैंतालीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये राज्य में तेजी से सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिये "राज्य स्तरीय जल संवर्द्धन मिशन" का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को दूर करने हेतु वर्तमान वर्ष में रु0 185.45 करोड़ (रुपये एक सौ पिच्चासी करोड़ पैंतालीस लाख) का व्यय करते हुए कुल 2589 तोकों को पेयजल से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जन सहभागिता के आधार पर पेयजल योजनाओं का निर्माण, क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सैक्टर वाइड एप्रोच प्रोग्राम) के अन्तर्गत समग्र विकास किये जाने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रदेशवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिये 407 नये हैण्डपम्पों की स्थापना, 1423 हैण्डपम्पों की मरम्मत तथा 6 नलकूप चालू करने एवं 11 मिनी नलकूपों का ऊर्जीकरण प्रस्तावित है। चार धाम यात्रा मार्गों पर 215 टैंक टाईप जलस्तम्भों तथा 309 पिलर टाईप जलस्तम्भों का निर्माण कराया जायेगा।

सिंचाई एवं लघु सिंचाई–

राज्य के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने तथा कृषि योग्य भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु मेरी सरकार कृतसंकल्प है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने वित्तीय संसाधनों के साथ ही, भारत सरकार, नाबार्ड आदि स्रोतों से अधिक से अधिक वित्तपोषण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

टिहरी बाँध प्रभावित क्षेत्र में कट ऑफ एरिया के निवासियों की आवागमन सुविधा हेतु ग्राम डोबरा के पास रु0 89.20 करोड़ (रुपये नवासी करोड़ बीस लाख) की लागत से झूला पुल का निर्माण कार्य गतिमान है।

राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में भू–जल संसाधनों का सुनियोजित दोहन, विकास एवं स्थिति के आंकलन के लिए लघु सिंचाई विभाग को भू–गर्भ जल संचय एवं वर्षा जल संवर्द्धन का कार्य भी सौंपा गया है। इस योजना के अन्तर्गत भू–जल क्षमता का आंकलन, भू–जल संरचनाओं के उपयुक्त प्रकार एवं संख्या के आंकलन एवं प्रदेश में भू–जल स्तर में हो रही गिरावट के नियन्त्रण हेतु इस वित्तीय वर्ष में रु0 9.12 करोड़ (रुपये नौ करोड़ बारह लाख) का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

परिवहन–

राज्य में सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। हमारी सरकार जनता को सरल, सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की ओर सतत् प्रयत्नशील है। बस बेड़े में वृद्धि तथा सुदृढ़ीकरण कर सेवाओं के स्तर में सुधार हेतु यथोचित कदम उठाये जाएंगे।

राज्य में रेल सेवाओं के बिस्तार हेतु किच्छा से खटीमा एवं मुजफ्फरनगर–रुड़की रेल लाईन के निर्माण हेतु भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु रु0 19.80 करोड़ (रुपये उन्नीस करोड़ अस्सी लाख) के आय–व्ययक का प्रस्ताव है। मुजफ्फरनगर–रुड़की लाईन के बन जाने से दिल्ली तथा देहरादून के मध्य यात्रा समय में 2 घंटे की बचत होगी।

केन्द्र सरकार की सहायता से देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुमाऊँ मण्डल में एक चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा ऋषिकेश में वाहनों की फिटनेस जाँच हेतु ऑटोमेशन टेस्टिंग लैंस के लिये बजट में प्रस्ताव किया जा रहा है।

सार्वजनिक सेवा यानों से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु मृतक आश्रित को रु0 50 हजार (रुपये पचास हजार), गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रु0 20 हजार (रुपये बीस हजार) एवं सामान्य घायल को रु0 5 हजार (रुपये पाँच हजार) की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किये जाने का प्राविधान लागू कर दिया गया है।

नागरिक उड्डयन–

राज्य में पूजी निवेश को आकर्षित करने एवं पर्यटन विकास तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

जौलीग्रान्ट तथा पन्तनगर हवाई अड्डों को अधिक क्षमता के बड़े विमानों के परिचालन हेतु तथा इन हवाई अड्डो को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में विशेषकर पन्तनगर हवाई अड्डे को कारगो एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जौलीग्रान्ट में 156 एकड़ तथा पन्तनगर में 176 एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रबन्ध कर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई है। दोनों हवाई अड्डों के विस्तारीकरण की योजना के लिये धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के रनवे का कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा।

नैनी सैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ से मध्यम क्षमता के विमानों के परिचालन हेतु हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के लिये अतिरिक्त भूमि क्रय करने के बाद हवाई पट्टी के विकास की योजना बनाई गयी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में नैनी सैनी, गौचर एवं चिन्यालीसौड़ में निर्मित हवाई पट्टियाँ अभी तक क्रियाशील नहीं हो पायी हैं और इनमें अभी तक हवाई सेवाओं का व्यावसायिक संचालन नहीं हो पा रहा है। इन हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से विमान सेवा आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सार्थक पहल की जा रही है।

प्रत्येक जनपद में एक–एक हैलीपैड के निर्माण की योजना है। जौलीग्रान्ट में विमानों के अनुरक्षण हेतु हैंगर का निर्माण किया गया है। गौचर में भी एक हैंगर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास–

राज्य के लिए लागू विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के फलस्वरूप स्थापित हो रहे उद्योगों में न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम उद्योगों की सहभागिता से चलाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने को दृष्टिगत प्रोत्साहन सुविधाएं एवं सहायता, अवस्थापना विकास एवं उपादान की योजना में रु0 6.25 करोड़ (रुपये छः करोड़ पच्चीस लाख) का आय–व्ययक प्रस्तावित किया गया है। इसी दिशा में कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, कृषि आधारित एवं स्थानीय पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी0एम0आर0वाई0) अत्यन्त सफलतापूर्वक प्रदेश में संचालित हो रही है।

आवास, शहरी विकास–

हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के निवासियों को वरीयता देते हुए वहन योग्य दरों पर आवासीय भू–खण्ड व भवन उपलब्ध कराने हेतु आवास नीति बनायी जाय।

बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास तथा इन क्षेत्रों में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए वाँछित अवस्थापना विकास के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत चयनित शहरों हरिद्वार, देहरादून तथा नैनीताल नगरों के लिये रु0 11692 करोड़ (रुपये ग्यारह हजार छः सौ बयानबे करोड़) के पूँजी

निवेश हेतु सिटि डेवलेपमेंट प्लान तैयार कर लिये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जायेगी। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के अवस्थापना विकास के लिये लगभग रु0 2000 करोड़ (रुपये दो हजार करोड़) की परियोजना भी तैयार की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के 31 शहरों में पेयजल, सीवर, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन तथा सड़कों के निर्माण जैसे कार्य किये जायेंगे। इसी वित्तीय वर्ष में एशियन विकास बैंक से प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृत कराकर इस पर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं को तैयार करने तथा इन्हें लागू करने के प्रयासों में तेजी लायी जायेगी।

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण–

2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का साक्षरता प्रतिशत 71.60 है जो कि भारत की साक्षरता प्रतिशत 65.38 से 6.22 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार प्रदेश में शत प्रतिशत साक्षरता दर को प्राप्त करने हेतु कृतसंकल्प है।

शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों एवं जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित कराया जा रहा है। गत वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना रु0 160 करोड़ (रुपये एक सौ साठ करोड़) के आकार को बढ़ाते हुए इस वर्ष रु0 253 करोड़ (रुपये दो सौ तिरपन करोड़) कर दिया गया है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 19 विकास खण्डों के 760 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 में अध्ययनरत लगभग 81,086 छात्रों को भी इस वर्ष से मिड–डे–मील योजना से आच्छादित करने की योजना है।

चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम आरम्भ किये जाने हेतु रु0 1.95 करोड़ (रुपये एक करोड़ पिच्यानवे लाख) की व्यवस्था की गयी है।

सुदूरवर्ती विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश में 4956–विशिष्ट बी0टी0सी0 एवं 4117–एल0टी0 ग्रेड के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही को जुलाई, 2007 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

चालू वित्तीय वर्ष में ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु रु0 10.50 करोड़ (रुपये दस करोड़ पचास लाख) की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्यों को प्रोत्साहन हेतु प्रयोगशाला निर्माण हेतु रु0 7 करोड़ (रुपये सात करोड़) की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु तेजस्वी योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 8 उत्तीर्ण करने एवं कक्षा 9 में प्रवेश करने पर रु0 3000 (रुपये तीन हजार) के विशेष अनुदान हेतु इस वर्ष एक करोड़ की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षकों को सत्रान्त लाभ प्रदान किये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।

राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, बलुवाकोट, खटीमा, बड़कोट, जोशीमठ तथा पुरोला में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिये फर्नीचर व उपकरण हेतु रु0 75 लाख (रुपये पिचहत्तर लाख) की बजट व्यवस्था की गई है।

तकनीकी शिक्षा विभाग में विश्व बैंक सहायतित योजना-तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के अन्तर्गत इस वर्ष रु0 484 लाख (रुपये चार सौ चौरासी लाख) की धनराशि का व्यय प्रस्तावित है। राजकीय पॉलिटेक्निकों के भवन निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 21.25 करोड़ (रुपये इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख) की धनराशि की बजट व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत कोटाबाग-रामनगर में महिला पॉलिटैक्निक एवं राजकीय पॉलिटैक्निक, कोटद्वार की स्थापना एवं वृहद् निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।

यह हर्ष का विषय है कि प्रथम साउथ एशियन शीत खेलों की मेजबानी का दायित्व, एशियन शीत ओलम्पिक संघ द्वारा राज्य को प्रदान किया गया है। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए राज्य के बजट में रु0 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) का प्राविधान किया गया है। केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा भी इन खेलों के सफल आयोजन हेतु इस वर्ष रु0 50 करोड़ (रुपये पचास करोड़) की अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

खेलों के विकास हेतु अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत 10 स्टेडियम, 08 इन्डोर हॉल एवं 02 तरणताल विद्यमान हैं, साथ ही 02 स्टेडियम, 02 इन्डोर हॉल अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) में जनपद स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, गोपेश्वर (चमोली) के स्टेडियम का विस्तारीकरण, बागेश्वर में बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल, स्पोर्ट्स कॉलेज-देहरादून में तरणताल तथा निदेशालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके लिये रु0 11 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़) का प्राविधान आय-व्ययक में किया गया है। उक्त के अतिरिक्त पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी अवस्थापना सुविधा का सृजन का प्रयास किया जा रहा है।

युवा पीढ़ी के हितार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद क्रियाओं में विस्तार एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किये

जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाय। वर्तमान में 35 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं।

संस्कृति एवं पर्यटन–

देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप आदर्श प्रदेश की स्थापना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसी क्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों के शोध कार्य हेतु सहायता, हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण एवं उन्नयन, जनजाति लोक कला का उन्नयन एवं विकास, विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में कार्य कर रहे नव कलाकारों को छात्रवृत्ति, साहित्यिक क्षेत्र में कार्य कर रहे विशिष्ट कलाकारों को फेलोशिप तथा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने विषयक केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए नई मांग के माध्यम से रु0 18 लाख (रुपये अठारह लाख) का प्राविधान किया गया है।

"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिये योजना में ऋण राशि रु0 15.00 लाख (रुपये पन्द्रह लाख) से बढ़ाकर रु0 20.00 लाख (रुपये बीस लाख) तथा राज सहायता रु0 3.75 लाख (रुपये तीन लाख पिचहत्तर हजार) से रु0 5.00 लाख (रुपये पांच लाख) अधिकतम कर दी गई है।

प्रदेश के चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों व यात्रियों के बढ़ते दबाव के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन व सुदृढ़ीकरण के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाये जाने हेतु राज्य के संसाधनों के अतिरिक्त जे0बी0आई0सी0 (जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

देहरादून में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित होटल प्रबन्धन संस्थान में छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम चरण में रु0 1 करोड़ (रुपये एक करोड़) का प्राविधान किया जा रहा है।

पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल के अन्तर्गत टपकेश्वर (गढ़ीकैन्ट) के निकट पर्यटन विभाग की 10 एकड़ भूमि पर उच्च श्रेणी का होटल/कन्वेन्शन सेन्टर के निर्माण हेतु शीघ्र ही अनुबन्ध किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लगभग रु0 7.00 करोड़ (रुपये सात करोड़) वार्षिक आय का अनुमान है।

पर्यटकों को मूल–भूत सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटक स्थलों एवं यात्रा मार्गों पर आधुनिक सुविधायुक्त 44 पर्यटन सुविधा/पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों पर सुगमता से पहुंचने के लिए पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप स्वरूप में रज्जुमार्ग (रोप वे) स्थापित किये जायेंगे। केदारनाथ एवं यमुनोत्री हेतु रज्जुमार्ग की कार्य योजना तैयार की जा रही है तथा अन्य प्रमुख स्थानों हेतु अध्ययन किया जा रहा है।

यात्रा मार्गों पर मूलभूत सुविधाओं के लिये हरिद्वार, तपोवन, ऋषिकेश, मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि स्थलों पर घाटों का निर्माण कराया जा रहा है।

यात्रा मार्गों पर पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है जो यात्रियों एवं पर्यटकों को सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

चिकित्सा (एलोपैथी, आयुर्वेद व होम्योपैथ), परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा–

मेरी सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के विस्तार हेतु चरणबद्ध रूप से परिवार कल्याण उपकेन्द्रों की स्थापना की जायेगी, जिसके लिये राज्य निधि से 400 उपकेन्द्रों की स्थापना बजट में प्रस्तावित है। इन उपकेन्द्रों पर ए०एन०एम० की नियुक्ति "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" के माध्यम से की जायेगी।

मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस हेतु (इण्डियन पब्लिक हैल्थ स्टैन्डर्स) के मानकों के अनुसार 200 परिवार कल्याण उपकेन्द्रो का विस्तारीकरण किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक उपकेन्द्र में एक प्रसव कक्ष तथा एक प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण किया जायेगा।

किराये के भवनों में संचालित 164 परिवार कल्याण उपकेन्द्रों का भवन निर्माण, 16 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण व 22 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण के लिये आवश्यक बजट व्यवस्था की गई है।

उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों तथा सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु रु0 64.98 करोड़ (रुपये चौंसठ करोड़ अठान्नबे लाख) का प्राविधान किया गया है।

राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। इन क्षेत्रों में जनसामान्य को 10 सचल चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा तथा निदान सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

दून चिकित्सालय, देहरादून में एम0आर0आई0, मैमोग्राफी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु राज्य के समस्त महिला चिकित्सालयों एवं संयुक्त चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से नियोनेटल यूनिटों की स्थापना की जायेगी।

राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण यहाँ के रोगियों को दूसरे राज्यों में चिकित्सा उपचार हेतु जाना पड़ता है। इस हेतु देहरादून में राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों व यात्रा मार्गों पर औसतन 50 किमी0 पर एक बेसिक ट्रोमा केयर की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके क्रम में इस वर्ष 03 ट्रोमा केयर सेंटर की स्थापना की जायेगी जिस हेतु रु0 2.10 करोड़ ( रुपये दो करोड़ दस लाख) का प्राविधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त दो स्थानों पर ब्लड बैंक के भवन का निर्माण किया जायेगा जिस हेतु रु0 40 लाख (रुपये चालीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

इस वर्ष 06 ब्लॉक मुख्यालयों पर शव विच्छेदन गृह का निर्माण किया जायेगा जिस हेतु रु0 1.20 करोड़ (रुपये एक करोड़ बीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु परिवार कल्याण उपकेन्द्रों को उच्चीकृत एवं ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनर्निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मियों को भिन्न-भिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक ही चिकित्सालय में एलोपैथी, होम्योपैथी तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों की सुविधा जनसामान्य को उपलब्ध कराने हेतु समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना की जायेगी।

उत्तराखण्डवासी विशिष्ट चिकित्सा उपचार एवं निदान सुविधाओं हेतु बहुधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं अन्य चिकित्सालयों में जाते हैं। वहाँ पर रोगियों के परिजनों को ठहरने हेतु उचित सुविधा न होने के कारण उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड के रोगियों के परिजनों हेतु शासकीय व्यय पर ठहरने की व्यवस्था करेगी।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को शीघ्र क्रियाशील करने हेतु भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु0 25 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़) का प्राविधान किया गया है। कॉलेज की स्थापना के लिए रु0 12.91 करोड़ (रुपये बारह करोड़ इक्यानबे लाख) की बजट व्यवस्था की गई है।

राज्य में जन सामान्य को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष ग्राम की स्थापना की जाएगी।

ऋषिकुल एवं गुरुकुल स्थित शैक्षणिक हर्बल गार्डन का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

चिकित्सा, पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज (हरिद्वार) में पंचकर्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों तथा फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण की नई योजना बनाई गई है।

समाज कल्याण–

समाज में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों एवं सभी कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिये हमारी सरकार वचनबद्ध है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं अल्पसंख्यक के क्रमशः 49600, 92653, 57000, 2500 तथा 179168 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति हेतु रु0 68.97 करोड़ (रुपये अड़सठ करोड़ सत्तानबे लाख) का प्राविधान किया गया है।

इसी प्रकार देहरादून के कालसी में अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" के भवन निर्माण हेतु रु0 2.20 करोड़ (रुपये दो करोड़ बीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

समाज के निःशक्त एवं अक्षम व्यक्तियों को समाज में आत्म सम्मान भरा जीवन व्यतीत करने हेतु विकलांग भरण–पोषण अनुदान के लिये रु0 16.00 करोड़ (रुपये सोलह करोड़) धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे 27,756 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

प्रदेश की असहाय एवं निराश्रित विधवा महिलाओं को संरक्षण एवं आत्म विश्वास प्रदान करने हेतु रु0 400 (रुपये चार सौ) प्रति माह निराश्रित विधवा पेंशन देकर लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 में रु0 34.58 करोड़ (रुपये चौंतीस करोड़ अठावन लाख) की धनराशि से 58,250 निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन से आच्छादित किया जायेगा।

समाज कल्याण के अधीन संचालित विभिन्न आश्रम पद्धति विद्यालयों, संप्रेक्षण गृहों व अन्य आवासीय गृहों व विद्यालयों में निवासरत समस्त अध्यासियों की भोजन मदों को पुनरीक्षित कर प्रतिमाह रु0 500 (रुपये पांच सौ) से बढ़ाकर विभिन्न मदों में रु0 800 (रुपये आठ सौ), रु0 1000 (रुपये एक हजार) एवं रु0 1200 (रुपये एक हजार दो सौ) कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को कन्याधन के रुप में रु0 25,000 (रुपये पच्चीस हजार) मात्र की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दिये जाने की योजना को व्यापक स्वरूप देते हुए इस वर्ष "गौरा देवी कन्या धन योजना" के नाम से सभी वर्गों के बी0पी0एल0 परिवारों की कन्याओं को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना हेतु रु0 20 करोड़ (रुपये बीस करोड़) का प्राविधान किया गया है।

अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी छात्रों को आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 परीक्षाओं के लिये परीक्षा पूर्व कोचिंग देने हेतु जनपद देहरादून एवं अल्मोड़ा में स्थित कोचिंग सेन्टरों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है, जिसके लिये रु0 35 लाख (रुपये पैंतीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता"

हमारी सरकार मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए महिलाओं को सशक्त करने हेतु एवं बच्चों के कल्याण एवं उत्थान के लिये वचनबद्ध है।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं का लाभ सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है राज्य में पूर्व से संचालित 7792 आँगनबाड़ी केन्द्रों के अलावा 1872 नये आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा 2676 नये मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करते हुए शिशु मृत्यु दर को 2010 तक 28 के स्तर पर लाना एवं बाल मृत्यु दर को 15 के स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुए 24 बाल विकास परियोजनाओं में 1,361 किशोरी समूहों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।

उत्तराखण्ड की महिलाओं की कठिन दिनचर्या एवं अत्यधिक कार्यबोझ को दृष्टिगत रखते हुए इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत राजकीय विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों के समन्वित सहयोग से विविध परियोजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनके लिए रु0 6 करोड़ (रुपये छः करोड़) का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण–

हमारा प्रदेश "देवभूमि" के साथ ही "वीरभूमि" की भी श्रेणी में आता है–औसतन यहाँ हर परिवार से न्यूनतम एक सदस्य सेना में है। मेरी सरकार पूर्व सैनिकों तथा वर्तमान में सेवारत् सभी सैनिकों की देश सेवा का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिये वचनबद्ध है।

हमारा यह भी प्रयास है कि सरकार विकास के हर क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की सहभागिता सुनिश्चित करे।

भारत सरकार के सहयोग से इको टास्क फोर्स के अन्तर्गत 4 अतिरिक्त कम्पनियों से सघन वनीकरण का कार्य कराना प्रस्तावित है।

वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय अनुदान एवं वार्षिकी (एन्यूइटी) में वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है।

श्रम, रोजगार तथा प्रशिक्षण–

श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

प्रदेश में श्रमिकों के हित में श्रम कल्याण निधि का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्त्रोतों से रु0 41 लाख (रुपये इकतालीस लाख) की धनराशि जमा की गयी।

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत राज्य के तीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार के सहयोग से व्यवसायों को उच्चीकृत करते हुए आवश्यक साज–सज्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कर सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जा रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–

प्रदेश की जनता को अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न एवं चीनी तथा मिट्टी तेल उचित मूल्य पर सुलभ कराना, केन्द्रीय पूल के लिये गेहूँ व चावल की खरीद कराना, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का क्रय करना, गोदामों में भण्डारण तथा उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को आवंटन करना, चीनी की उपलब्धता बनाये रखना, प्रदेश में अवैध बाटों तथा मापों के प्रचलन व घटतौली की रोकथाम, उपभोक्ता संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना आदि जनहितकारी योजनायें विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वनों को बचाने हेतु दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन की उपलब्धता के लिये नई मांग के माध्यम से रु0 8 करोड़ (रुपये आठ करोड़) की व्यवस्था की जा रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–

प्रदेश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, संस्थाओं को एक साथ जोड़ना, विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय, उद्योग तथा शैक्षणिक जगत के मध्य सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास, प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार को प्रोत्साहन, आधारी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के विकास हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना की गई है।

शोध एवं विकास प्रदर्शन एवं विस्तार, विज्ञान लोकव्यापीकरण एवं साइंस सिटी का गठन, हिमालयन सिस्टम साइंस, महिला एवं कमजोर वर्ग हेतु साइंस सोसाइटी कार्यक्रम, उद्यमिता विकास जैसे मुख्य कार्यक्रम परिषद् की कार्ययोजना में सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण हेतु चार प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कुल रु0 9.70 करोड़ (रुपये नौ करोड़ सत्तर लाख) का बजट प्राविधान का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र हेतु भूमि का क्रय, परिसर का निर्माण, इन हाऊस अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण इत्यादि कार्य प्रस्तावित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी–

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य सम्पन्न करने का है। इन्हीं उपयोगिताओं व आवश्यकताओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना परिकल्पित की गई है, जिसे राज्य में भी चलाया जा रहा है। ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत जनता को विभिन्न सेवायें उनके नजदीक उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राज्य में डाटा सेन्टर की स्थापना की जा रही है तथा स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (एस0डब्ल्यू0ए0एन0) का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम स्तर तक राज्य में लगभग 2825 स्थानों में ई–सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर–सी0एस0सी0) स्थापित करने की योजना को भी प्रारम्भ किया गया है। विभागों/विभागीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

कृषि, जलागम एवं गन्ना विकास–

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास एवं उचित प्रबन्धन के साथ–साथ उत्पादकता व जीविकोपार्जन के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से विश्व बैंक वित्त पोषित लगभग रु0 402.00 करोड़ (रुपये चार सौ दो करोड़) लागत की परियोजना उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना ''ग्राम्य'' वर्ष 2004 में प्रारम्भ की गई है तथा योजना की अवधि 7 वर्ष की है।

क्षमता विकास परियोजना के लिए रु0 73.24 करोड़ (रुपये तिहत्तर करोड़ चौबीस लाख) का बजट प्राविधान किया जा रहा है, जिसमें महिला कल्याण कार्यक्रमों पर लगभग रु0 21.27 करोड़ (रुपये इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख) सम्मिलित हैं।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से वार्षिक योजना 2007–08 के प्रारूप में कृषि क्षेत्र के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन एवं दोहन पर विशेष बल दिया गया है तथा राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की समन्वित विकास की वृद्धि दर बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

नये प्रयासों के अन्तर्गत वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में उगायी जाने वाली विशिष्ट फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु संरक्षित कृषि कार्यक्रम (प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर स्कीम) प्रस्तावित किया गया है। इसके अन्तर्गत किसानों को विशिष्ट फसलों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा उन्हें वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में उगायी जाने वाली विविध स्थानीय फसलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा उनकी उत्पादकता में सुधार किये जाने हेतु स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम इस वर्ष से कार्यान्वित किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र विशेष में सिंचन क्षमता को बढ़ाने हेतु वर्षा जल के अधिकाधिक संरक्षण एवं कृषि हेतु उपयोग में लाये जाने के लिये वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम प्रस्तावित किया जा रहा हैं इसके अन्तर्गत रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा पक्की संरचनाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया जायेगा, ताकि वर्षा जल का अधिक से अधिक संग्रहण किया जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा फसल, उद्यान एवं मत्स्य बीज उत्पादन के लिए कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर को रु0 5.80 करोड़ (रुपये पाँच करोड़ अस्सी लाख) धनराशि की नई परियोजना स्वीकृत की गई है।

हम भारत सरकार के आभारी हैं कि 2007–08 के केन्द्रीय बजट में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को एक्सीलेन्स केन्द्र मानने के साथ रु0 50 करोड़ (रुपये पचास करोड़) का अनुदान दिये जाने की घोषणा की है।

गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन की नई तकनीक/प्रजातियों एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित/जागृत करने हेतु प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में एक क्षेत्रीय सूचना केन्द्र तथा जनपद हरिद्वार में गन्ना शोध केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान हेतु सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को रु0 25 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़) ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

उद्यान–

प्रदेश के आर्थिक विकास में औद्यानिक क्षेत्र का विशेष महत्व है। इसे दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार वर्ष 2007–08 में निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तावित कर रही है:–

मानव संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत सचल दल केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

प्रचार–प्रसार हेतु साहित्यों का प्रकाशन, प्रशिक्षण शिविर तथा विशिष्ट प्रदर्शन कराया जाना।

पर्यावरण सुरक्षा के साथ फलों की पैकिंग हेतु पुराने प्रचलित लकड़ी के बक्सों के स्थान पर कोरोगेटेड बक्सों को प्रोत्साहित किया जाना।

चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007–08 में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान स्थापित करने का लक्ष्य है।

काश्तकारों के उद्यानों की जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

फलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हेतु नई किस्मों को बाहर से आयात कर सघन वृक्षारोपण (हाईडेन्सिटी) किया जाना।

मशरूम उत्पादन योजना में किसानों को राज सहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट वितरित किया जाना।

कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा में एक जड़ी-बूटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाना।

प्रदेश में फूलों की खेती को प्रोत्साहन प्रदान कर इस वर्ष इसके अधीन आच्छादित क्षेत्रफल को डेढ़ गुना से अधिक करने के लिये प्रयास करेगी।

भेषज संघों की प्राथमिक एवं केन्द्रीय समितियों में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में अपर्याप्त है। इन समितियों में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30 प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

डेरी विकास, मत्स्य विकास तथा पशुपालन—

प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी।

डेरी विकास योजना के अन्तर्गत दुग्ध संग्रह, प्रसंस्करण व विपणन हेतु दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान, राज्य के दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, धारी जनपद नैनीताल में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण प्राविधानित हैं।

प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में उपलब्ध प्रचुर जल सम्पदा का समुचित उपयोग कर जन सामान्य के सर्वांगीण विकास, निर्धन परिवारों को प्रोटीनयुक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में मत्स्य पालन को प्रदेश में प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रदेश के मत्स्य फार्मों/हैचरियों के आधुनिकीकरण, रुड़की जनपद हरिद्वार में मत्स्य विपणन इकाई के निर्माण प्रस्तावित हैं, इसके साथ रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों के सृजन हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

पशुपालन विभाग अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्प एवं प्रयत्नशील है कि प्रदेश में उपलब्ध कुल पशु सम्पदा 49.43 लाख व कुक्कुट सम्पदा

19.84 लाख का विकास इस दृष्टि से किया जाये कि पशुओं की संख्या के अनुसार उनकी उत्पादन क्षमता व उत्पादकता में निरन्तर अभिवृद्धि करते हुए, पशुपालक, कृषक एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के उत्तम साधन उपलब्ध हो सकें और वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें।

प्रदेश में गो वध पर प्रतिबन्ध को व्यापक बनाने हेतु आवश्यक विधिक व्यवस्था की जायेगी।

गोवंश नस्ल सुधार, पंचगव्य औषधियों (गो चिकित्सा) को तैयार करने तथा प्रति जैविक दवाओं (एन्टीबायोटिक) के प्रचलन कम करने हेतु गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना चमोली जनपद में किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु रु0 3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) का बजट प्राविधान किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित चारा विकास की योजनाओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है जिसके लिए पृथक से प्राविधान किया गया है।

वन–

वानिकी, उत्तराखण्ड राज्य की एक प्रमुख गतिविधि है। बाँस एवं रिंगाल, च्यूरा, थुनेर आदि की रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनायें लागू की गयी हैं, तराई एवं भाबर क्षेत्र में यूकेलिप्टस तथा पापुलर के क्लोनल वृक्षारोपण स्थापित किये जा रहे हैं।

जल संरक्षण करने वाली चौड़ी पत्तियों के वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन की नई योजना हेतु रु0 2 करोड़ (रुपये दो करोड़) का प्राविधान किया गया है। विभाग की वनीकरण सम्बन्धी समस्त योजनाओं में जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों को अनिवार्य बनाया गया है।

नई योजनाओं के अन्तर्गत उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बुग्याल को संरक्षित करना प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड के वन सम्पदा एवं वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित क्षेत्रों की फॉरेस्ट चौकियों तथा अन्य संवेदनशील चौकियों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

दूरस्थ वन क्षेत्रों में कार्यरत वन कर्मियों के परिवारों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार तथा उत्तरकाशी में पुलिस लाईन की भाँति "फॉरेस्ट लाईन" तैयार की जाएगी।

ग्राम्य विकास–

राज्य में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण, 2002 के अनुसार आवास विहीन ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवास बनाया जाना सम्भव नहीं

हैं या ऐसे परिवार जिनके मकान पूर्णतः कच्चे हैं और इन्दिरा आवास योजना की परिभाषा के अनुसार वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिये उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना के नाम से योजना प्रस्तावित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सेक्टर से आवास निर्माण के लिए रु0 25000 (रुपये पच्चीस हजार) की धनराशि अनुदान के रूप में देय होगी। इस योजना के अन्तर्गत शेष दिशा निर्देश इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देश लागू होंगे इसके लिए रु0 32.50 करोड़ (रुपये बत्तीस करोड़ पचास लाख) का प्राविधान किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 एवं उससे अधिक आबादी की सभी बसावटों को सड़क से जोड़ने हेतु वन भूमि सम्बन्धी लम्बित प्रस्तावों के निस्तारण के लिये प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है तथा निर्माण कार्य में तेजी लायी जाएगी।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों को क्रमिक आधार पर उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

न्याय–

आम जनता की सुविधा के लिये फौजदारी वादों के त्वरित निस्तारण हेतु शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पर आधारित त्वरित न्यायालयों के निर्माण हेतु पूँजीगत मद में रु0 10 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस धनराशि में से आधी धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व–

राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रु0 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) का प्रस्ताव किया गया है।

द्वितीय चरण में राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु कानूनगो चौकियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये आवश्यक बजट व्यवस्था की गई है।

उत्तराखण्ड में भूमि के अनियंत्रित क्रय–विक्रय की बढ़ती प्रवृत्ति तथा भू–माफियाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु हमारी सरकार द्वारा सुसंगत नियमों में कतिपय संशोधन कर निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं:–

कोई भी व्यक्ति स्वयं के परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिग सन्तान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता–पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु भले ही वह धारा–129 के अधीन खातेदार या उत्तराखण्ड

में किसी अचल समपत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदता है, जिसके पक्ष में ले-आउट प्लान अनुमोदित है, तो 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने के लिये उसे शासन की अनुमति लेनी होगी। अन्यथा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

भूमि क्रय के लिए दिये गये आवेदन-पत्र का 90 दिन के अन्दर निस्तारण न होने पर स्वतः भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त होने सम्बन्धी प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है।

आबकारी-

आबकारी की नई नीति बनाई गई है, इसमें मुख्यतः निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं:-

आबकारी नीति में मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन-पत्र फीस (प्रोसेसिंग फीस) रु0 7500.00 (रुपये सात हजार पाँच सौ) रखी गई जिसके फलस्वरूप राजस्व वृद्धि का अनुमान है।

इस वर्ष रु0 417.00 करोड़ (रुपये चार सौ सत्रह करोड़) का राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया है।

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष मदिरा की दुकानें प्रातः 11.00 बजे से 8.00 बजे तक खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता केवल अपनी आसवनी के विदेशी ब्राण्ड्स ही उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे।

कोई भी मदिरा की दुकान स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राष्ट्रीय/राजमार्ग, यात्रा-मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप नहीं खोली जाएगी।

नियोजन विभाग-

विकास कार्यक्रम मद में 5 जनपदों के 9 विकास खण्डों हेतु रु0 11.55 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़ पचपन लाख) का आय-व्ययक प्रस्तावित है। इसी प्रकार सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण मद में रु0 2.76 करोड़ (रुपये दो करोड़ छिहत्तर लाख) का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण में रु0 5.40 करोड़ (रुपये पाँच करोड़ चालीस लाख) का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत रु0 40.40 करोड़ (रुपये चालीस करोड़ चालीस लाख) का आय–व्ययक प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब योजना का स्वरूप परिवर्तित कर बी0आर0जी0एफ0 (बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड) कर दिया गया है।

विभागों द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के साथ गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से इनका तकनीकी परीक्षण/मूल्यॉकन आवश्यक है। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित तकनीकी मूल्यॉकन संगठनों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि तटस्थ जॉच परिणाम प्राप्त हो सकें। इस कार्य हेतु रु0 1 करोड़ (रुपये एक करोड़) का बजट प्रस्तावित है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष, 2007–08 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

## वर्ष 2007–08 के बजट का वित्तीय विवरण

प्राप्तियाँ–

वर्ष 2007–08 में रु0 10868.60 करोड़ (रुपये दस हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ साठ लाख) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 9016.49 करोड़ (रुपये नौ हजार सोलह करोड़ उनचास लाख) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 1852.10 करोड़ (रुपये एक हजार आठ सौ बावन करोड़ दस लाख) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2007–08 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 3990.52 करोड़ (रुपये तीन हजार नौ सौ नब्बे करोड़ बावन लाख) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 1245.09 करोड़ (रुपये एक हजार दो सौ पैंतालीस करोड़ नौ लाख) सम्मिलित है।

व्यय–

वर्ष 2007–08 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 495.16 करोड़ (रुपये चार सौ पिच्चानबे करोड़ सोलह लाख), ब्याज की अदायगी के रूप में लगभग रु0 1150.42 करोड़ (रुपये एक हजार एक सौ पचास करोड़ बयालीस लाख), राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रु0 2560.62 करोड़ (रुपये दो हजार पाँच सौ साठ करोड़ बासठ लाख), पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 498.03 करोड़ (रुपये चार सौ अठानबे करोड़ तीन लाख) व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2007–08 में कुल व्यय रु0 11128.23 करोड़ (रुपये ग्यारह हजार एक सौ अट्ठाईस करोड़ तेईस लाख) अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 8072.58 करोड़ (रुपये आठ हजार बहत्तर करोड़ अठावन लाख) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3055.65 करोड़ (रुपये तीन हजार पचपन करोड़ पैंसठ लाख) पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा–

समेकित निधि में रु0 4788.08 करोड़ (रुपये चार हजार सात सौ अठासी करोड़ आठ लाख) आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 6340.15 करोड़ (रुपये छः हजार तीन सौ चालीस करोड़ पन्द्रह लाख) आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 2319.15 करोड़ (रुपये दो हजार तीन सौ उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख) आयोजनागत तथा रु0 5753.43 करोड़ (रुपये पाँच हजार सात सौ तिरेपन करोड़ तैंतालीस लाख) आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 2468.93 करोड़ (रुपये दो हजार चार सौ अड़सठ करोड़ तिरानबे लाख) आयोजनागत पूँजी लेखा तथा रु0 586.71 करोड़ (रुपये पाँच सौ छयासी करोड़ इकहत्तर लाख) आयोजनेत्तर पूँजी लेखा प्रस्तावित है।

लोक–लेखा से समायोजन–

वर्ष 2007–08 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 150.00 करोड़ (रुपये एक सौ पचास करोड़) लोक–खाता से समायोजित किए जायेंगे।

अंतिम शेष–

वर्ष 2007–08 में प्रारम्भिक धनात्मक शेष रु0 08.22 करोड़ (रुपये आठ करोड़ बाईस लाख) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष रु0 73.41 करोड़ (रुपये तिहत्तर करोड़ इकतालीस लाख) होना अनुमानित है। इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। मैं सी0आई0आई0 तथा नाबार्ड एवं अन्य संगठनों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आय–व्ययक की संरचना हेतु उपयोगी सुझाव दिए हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को

भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

आइये, हम सब मिलकर इस देवभूमि को विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ायें और इसे भारत के सबसे सम्पन्न, विकसित व संस्कारित प्रदेश का रूप दें।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुःख भाग भवेत्।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2007–08 का आय–व्ययक प्रस्तुत करता हूँ।

## नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री मनोज तिवारी तथा हाजी तस्लीम अहमद की कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं इनमें से प्रदेश के चिकित्सा अनुभाग–3 के द्वारा दिनाँक 01–05–2007 को फार्मेसिस्टों के पदों को समाप्त करने की कोशिश के कारण फार्मेसिस्टों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री मनोज तिवारी की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत तथा प्रदेश के उर्दू अनुवादकों/सह कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति उर्दू अनुवादक/सह वरिष्ठ लिपिक के पद पर किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

## जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी के पिलंग गाँव में नियम विरुद्ध शिक्षा मित्र की नियुक्ति के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री मदन कौशिक–

[शासनादेश संख्या–55/बे0शि0/2004, दिनाँक 17–02–2004 के द्वारा शिक्षा मित्र की व्यवस्था किये जाने हेतु पहले ग्राम सभा में उपलब्ध बी0एड0 अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिये जाने, तदोपरान्त यदि ग्राम सभा में बी0एड0 अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध बी0एड0 अभ्यर्थी को शिक्षा मित्र के रूप में चयनित किये जाने तथा ग्राम सभा/विकास खण्ड स्तर पर भी बी0एड0 अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो ग्राम सभा में उपलब्ध स्नातक और यदि ग्राम सभा में स्नातक न हों, तो विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध स्नातक अभ्यर्थी को उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत चयनित किये जाने का प्राविधान है। यदि उक्त शासनादेश की व्यवस्था से इतर किसी भी अधिकारी द्वारा कोई अनियमित नियुक्ति/चयन किया गया है तो नियमानुसार जाँच कर सम्बन्धित दोषियों को दण्डित किया जायेगा।]

---

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद हरिद्वार में ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत सड़कों में सुधार के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[ए0डी0बी0 योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:–

1. यह योजना वर्ष 2006–07 से 2013–14 तक सात चरणों में प्रस्तावित है।
2. प्रदेश में कुल 10,800 कि0मी0 मार्गों का इम्प्रूवमेन्ट प्रस्तावित है।
3. 550 मिलियन डॉलर ऋण तथा 280 मिलियन डॉलर राज्यांश है अर्थात् कुल 830 मिलियन डॉलर व्यय होगा।
4. फेज प्रथम में प्रदेश की कुल 572 कि0मी0 सड़कें ली गयी हैं।
5. ए0डी0बी0 द्वारा अनुमोदित 10,800 कि0मी0 लम्बाई के मास्टर प्लान में से ही प्राथमिकतावार सड़कों का चयन किया गया है।
6. हरिद्वार जनपद की एक सड़क 18.40 कि0मी0 फेज प्रथम में मास्टर प्लान के अनुरुप सम्मिलित की गयी थी, किन्तु इस योजना के क्रियान्वयन में आने से पूर्व ही चयनित मार्ग की महत्ता व शीघ्रता को देखते हुये अन्य योजना में उक्त मार्ग की स्वीकृति कर दी गई है।

हरिद्वार जनपद की सड़कें मास्टर प्लान के अनुसार फेज प्रथम के आगे के चरणों में सम्मिलित हैं। फेज द्वितीय के मार्गों की डी0पी0आर0 बनाने हेतु कन्सलटेन्ट का चुनाव कर लिया गया है और कार्य अवार्ड किया जा रहा है। मार्च, 2008 तक डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही (पूर्ण कर लिया जाना) लक्षित है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 17 बजकर 12 मिनट पर दिन मंगलवार, दिनाँक 03 जुलाई, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

दिनाँक 02 जुलाई, 2007।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर पीछे पृष्ठ–19 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर का संलग्नक

ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों की सूची:–

(1) नये 33/11 के0वी0 उप संस्थानों का निर्माण।

(2) 33/11 के0वी0 उप संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

(3) 33 एवं 11 के0वी0 नई लाईनों का निर्माण।

(4) 33 एवं 11 के0वी0 लाइनों के क्षतिग्रस्त तारों को बदलना।

(5) 11/0.4 के0वी0 वितरण परिवर्तकों की स्थापना एवं क्षमतावृद्धि का कार्य।

(6) वितरण परिवर्तकों की सुरक्षा एवं मीटरिंग हेतु उन पर एल0ए0, एम0सी0सी0बी0, कैपिस्टर एवं मीटर आदि लगाना।

(7) उपभोक्ताओं के लिए कन्ज्यूमर इन्डेक्सिंग का कार्य।

(8) उपभोक्ताओं के परिसर में इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाना।

(9) उप संस्थानों के डाटा के लिए लॉगिंग का कार्य।

नत्थी 'ख'

(देखिये अ0प्र0सं0–32 का उत्तर पीछे पृष्ठ–35 पर)

## सूची–1

## वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006 में निर्माण खण्ड, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के नाम

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 1. | सौगढ़–पंतगाँव–चमड़खान मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधार |
| 2. | द्वाराहाट–बिमाण्डेश्वर–ईड़ा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार (9–14) |
| 3. | नागार्जुन–डहल–जालली मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण का कार्य) |
| 4. | दौला–नौबाड़ा हल्का वाहन मोटर मार्ग का में परिवर्तन |
| 5. | नौबाड़ा–दौला मोटर मार्ग का निर्माण |
| 6. | सौगढ़–पंतगाँव–चमड़खान हल्का मार्ग कि0मी0 11.500 से 12.000 तक शेष कार्य |
| 7. | सौगढ़–सिरमोली–पंतगाँव मोटर मार्ग के रख–रखाव हेतु बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 के सुधार से तथा अन्य मदों के पुनः निर्माण एवं मरम्मत का कार्य |
| 8. | दूनागिरी गणेश मन्दिर मोड़ कटान |
| 9. | कफड़ा–बड़ेत मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण को छोड़कर) |
| 10. | गंगास से पीपलटाना मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण) |
| 11. | भिकियासैंण–बाड़ीकोट–बेल्टी विनायक मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधार (4.400 से 1.250) |
| 12. | गनाई–जौरासी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य |
| 13. | दौला–बाजन–सिनार मोटर मार्ग का निर्माण |
| 14. | भिकियासैंण–गुन्सार हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन |
| 15. | विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत असमोला–कुनरयारी–बमीनी मोटर मार्ग |
| 16. | भासी–नौबाड़ा मोटर मार्ग कासीलिंग कार्य |
| 17. | मैंसी–गैरखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से 12 के मध्य सोलिंग से लेपन कार्य |

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 18. | भिकियासैण–विनायक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार कार्य |
| 19. | चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग का डामरीकरण |
| 20. | अल्मोड़ा में गैरखेत–बल्मरा बसई मोटर मार्ग का अवशेष कार्य का निर्माण |
| 21. | भिकियासैण के अन्तर्गत सुन्दरखाल–तकुल्टी मोटर मार्ग का निर्माण |
| 22. | भिकियासैण के अन्तर्गत भिकियासैण–विनायक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार |
| 23. | मासी बाजार भाग में मार्ग बनाने, पक्की नाली एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण |
| 24. | अल्मोड़ा के अन्तर्गत रुद्रेश्वर मन्दिर भाग में लेपन कार्य |
| 25. | अल्मोड़ा में राजकीय इण्टर कॉलेज भिकियासैण मार्ग का लेपन कार्य |
| 26. | भिकियासैण–बाड़ीकोट–बेल्टी विनायक मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधार |
| 27. | अल्मोड़ा में चौखुटिया के अन्तर्गत भतरौजखान गनाई मोटर मार्ग कि0मी0 48 से 57 (चौखुटिया मासी) |
| 28. | द्वाराहाट–सुरईखेत–उत्तमछानी नौबाड़ा–पाली मोटर मार्ग के रख–रखाव हेतु बी0एम0एस0 डी0बी0सी0 से नवीनीकरण एवं अन्य मदों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य |
| 29. | भतरौजखान मासी–चौखुटिया मोटर मार्ग के रख–रखाव हेतु बी0एम0/एस0डी0बी0सी से नवीनीकरण तथा अन्य मदों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य |
| 30. | अगनेरी–नागड़थनी गाँव मोटर मार्ग का विस्तार |
| 31. | पाटियाचौरा–बैलनैकणा (प्रथम चरण को छोड़कर) |
| 32. | द्वाराहाट भगतोला मोटर मार्ग का विस्तार |
| 33. | कफड़ा–बड़ेत–तिपोला मोटर मार्ग के शेष भाग का निर्माण |
| 34. | भिकियासैण–गुन्सार निसिंग हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन |
| 35. | द्वाराहाट–बिम्याडेश्वर मोटर मार्ग का पुनः निर्माण |
| 36. | गोदी–तड़ागताल मोटर मार्ग का पुनः निर्माण |
| 37. | गोदी–खीड़ा मोटर मार्ग में डामरीकरण |
| 38. | कफड़ा–छब्बीना मोटर मार्ग पुनः निर्माण (हल्का वाहन) |

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 39. | केदारबाजार में मार्ग का सुधारीकरण एवं पक्कीनाली का निर्माण |
| 40. | दौला बाजार–सिनार मोटर मार्ग में सोलंग लिया अवशेष कार्य |
| 41. | बेल्टी–विनायक मोटर मार्ग में मोड़ कटान का कार्य |
| 42. | पंतगाँव–चमड़खान–शैलापानी का नव निर्माण 42 मीटर आर0सी0सी0 ब्रिज सहित |
| 43. | सतुनिया–बैल–महरनेल–बाजन मार्ग |
| 44. | चौबाटा–सिगोली–खनोलिया मार्ग |
| 45. | भिकियासैंण विकास खण्ड में नौला (सौरखेत दलमोड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण) |
| 46. | भिकियासैंण–गुनार गिट्टी चमड़खान मोटर मार्ग |
| 47. | सुनोली दाड़गाड़ मोटर मार्ग निर्माण |
| 48. | कोटीला–गवाड़ा मोटर मार्ग निर्माण |
| 49. | असगोली–चमीनी कुन्स्यारी तिपोला मोटर मार्ग का निर्माण |
| 50. | सुरना से बूढ़ा सुरना मार्ग |
| 51. | विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत अग्नेरी–थानीगाँव–जौरासी मोटर मार्ग के कि0मी0 2.30 से जौरासी तक मोटर मार्ग |
| 52. | मासी–आदिगाँव–जौरासी–देघाट मार्ग |
| 53. | विकास खण्ड द्वाराहाट में कफड़ा से किरौली मोटर मार्ग |
| 54. | रापड़ा–गंगोड़ा–पंतगाँव मोटर मार्ग |
| 55. | विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत कुड़कोली मोटर मार्ग |
| 56. | चमनपुरी से कारचुली मोटर मार्ग |
| 57. | रानीखेत–मगास मोटर मार्ग का निर्माण |
| 58. | रानीखेत–मँगचोड़ा जगारू मोटर मार्ग का निर्माण |
| 59. | जलाली–ताकुल्टी–मण्टी–पटास–उत्तमछानी मोटर मार्ग का निर्माण |
| 60. | सिरमोली बगड़वार गल्ली मोनरी–थापला–रिची मोटर मार्ग का निर्माण |
| 61. | काफड़ा–बड़ेत मोटर मार्ग 2 से दौलाजगुड़ मोटर मार्ग का निर्माण |

| क्र०सं० | मार्ग |
|---|---|
| 62. | रानीखेत–जालली–मासी मोटर मार्ग से रिखाड़ी चोबीतुरा मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 63. | द्वाराहाट–नगतोली मोटर मार्ग का निर्माण 60 मी0 पुल सहित |
| 64. | अल्मोड़ा में सोनली–खनेटा–जैंठा–खुरड़ी मोटर मार्ग |
| 65. | गगास–उद्दी महादेव–शैलापानी–मिकियासैंण से मरचुला मोटर मार्ग |
| 66. | विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत छब्बीसा बग्वालीपोखर मोटर मार्ग का निर्माण एवं दोसाद नदी पर सेतु निर्माण |
| 67. | द्वाराहाट के अन्तर्गत सिमलगॉव सुरईखेत मोटर मार्ग |
| 68. | रामपुर कुनीगाड़ मोटर मार्ग |
| 69. | द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग से बयेला नाड़ मोटर मार्ग का निर्माण |
| 70. | खीड़ा से खजुरानी मोटर मार्ग |
| 71. | जनपद अल्मोड़ा में कालिका–दलमोटी मोटर मार्ग का निर्माण |
| 72. | नैनीजाना–गिनाई मोटर मार्ग का विस्तारीकरण |
| 73. | अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत ब्लाक मुख्यालय से सलना तक मोटर मार्ग |
| 74. | अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कुना धन्यारी मोटर मार्ग |
| 75. | अल्मोड़ा के अन्तर्गत सनणें को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण |
| 76. | जनपद अल्मोड़ा में शहीद राजेश अधिकारी विनायक ढूँगा मोटर मार्ग का निर्माण |
| 77. | जनपद अल्मोड़ा में जैंता–खुरड़ी–शैलापानी–खनोलिया–बनघट मोटर मार्ग का निर्माण |
| 78. | जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत छतगुल्ला बैण्ड से तल्ली वहाली तक मोटर मार्ग |
| 79. | अल्मोड़ा के द्वाराहाट में राजकीय इण्टर कॉलेज असगोली–पैठानी तक सड़क निर्माण |

| क्र०सं० | मार्ग |
|---|---|
| 80. | रिस्कना पुल (तिपोला) से बिलनागाँव तक नैणी पठाणी होते हुये सिमलगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण |
| 81. | एस०सी०पी० के अन्तर्गत अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया–गनाई से अखेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 82. | एस०सी०पी० के अन्तर्गत अल्मोड़ा विकास खण्ड चौखुटिया में जमड़िया से बाई ओखला मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 83. | एस०सी०पी० के अन्तर्गत अल्मोड़ा विकास खण्ड चौखुटिया में गनाई जौरासी मोटर मार्ग से आगर मनराल तक मोटर मार्ग |
| 84. | एस०सी०पी० के अन्तर्गत अल्मोड़ा विकास खण्ड चौखुटिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87 (ई०) से गैराड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 85. | विकास खण्ड द्वाराहाट में सुनोली–दाड़माड़ मोटर मार्ग का अवशेष लम्बाई सहित |
| 86. | नागार्जुन–डहल–जालली मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 87. | गोदीखेड़ा मोटर मार्ग में सोलिंग व डामरीकरण |
| 88. | मटेला–बिन्ता–सुरना मोटर मार्ग में सोलिंग व डामरीकरण |
| 89. | विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत चौखुटिया–तड़ागताल मोटर मार्ग का डामरीकरण |
| 90. | दौलाबाजन मोटर मार्ग का डामरीकरण |
| 91. | सौगड़–पन्तगाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण |
| 92. | भिकियासैंण–मासी मोटर मार्ग का सुधार कार्य |
| 93. | गोदी–खीड़ा मोटर मार्ग कि०मी० 2 से 10 तक डामरीकरण |
| 94. | महाकालेश्वर–बसमीड़ा मोटर मार्ग का निर्माण |
| 95. | चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग के कि०मी० 56 भटकोट से ढौन–रीठाचौरा तक मोटर मार्ग का निर्माण |
| 96. | कफड़ा–बड़ेत मोटर मार्ग कि०मी० 04 में दौलड़ागुठ होते हुये कुन्स्यारी–तिकोला मार्ग |
| 97. | विनायक–रिखाड़ी कोटियाग मोटर मार्ग |

| क्र०सं० | मार्ग |
|---|---|
| 98. | तामाढ़ौना–गोलना खल्दुवा मोटर मार्ग का नव निर्माण (मा०मु०मं० घोषणा) |
| 99. | घमेड़ा शिलिंग मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 100. | कुकुछीना–गर्जिया–पैली मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण |
| 101. | सीमापानी–दूँगाघारा–कनोली–लालूरी मोटर मार्ग का सुधार कार्य डामरीकरण एवं नव निर्माण |
| 102. | नौला–रचौतरा–महरगेल मोटर मार्ग |
| 103. | दूनागिरी मोटर मार्ग में घटौडा पुल से ग्राम सभा विजेपुर–धनखलगाँव होते हुये मोटर मार्ग का नवनिर्माण |
| 104. | चौखुटिया–रमनगाँव–ताजपुर–सुनगढ़ी मोटर मार्ग निर्माण |
| 105. | चौना–उँचावाहन मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 106. | भिकियासैंण बाजारभाग में मार्ग उठाने, पक्कीनाली पी०सी० द्वारा डामरीकरण |
| 107. | अल्मोड़ा के अन्तर्गत पटियाचौरा–बमनचौरा–बाटुला–रिखालीपाली मोटर मार्ग |
| 108. | अल्मोड़ा में द्वाराहाट के अन्तर्गत उखल्लेख कुथारी मोटर मार्ग |
| 109. | पाटियाचौरा–बेलनिकणा मोटर मार्ग |
| 110. | दुघोली बैण्ड से पंचायत घर |
| 111. | सुनोली–खनेटा जेठा खुरड़ी मोटर मार्ग |
| 112. | डाक बंगला भिकियासैंन पहुँच मार्ग |
| 113. | दौला–नौबाड़ा मोटर मार्ग सोलिंग कार्य |
| 114. | सल्ट से भतरौंजखान–भिकियासैंण मोटर मार्ग का सुधारीकरण |

## सूची–2

### वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006 में निर्माण खण्ड, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के नाम, जिनमें कार्य पूर्ण हो चुका है/कार्य प्रगति पर है।

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 1. | सौंगढ़–पंतगाँव–चमड़खान मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधार |
| 2. | द्वाराहाट–बिमाण्डेश्वर–ईड़ा मोटर मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार (9–14) |
| 3. | नागार्जुन–डहल–जालली मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण का कार्य) |
| 4. | दौला–नौबाड़ा हल्का वाहन मोटर मार्ग में परिवर्तन |
| 5. | नौबाड़ा–दौला मोटर मार्ग का निर्माण |
| 6. | सौंगढ़–पंतगाँव–चमड़खान हल्का मार्ग कि0मी0 11.500 से 12.000 तक शेष कार्य |
| 7. | सौंगढ़–सिरमोली–पंतगाँव मोटर मार्ग के रख–रखाव हेतु बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 के सुधार से तथा अन्य मदों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य |
| 8. | दूनागिरी गणेश मन्दिर मोड़ कटान |
| 9. | कफड़ा–बड़ेत मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण को छोड़कर) |
| 10. | गंगास से पीपलटाना मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण) |
| 11. | भिकियासैंण–बाड़ीकोट–बेल्टी विनायक मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधार (4.400 से 1.250) |
| 12. | गनाई–जौरासी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य |
| 13. | दौला–बाजन–सिनार मोटर मार्ग का निर्माण |
| 14. | भिकियासैंण–गुन्सर हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन |
| 15. | विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत असगोला–कुन्स्यारी–चनौनी मोटर मार्ग |
| 16. | मासी–नौबाड़ा मोटर मार्ग का सीलिंग कार्य |
| 17. | मासी–गैरखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से 12 के मध्य सोलिंग से लेपन कार्य |
| 18. | भिकियासैंण–विनायक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार कार्य |
| 19. | चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग का डामरीकरण |
| 20. | अल्मोड़ा में गैरखेत–बल्मरा बसई मोटर मार्ग का अवशेष कार्य का निर्माण |

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 21. | भिकियासैंण के अन्तर्गत सुन्दरखाल–तकुल्टी मोटर मार्ग का निर्माण |
| 22. | भिकियासैण के अन्तर्गत भिकियासैंण–विनायक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार |
| 23. | मासी बाजार भाग में मार्ग बनाने, पक्की नाली एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण |
| 24. | अल्मोड़ा के अन्तर्गत रुद्रेश्वर मन्दिर भाग में लेपन कार्य |
| 25. | अल्मोड़ा में राजकीय इण्टर कॉलेज भिकियासैंण मार्ग का लेपन कार्य |
| 26. | भिकियासैण–बाड़ीकोट–बेल्टी विनायक मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधार |
| 27. | अल्मोड़ा में चौखुटिया के अन्तर्गत गतरौंजखान गनाई मोटर मार्ग कि0मी0 48 से 57 (चौखुटिया मासी) |
| 28. | द्वाराहाट–सुरईखेत–उत्तमछानी नौबाड़ा–पाली मोटर मार्ग के रख–रखाव हेतु बी0एम0एस0 डी0बी0सी0 से नवीनीकरण एवं अन्य मदों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य |
| 29. | गतरौंजखान मासी–चौखुटिया मोटर मार्ग के रख–रखाव हेतु बी0एम0/एस0डी0बी0सी से नवीनीकरण तथा अन्य मदों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य |
| 30. | अगनेरी–नागड़धनी गाँव मोटर मार्ग का विस्तार |
| 31. | पाटियाचौरा–बैलनैकणा (प्रथम चरण को छोड़कर) |
| 32. | द्वाराहाट भगतोला मोटर मार्ग का विस्तार |
| 33. | कफड़ा–बड़ेत–सिपोला मोटर मार्ग के शेष भाग का निर्माण |
| 34. | भिकियासैंण–गुन्सर निशिव हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन |
| 35. | द्वाराहाट–बिम्याडेश्वर मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण |
| 36. | गोदी–तड़ागताल मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण |
| 37. | गोदी–खीड़ा मोटर मार्ग में डामरीकरण |
| 38. | कफड़ा–छब्बीना मोटर मार्ग पुनर्निर्माण (हल्का वाहन) |
| 39. | केदारबाजार में मार्ग का सुधारीकरण एवं पक्कीनाली का निर्माण |
| 40. | दौला बाजान–सिनार मोटर मार्ग मे सोलंग लिया अवशेष कार्य |
| 41. | बेल्टी–विनायक मोटर मार्ग में मोड़ कटान का कार्य |

## सूची–3

### वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006 में निर्माण खण्ड, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के नाम जिनमें कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

कारण–सर्वेक्षण, वन भूमि हस्तान्तरण, समरेखण कार्य पूर्ण न होना।

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 1. | पंतगाँव–चमड़खान–शैलापानी का नव निर्माण 42 मीटर आर0सी0सी0 ब्रिज सहित |
| 2. | सतुनिया–बैल–महरनेल–बाजन मार्ग |
| 3. | चौबाटा–सिगोली–खनोलिया मार्ग |
| 4. | भिकियासैंण विकास खण्ड में नौला (सौरखेत दलमोड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण) |
| 5. | भिकियासैंण–गुन्तर निट्टी चमड़खान मोटर मार्ग |
| 6. | सुनोली दाड़माड़ मोटर मार्ग निर्माण |
| 7. | कोटीला–गवाड़ा मोटर मार्ग निर्माण |
| 8. | असगोली–चमीनी कुन्स्यारी तिपोला मोटर मार्ग का निर्माण |
| 9. | सुरना से बूढ़ा सुरना मार्ग |
| 10. | विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत अग्नेरी–थानीगाँव–जौरासी मोटर मार्ग के किमी0 2.30 से जौरासी तक मोटर मार्ग |
| 11. | मॉसी–आदिगाँव–जौरासी–देघाट मार्ग |
| 12. | विकास खण्ड द्वाराहाट में कफड़ा से किरौली मोटर मार्ग |
| 13. | रापड़ा–नगोड़ा–पंतगाँव मोटर मार्ग |
| 14. | विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत कुड़कोली मोटर मार्ग |
| 15. | चमनपुरी से कारचुली मोटर मार्ग |
| 16. | रानीखेत–गगास मोटर मार्ग का निर्माण |
| 17. | रानीखेत–मैंगचोड़ा जगारू मोटर मार्ग का निर्माण |
| 18. | जालली–ताकुल्टी–भण्टी–पटास–उत्तमछानी मोटर मार्ग का निर्माण |
| 19. | सिरमोली बगड़वार मल्ली मोहनरी–थापला–रिची मोटर मार्ग का निर्माण |
| 20. | काफड़ा–बड़ेत मोटर मार्ग 2 से दौलाडगुद मोटर मार्ग का निर्माण |

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 21. | रानीखेत–जालली–मासी मोटर मार्ग से रिखाड़ी धोबीपुरा मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 22. | द्वाराहाट–भगतोली मोटर मार्ग का निर्माण 60 मी0 पुल सहित |
| 23. | अल्मोड़ा में सोनली–खनेटा–जैंठा–खुरडी मोटर मार्ग |
| 24. | गगास–उढी महादेव–शैलापानी–भिकियासैंण से मरचुला मोटर मार्ग |
| 25. | विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत छब्बीसा बग्वालीपोखर मोटर मार्ग का निर्माण एवं दोसाद नदी पर सेतु निर्माण |
| 26. | द्वाराहाट के अन्तर्गत सिमलगाँव सुरईखेत मोटर मार्ग |
| 27. | रामपुर कुनीगाड़ मोटर मार्ग |
| 28. | द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग से बयेला नाड़ मोटर मार्ग का निर्माण |
| 29. | खीड़ा से खजुरानी मोटर मार्ग |
| 30. | जनपद अल्मोड़ा में कालिका–दलमोटी मोटर मार्ग का निर्माण |
| 31. | नैनीजाना–गिनई मोटर मार्ग का विस्तारीकरण मोटर मार्ग |
| 32. | अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत ब्लाक मुख्यालय से रालना तक मोटर मार्ग |
| 33. | अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कुना धन्यारी मोटर मार्ग |
| 34. | अल्मोड़ा के अन्तर्गत सनणें को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण |
| 35. | जनपद अल्मोड़ा में शहीद राजेश अधिकारी विनायक ढूंगा मोटर मार्ग का निर्माण |
| 36. | जनपद अल्मोड़ा में जैंठा–खुरडी–शैलापानी–खनोलिया–बनघट मोटर मार्ग का निर्माण |
| 37. | जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत छतगुल्ला बैण्ड से तल्ली तहाली तक मोटर मार्ग |
| 38. | अल्मोड़ा में द्वाराहाट में राजकीय इण्टर कॉलेज असगोली–पैठानी तक सड़क निर्माण |

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 39. | रिस्कना पुल (तिपोला) से बिलनागाँव तक नैणी पठाणी होते हुये सिमलगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण |
| 40. | एस0सी0पी0 के अन्तर्गत अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया–गनाई से अखेती मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 41. | एस0सी0पी0 के अन्तर्गत अल्मोड़ा विकास खण्ड चौखुटिया में जमड़िया से बाई ओखला मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 42. | एस0सी0पी0 के अन्तर्गत अल्मोड़ा विकास खण्ड चौखुटिया में गनाई जौरासी मोटर मार्ग से आगर मनराल तक मोटर मार्ग |
| 43. | एस0सी0पी0 के अन्तर्गत अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 (ई0) से गैराड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 44. | विकास खण्ड द्वाराहाट में सुनोली–दाडमाड़ मोटर मार्ग का अवशेष लम्बाई सहित |
| 45. | नागार्जुन–डहल–जालली मोटर मार्ग का नवनिर्माण |
| 46. | गोदीखेड़ा मोटर मार्ग में सोलिंग व डामरीकरण |
| 47. | गटेला–बिन्ता–सुरना मोटर मार्ग में सोलिंग व डामरीकरण |
| 48. | विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत चौखुटिया–तड़ागताल मोटर मार्ग का डामरीकरण |
| 49. | दौलाबाजन मोटर मार्ग का डामरीकरण |
| 50. | सौंगड़–पन्तगाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण |
| 51. | भिकियासैंण–माँसी मोटर मार्ग का सुधार कार्य |
| 52. | गोदी–खीड़ा मोटर मार्ग किमी0 2 से 10 तक डामरीकरण |
| 53. | महाकालेश्वर–बसभीड़ा मोटर मार्ग का निर्माण |
| 54. | चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग के किमी0 56 भटकोट से ढौंग–रीठाचौरा तक मोटर मार्ग का निर्माण |
| 55. | कफड़ा–बडेत मोटर मार्ग किमी0 04 में दौलड़ागुठ होते हुये कुन्स्यारी–तिकोला मार्ग |
| 56. | विनायक–रिखाड़ी कोटियाग मोटर मार्ग |

| क्र0सं0 | मार्ग |
|---|---|
| 57. | घमेड़ा शिलिंग मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 58. | ताणादौना–गोलना खल्डुवा मोटर मार्ग का नव निर्माण (मा0मु0मं0 घोषणा) |
| 59. | कुकुछीना–गर्जिया–पैली मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण |
| 60. | सीमापानी–ढूँगाधारा–कनोली–लालूरी मोटर मार्ग का सुधार कार्य डामरीकरण एवं नव निर्माण |
| 61. | नौला–स्यौतरा–महरनेल मोटर मार्ग |
| 62. | दूनागिरी मोटर मार्ग में घटोड़ा पुल से ग्राम सभा विजेपुर–धनखलगाँव होते हुए मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 63. | चौखुटिया–रमनगाँव–ताजपुर–चुनगढ़ी मोटर मार्ग निर्माण |
| 64. | धौना–उँचा वाहन मोटर मार्ग का नव निर्माण |
| 65. | भिकियासैंण बाजारभाग में मार्ग उठाने, पक्कीनाली पी0सी0 द्वारा डामरीकरण |
| 66. | अल्मोड़ा के अन्तर्गत पटियाचौरा–बमनचौरा–बाटुला–रिखालापाली मोटर मार्ग |
| 67. | अल्मोड़ा में द्वाराहाट के अन्तर्गत उखल्लेख कुथारी मोटर मार्ग |
| 68. | पाटियाचौरा–बेलनिकणा मोटर मार्ग |
| 69. | दुधोली बैण्ड से पंचायत घर |
| 70. | सुनोली–खनेटा जेठा खुरड़ी मोटर मार्ग |
| 71. | डाक बँगला भिकियासैंण पहुँच मार्ग |
| 72. | दौला–नौबाड़ा मोटर मार्ग सोलिंग कार्य |
| 73. | सल्ट से मतरौंजखान–भिकियासैंण मोटर मार्ग का सुधारीकरण |

## नत्थी 'ग'

(देखिये अ0प्र0सं0–33 का उत्तर पीछे पृष्ठ–36 पर)

### विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–33 के उत्तर का संलग्नक

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम/पदनाम | पदोन्नत पद | पदोन्नति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री दिनेश चन्द्र गुणवन्त, जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक, | वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | 16–08–2002 |
| 2. | श्री ए0के0 बिसारिया, जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक, | वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | 16–08–2002 |
| 3. | श्री राकेश चन्द्र वर्मा, जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक, | वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | 16–08–2002 |
| 4. | श्री राकेश कुमार भारती, जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक, | वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | 16–08–2002 |
| 5. | श्री भुवन चन्द्र पाडेय, वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | सहायक विकास अधिकारी (ज0बू0) | 18–05–2004 |
| 6. | श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | सहायक विकास अधिकारी (ज0बू0) | 18–05–2004 |
| 7. | श्री त्रिलोक सिंह नेगी, वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | भेषज कृषि निर्देशक | 18–05–2004 |
| 8. | श्री प्रयाग राम आर्या, वर्गीकरण सहायक (असीमान्त) | वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | 18–03–2006 |
| 9. | श्री जय प्रकाश शाह, वर्गीकरण पर्यवेक्षक, | वर्गीकरण सहायक (असीमान्त) | 18–03–2006 |
| 10. | श्री सुखबीर कुमार, वर्गीकरण सहायक (असीमान्त) | वर्गीकरण सहायक (सीमान्त) | 13–05–2006 |

नत्थी 'घ'

(देखिये अ0प्र0सं0–34 का उत्तर पीछे पृष्ठ–36 पर)

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में) | स्वीकृत लागत (रु0 लाख) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| नये कार्य जो प्रगति पर हैं। | | | | |
| 1. | जोशी गोथान हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन। | 5.00 | 38.50 | कार्य प्रगति पर। |
| 2. | नागथात दिसोई हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पक्कीकरण। | 4.00 | 77.60 | कार्य प्रगति पर। |
| 3. | आरा अस्टी हल्का वाहन मार्ग (फेडुलानी–मलेथा के किमी0 2 से) का मोटर मार्ग में परिवर्तन। | 6.50 | 50.00 | कार्य प्रगति पर। |
| 4. | अणु–बिल्हाड़ हल्का वाहन मार्ग का 5.25 मीटर मोटर मार्ग में पक्कीकरण। | 3.00 | 58.20 | 2.00 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। |
| 5. | जे0पी0आर0आर0 मार्ग से ल्यूनी रौंज मार्ग का डामरीकरण। | 1.00 | 15.60 | किमी0 01 में पहाड़ कटान एवं इण्टर कोट पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। |

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 वि0स0/419–20–09–2008–000 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।